



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-19012022-232761
CG-GJ-E-19012022-232761

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943

No. 30]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

अधिसूचना

संशोधित नियम सं.13 - गैर-शैक्षणिक और शैक्षणिक पदों हेतु कैडर नियुक्ति नियम, 2018

गांधीनगर, 4 जनवरी 2022

फा. सं. 2-4/2009-प्रशा./1073.—गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्यकारणी परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अधिनियम की दूसरी अनुसूची की संविधि 12 (2) (iv) तथा 23 (2) द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009, द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग से मौजूदा नियुक्ति नियमों में निवर्तन हेतु, एतद् द्वारा विश्वविद्यालय में गैर-शैक्षणिक और शैक्षणिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन हेतु नियम सं.13 के तहत निम्नलिखित नियमों का प्रावधान किया गया है।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

- 1.1. यह नियम गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गैर-शैक्षणिक और शैक्षणिक पदों हेतु कैडर नियुक्ति नियम, 2018 कहलायेंगे।
- 1.2. यह नियम अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो जायेंगे।

2. परिभाषाएँ:

जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियम में :

- 2.1. जैसा समय-समय पर संशोधित किया गया है, 'अधिनियम' का अर्थ है, 'केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009'।

- 2.2. विश्वविद्यालय में किसी भी पद से संबंधित 'नियुक्ति प्राधिकारी' वह है जो समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय के नियम/अधिनियम/सीआरआर/ विनियमों के तहत निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति करने में सक्षम है।
- 2.3. 'कैडर' का अर्थ है, संस्था की संख्या या अलग इकाई के रूप में अनुमोदित संस्था का भाग।
- 2.4. 'विभागीय प्रत्याशी' का अर्थ है, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में विधिवत प्रस्तावित पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी। इनमें तदर्थ कर्मचारी, दैनिक भत्ता प्राप्त कर्मचारी, अनुबंधित कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी शामिल नहीं हैं।
- 2.5. 'सीधी नियुक्ति' का अर्थ है, पदोन्नति, प्रतिनियोजन या समायोजन के अलावा की गयी नियुक्ति।
- 2.6. 'सरकार' का अर्थ है, भारत सरकार।
- 2.7. 'गैर-शैक्षणिक कर्मचारी' का अर्थ है, विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के रूप में अन्यथा परिभाषित कर्मचारियों के अलावा विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी।
- 2.8. 'अन्य शैक्षणिक कर्मचारी' का अर्थ है, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता तथा उच्च शिक्षा, 2018 के मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनियमित हैं। इसमें पुस्तकालयाध्यक्ष तथा शारीरिक शिक्षा और खेल के निदेशक भी शामिल हैं।
- 2.9. 'नियमित सेवा' का अर्थ है, नियमित आधार पर संस्था के कर्मचारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ। इसमें तदर्थ/दैनिक भत्ता/अनुबंधित/अस्थायी सेवाएँ शामिल नहीं हैं।
- 2.10. 'अनुसूची' का अर्थ है, नियमों के आधार पर तैयार की गयी सूची।
- 2.11. 'चयन समिति' का अर्थ है, विश्वविद्यालय के कैडर नियुक्ति प्रावधानों, दिशा-निर्देशों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों, नियमों, अधिनियमों में विनिर्दिष्ट विभागीय पुष्टिकरण समिति और विभागीय पदोन्नति समिति समेत चयन समिति के सदस्यों का संयोजन।
- 2.12. 'केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009', के तहत 'नियमों', 'अधिनियमों' और 'विनियमों' का अर्थ क्रमशः 'नियम', 'अधिनियम' और 'विनियम' ही है, जिसे लागू होने के बाद समय समय पर संशोधित किया गया है।
- 2.13. 'विश्वविद्यालय' का अर्थ है, 'केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009' के तहत स्थापित 'गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय'।
- 2.14. 'आयु' का अर्थ है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट आयु सीमा।
- 2.15. 'अधिसूचित तिथि' का अर्थ है, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि।
- 2.16. 'UGC' का अर्थ है, यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
- 2.17. 'SC' का अर्थ है, अनुसूचित जाति, 'ST' का अर्थ है, अनुसूचित जनजाति, 'OBC' का अर्थ है, अन्य पिछड़ा वर्ग, 'PwD' का अर्थ है, दिव्यांग व्यक्ति।
- 2.18. 'परिवीक्षाधीन' का अर्थ है, विनिर्दिष्ट नियमों के तहत किसी भी पद पर परिवीक्षा अवधि के तहत नियुक्त व्यक्ति।
- 2.19. 'स्थायी नियुक्ति' का अर्थ है, नियुक्ति नियमों के प्रावधानों के तहत नियत चयन प्रक्रिया के बाद की गयी नियुक्ति, जिसमें परिवीक्षा-अवधि के सफल समापन की पुष्टि के बाद की गयी नियुक्ति भी शामिल है।
- 2.20. नियमों के तहत निर्धारित 'सेवा और अनुभव' का अर्थ है, एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति/नियुक्ति की शर्तें जिसके तहत वह अवधि भी शामिल है जिसमें व्यक्ति ने स्थायी नियुक्ति के बाद उससे निम्न पदों पर निरंतर सेवाएँ प्रदान की हो।
- 2.21. 'सक्षम पदाधिकारी' का अर्थ है, वह पदाधिकारी जो विनिर्दिष्ट नियमों के तहत विभिन्न अधिकारों और कार्यों के क्रियान्वयन में सक्षम हो।
- 2.22. अन्य शब्द और अभिव्यक्ति, जिनका यहाँ प्रयोग किया गया है लेकिन नियमों में विनिर्दिष्ट नहीं है, जो सन्दर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक नहीं है, वह 'केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009' के तहत निर्दिष्ट किये गये अर्थों के समानार्थी ही प्रयुक्त होंगे। सभी नियम, अधिनियम और विनियम तदनुसार या भारत सरकार द्वारा समय समय संशोधित किये गये नियमों के तहत ही विनिर्मित किये

जायेंगे।

3. आवेदन की सीमा:

- 3.1. इन नियमों के तहत नियमित/पदावाधिक/प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां शामिल हैं।
- 3.2. गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा शर्तें और स्वीकार्य परिलब्धियाँ इत्यादि, जो पूर्व के नियुक्ति नियमों के आधार पर नियुक्त हैं, वे भी इन्हीं नियमों में शामिल समझे जाएँगे।
- 3.3. गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और स्वीकार्य परिलब्धियाँ इत्यादि, सम्बन्धी भारत सरकार/यूजीसी द्वारा जारी किये गये निर्देशों को कार्यकारी परिषद् के उचित अनुमोदन के बाद समय समय पर इन्हीं नियमों के तहत शामिल किया जायेगा।

4. पदों का वर्गीकरण:

- 4.1. ग्रुप 'ए'
- 4.2. ग्रुप 'बी'
- 4.3. ग्रुप 'सी', बहु-कार्यन कर्मचारी सहित (एमटीएस)

5. अनुसूची:

विभिन्न पदों हेतु पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, योग्यता का विवरण, अनुभव, नियुक्ति प्रणाली, आयु सीमा इत्यादि और पद हेतु प्रासंगिक अन्य सूचनाएँ अनुसूची-I में संलग्न नियमों में विनिर्दिष्ट हैं।

6. नियुक्ति प्राधिकारी:

विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों के तहत शामिल नियुक्ति प्राधिकारी नीचे उल्लिखित हैं:

	नियुक्ति प्राधिकारी	पद
अ.	कार्यकारी परिषद्	ग्रुप 'ए' पदों की सभी स्थायी नियुक्तियाँ
ब.	कुलपति	i) ग्रुप 'बी' पदों की सभी स्थायी नियुक्तियाँ ii) ग्रुप 'ए'/ग्रुप 'बी' पदों की सभी अस्थायी नियुक्तियाँ
स.	कुलसचिव	i) ग्रुप 'सी' पदों की सभी स्थायी नियुक्तियाँ ii) ग्रुप 'सी' पदों की सभी अस्थायी नियुक्तियाँ

7. नियुक्ति प्रक्रिया:

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत की जाएगी:

- 7.1. सीधी नियुक्ति
- 7.2. पदोन्नति
- 7.3. भारत सरकार के समायोजन के प्रावधानों के साथ या बिना की गयी प्रतिनियुक्ति
- 7.4. विश्वविद्यालय के विनियमों/दिशा-निर्देशों/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों के तहत की गयी कार्यावधिक नियुक्ति

नोट: इसके अतिरिक्त, कुलपति द्वारा उपयुक्तता के आकलन के बाद आपात स्थिति के आधार पर तथा कार्यकारी परिषद् द्वारा तय किये जाने वाले उचित प्रक्रियाओं के आधार पर किसी भी पद पर (सांविधिक पदों के अतिरिक्त) अल्पावधि के लिए (एक वर्ष से अधिक नहीं) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है।

8. विभिन्न कैडरों के तहत पदों की संख्या की स्वीकृति:

- 8.1. इस नियम में अधिसूचना की तिथि के अनुसार प्रत्येक कैडर के तहत पदों को अधिकृत मंजूरी दी जाएगी।
- 8.2. इन नियमों की अधिसूचना के बाद, विभिन्न कैडरों के तहत पदों की अधिकृत स्वीकृत संख्या का निर्धारण समय समय पर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जायेगा, और तदनुसार, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित की जाएगी।

9. कैडर/पदों के भविष्य के रख-रखाव:

9.1. इन नियमों की अधिसूचना के पश्चात्, नियम 7 में उल्लिखित नियुक्ति प्रणाली के माध्यम से की गयी नियुक्ति प्रावधानों के माध्यम से ही सभी नियुक्तियों की जायेंगी। कार्यकारी परिषद् इन नियमों की अधिसूचना के बाद यूजीसी के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् इस तरह के अन्य पद और/या कैडर को भी शामिल कर सकती है।

9.2. इन नियमों में उल्लिखित प्रत्येक कैडर/पद के कर्मचारियों के वरीयता-क्रम को विश्वविद्यालय के कुलसचिव या/और इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संधृत किया जायेगा। इसमें किसी पद या पदों की श्रेणी को, जैसा भी कुलपति या कुलसचिव का विशिष्ट या साधारण आदेशों हो, किसी भी कार्यालय या प्रतिष्ठान में नियुक्त किया जा सकता है।

10. प्रारंभिक नियोजन:

10.1. प्रचलित नियमों के अनुसार स्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी, अर्थात् इन नियमों के पूर्व प्रचलित नियमों के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, इन नियमों के प्रावधान के अनुसार नियुक्त किया गया माना जायेगा।

10.2. प्रारंभिक संविधान से पूर्व उप-नियम (1) के अंतर्गत उल्लिखित कर्मचारियों की नियमित निरंतर सेवा परीक्षा अवधि, पदोन्नति की योग्यता-सेवा, प्रमाणीकरण और पेंशन योजना, जैसा भी सेवा में लागू होता हो, के अंतर्गत माने जायेंगे।

11. विज्ञप्ति जारी करने और आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रियाएँ:

I. विज्ञप्ति :

स्थायी प्रकृति के रिक्त पद, विशिष्ट योजनाओं के तहत स्वीकृत पद, अस्थायी प्रकृति के पद जारी रहने की संभावना, कार्यकाल / प्रतिनियुक्ति पद आदि, किसी भी राष्ट्रीय दैनिक पत्र में कम से कम रोजगार समाचार और विश्वविद्यालय की वेबसाइट में एक प्रविष्टि के साथ उचित समय पर विज्ञापित किए जाएंगे। उम्मीदवार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यकताओं के विवरण के साथ निर्धारित आवेदन पत्र भर सकते हैं और निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ सभी प्रकार से विधिवत पूर्ण किए गए आवेदनों को निर्धारित समय में जमा कर सकते हैं।

नोट:

अ) विज्ञापन की लागत को कम करने के लिए, आवेदन की अंतिम तिथि सहित नियुक्ति सम्बन्धी केवल आवश्यक विवरण ही विज्ञापन में दर्शाया जाएगा। आवेदन की तिथि को कुलपति के विवेक पर, आवश्यकतानुसार, केवल वेबसाइट पर अधिसूचित करके विस्तारित किया जा सकता है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के निरंतर संपर्क में रहना होगा।

ब) सेवानिवृत्त कर्मचारियों और/ या अल्पकालिक संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन किसी भी अन्य माध्यम से, जैसे कि परिपत्र, वेब-साइट पर अधिसूचना और विश्वविद्यालय के सूचना-पट्ट, आमंत्रित किए जा सकते हैं।

स) उपर्युक्त पैरा 11(I) में उल्लिखित प्रावधानों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अपने विवेकानुसार, रोजगार कार्यालय को उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के अनुसार पदों को प्रायोजित करने का अनुरोध कर सकता है।

II. नियुक्ति प्रक्रिया की समय-सीमा:

विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया, जिसमें विज्ञप्ति, लिखित परीक्षा का आयोजन या साक्षात्कार का आयोजन, छह महीने के भीतर पूर्ण हो। (संदर्भ: DoPT O.M.No.Misc.14017/15/2015-Estt.(RR) दिनांक 11.01.2016 विधिवत रूप से UGC द्वारा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र क्रमांक.F.74-1 / 2017 (CU) दिनांक 16 अक्टूबर को संप्रेषित पत्र)

बशर्ते, कुलपति की राय में, परिस्थितियाँ अगर अधिक न्यायसंगत हैं, तो वह नियुक्ति प्रक्रिया की समय सीमा को अधिकतम छह महीने तक और विस्तारित कर सकता है।

III. आवेदन पत्र:

अ) सभी पदों के लिए आवेदन पत्र केवल निर्धारित प्रारूप (ऑनलाइन या प्रत्यक्ष या दोनों) में मान्य होंगे, जो बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से "गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय" के पक्ष में देय होंगे।

- आ) आवेदन पत्र और निर्धारित शुल्क समय-समय पर कुलपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आवेदन/ प्रसंस्करण शुल्क में रियायतें, जहां भी प्रदान की जाती हैं, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार होगी।
- इ) **आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन:** आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी विज्ञप्ति की तिथि से सामान्यतः 30 दिन तक होगी। हालाँकि, कुलपति द्वारा अपने विवेक से, स्थिति की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, आवेदनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि के विस्तार का निर्णय लिया जा सकता है। अपूर्ण आवेदन और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, कुलपति, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को स्वीकार करने की अनुमति दे सकते हैं यदि उम्मीदवार द्वारा संलग्नक और प्रेषण विवरण के साथ प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदन अंतिम तिथि से पूर्व प्रेषित किया गया था। यदि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अवकाश दिवस है तो अगले कार्य दिवस को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि माना जाएगा। निर्धारित शुल्क और स्व-प्रमाणित सहपत्रों आदि के बिना जमा किये गये अपूर्ण आवेदन तुरंत निरस्त कर दिए जायेंगे।
- ई) आवेदन, बंद लिफाफे में “..... नियुक्ति प्रकोष्ठ, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय” को प्रेषित होना चाहिए, जिसके सबसे ऊपर “.....पद के लिए आवेदन” संबोधित किया गया हो।
- उ) **लिखित/कौशल परीक्षा का आयोजन:** सीधी नियुक्ति के तहत पदों की नियुक्ति के दौरान, विश्वविद्यालय सभी ग्रुप "बी" और "सी" के गैर-शैक्षणिक पदों के लिए लिखित और कौशल परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षाओं में तर्क क्षमता, सरल अंकगणित, सामान्य ज्ञान, संस्थान के कार्यक्षेत्र का ज्ञान, लेखा परीक्षा, अंग्रेजी और हिंदी में भाषा प्रवीणता आदि शामिल हो सकते हैं। जहां भी लागू हो, नोटिंग और प्रारूपण आदि और/या कौशल परीक्षण, या सेवा की आवश्यकतानुसार किसी भी अन्य प्रकार की परीक्षा (जैसे तकनीकी/प्रयोगशाला सेवाओं, अभियांत्रिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय सेवाओं आदि के तहत पद) का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालय दो चरणों में लिखित परीक्षा आयोजित कर सकता है -(i) 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न सहित अर्हक परीक्षा (पेपर I) और (ii) 100 अंक सहित वर्णनात्मक-प्रकार की परीक्षा (पेपर II)। पेपर I में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम योग्यता अंक 40 प्रतिशत निर्धारित हैं। वर्णनात्मक परीक्षा के लिए केवल उन उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा जिन्हें पेपर I में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त होंगे। जहाँ भी लागू हो, केवल उन्हीं उम्मीदवारों को कौशल परीक्षण/साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा, जिन्हें पेपर II में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होंगे। कौशल परीक्षण के लिए आवंटित अंक, जहां भी लागू हो, 50 होगा और कौशल परीक्षा में न्यूनतम योग्यता 25 अंक होगा। उम्मीदवारों की योग्यता क्रम सूची, जहां भी लागू हो, कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, पेपर II (वर्णनात्मक परीक्षा) में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अपने विवेक पर, जहां कहीं भी लागू हो, उम्मीदवारों की संख्या, सेवा की आवश्यकताओं (जैसे तकनीकी/प्रयोगशाला सेवाओं, इंजीनियरिंग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के तहत पदों के आधार पर) एकल लिखित परीक्षा (वर्णनात्मक परीक्षा) और कौशल परीक्षा का आयोजन कर सकता है।
- ऊ) योग्यता क्रम सूची के निर्माण हेतु, जहाँ भी लागू हो, साक्षात्कार के लिए आवंटित अंक 50 होंगे जो अंक पेपर- II / एकल लिखित परीक्षा (वर्णनात्मक परीक्षा) में प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे।
- ऋ) परीक्षण, कौशल परीक्षण, परीक्षण करने के तौर-तरीकों, मूल्यांकन आदि के सारांश की रूपरेखा तैयार करने का सक्षम प्राधिकारी कुलपति होगा।
- लृ) आरक्षित वर्ग हेतु योग्यता अंक या परीक्षा में किसी अन्य प्रकार की रियायतें, भारत सरकार के द्वारा समय समय पर अपने दिशा-निर्देशों में किये गये संशोधनों के आधार पर विस्तारित किया जाएगा।
- एँ) विश्वविद्यालय अपने विवेक के आधार पर उपरिक्त उल्लिखित नियमों के आधार पर ग्रुप 'ए' गैर-शैक्षणिक पदों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को स्वीकृत कर सकता है।

12. चयन समिति की संरचना और कार्य:

12.1. चयन समिति की संरचना नियमों/ अध्यादेशों/ यूजीसी विनियमों/ दिशानिर्देशों/ सीआरआर की अनुसूची के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

12.2. चयन समिति की अनुशंसाओं को, विचार और समुचित कार्यवाही हेतु, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

12.3. यदि दो या अधिक उम्मीदवारों की अनुशंसा की जाती है, तो उम्मीदवार की अनुशंसा योग्यता के क्रम के आधार पर ही की जाएगी।

12.4. शर्तों के साथ संलग्न कोई भी अनुशंसा नहीं की जाएगी।

13. योग्यता और अनुभव:

अनुसूची में वर्णित योग्यता (आवश्यक और वांछनीय) और आवश्यक अनुभव होना अनिवार्य है। प्रत्येक पद के लिए अनुसूची में निर्धारित योग्यता न्यूनतम योग्यता होगी।

14. आयु सीमा:

विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा अनुसूची में निर्दिष्ट होगी। आयु के निर्धारण की निर्णायक तिथि आवेदन की अंतिम तिथि होगी।

15. पदों का आरक्षण:

15.1. विश्वविद्यालय समय-समय पर संशोधित आयु, योग्यता अंक, अनुभव/शुल्क आदि से संबंधित नियुक्ति/पदोन्नति, आदि में विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण/छूट/रियायत के संबंध में भारत सरकार के मानदंडों का सख्ती से पालन करेगा।

15.2. आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र और/या चिकित्सा प्रमाण पत्र (दिव्यांग उम्मीदवारों के मामले में विकलांगता की प्रतिशतता के निर्धारण से संबंधित) की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करेंगे, अन्यथा आवेदन तुरंत निरस्त कर दिए जायेंगे।

15.3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग उम्मीदवार, जो सामान्य उम्मीदवारों के लिए प्रयुक्त मानकों के आधार पर चयनित और जो सामान्य योग्यता क्रम सूची में आते हैं, उन्हें उसी योग्यता के आधार पर चयनित किया जायेगा।

15.4. जब एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक आराम मानक लागू किया जाता है, उदाहरण के लिए आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, लिखित परीक्षाओं में संभावित अवसरों की संख्या, सामान्य श्रेणी के लिए प्रदान की गई उम्मीदवारी के विचार का विस्तारित क्षेत्र इत्यादि की स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों में शामिल किये जायेंगे। ऐसे उम्मीदवारों को अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध विचार के लिए अनुपलब्ध माना जायेगा।

नोट: इन नियमों में कुछ भी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों को प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

यात्रा भत्ता का भुगतान: उम्मीदवार अपने स्वयं के खर्च पर निर्दिष्ट स्थान और समय पर साक्षात्कार में भाग लेंगे। हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बाह्यस्थानीय उम्मीदवारों को, केवल स्वयं के लिए, उनके सबके लघुतम मार्ग का दोनों तरफ के रेल किराए (शयनयान श्रेणी) की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि कोई स्थान रेलमार्ग से जुड़ा नहीं है, तो टिकट प्रस्तुत करने पर सबसे लघुतम मार्ग के साधारण बस किराये का भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त रियायतें उन अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य नहीं होंगी, जो पहले से ही केंद्र/राज्य सरकार की सेवा में हैं /या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई/ स्थानीय सरकारों/ पंचायतों के तहत किसी भी रोजगार से सम्बन्ध रखते हैं।

16. अनुवीक्षण समिति का नियोजन और इसके कार्य:

कुलपति आंतरिक सदस्यों के अलावा संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक बाह्य विशेषज्ञ को शामिल करके एक अनुवीक्षण समिति का गठन कर सकते हैं। अनुवीक्षण समिति के सदस्य-सचिव को कुलपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। अनुवीक्षण समिति के समक्ष चयन से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजों/नियमों/दिशानिर्देशों आदि को रखना सदस्य-सचिव का कर्तव्य होगा। अनुवीक्षण समिति आवेदनों की जांच करेगी और विज्ञप्ति में निर्धारित नियुक्ति नियमों के आधार पर उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड के अनुसार उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची का निर्धारण करेगी। कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा निदेशक के पदों को छोड़कर, अनुवीक्षण समिति यह सुनिश्चित करेगा कि, भरे जानेवाले रिक्त पदों की संख्या और साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये गये उम्मीदवार 1:15 के अधिकतम अनुपात में ही उपस्थिति हो। अधिकतम अनुपात की इस आवश्यकता के अनुवर्तन हेतु अनुवीक्षण समिति स्वविवेक के आधार पर उम्मीदवारों की संख्या कम करने हेतु उम्मीदवारों के लिए उच्च मानदंड तय कर सकती है। यदि तीन योग्य उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम अनुपात को पूरा करने के लिए अनुपलब्ध हैं, तो पद को कम से कम दो बार पुनर्विज्ञापित किया जाएगा जिसके बाद विश्वविद्यालय चयन के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है। प्रतिनियुक्ति(बिना समायोजन) चयन के मामलों में इस शर्त पर जोर नहीं दिया जाएगा। उन पदों के मामलों में जिनमें एक सामान्य लिखित परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है,

सभी योग्य उम्मीदवारों को अधिकतम निर्धारित अनुपात के बावजूद लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है। हालाँकि, यदि योग्यता के क्रम में 1:15 के आवश्यक अधिकतम अनुपात में लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो अनुवीक्षण समिति अपने विवेक से, उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार से पहले संकलित नियमों के सप्रतिबंधित आधार पर उम्मीदवार की अनुशंसा कर सकती है। ऐसे समय तक उम्मीदवार की उम्मीदवारी अस्थायी बनी रहेगी।

नोट: कार्यवाहक/प्रभारी कुलपति स्थायी गैर-शिक्षण पदों पर कोई नियुक्ति नहीं करेंगे। हालाँकि, कार्यवाहक/प्रभारी कुलपति, MHRD पत्र संख्या F 19-58/ 2014-डेस्क (U) दिनांक 09/01/2014 के अनुसार, कार्यकारी परिषद् की स्वीकृति के बाद, अस्थायी पदों की नियुक्ति के लिए एक अनुवीक्षण समिति/चयन समिति का गठन कर सकते हैं।

17. चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय पुष्टिकरण समिति का नियोजन*

चयन समिति और विभागीय पदोन्नति समिति(डीपीसी)/विभागीय पुष्टि समिति* का नियोजन अनुसूची- II में निर्दिष्ट है। कुलपति, अपने विवेक पर, चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति में किसी भी विश्वविद्यालयीय पद में चयन/पदोन्नति के समय संबंधित इकाई के प्रमुख या किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य को(इकाई प्रमुख की अनुपस्थिति में) शामिल कर सकते हैं। भारत सरकार/यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी अन्य सदस्य/ सदस्यों को भी चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है।

(* संदर्भ: DoPT O.M.No.AB.14017/21/2011-Estt. (RR) दिनांक 10 मई, 2013)

यदि चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय पुष्टिकरण समिति का कोई सदस्य किसी उम्मीदवार से सम्बंधित है या चयन प्रक्रिया से सम्बंधित होने के कारण उस सदस्य के किसी भी हित की आपूर्ति होती हो, इस स्थिति में उस सदस्य को किसी भी चयन/विभागीय पदोन्नति समिति और विभागीय पुष्टि समिति के सदस्य के रूप में आसीन होने और इन नियमों के तहत किसी भी चयन/पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय चयन प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पहले संबंधित सदस्य से प्रभाव का एक वचन उपक्रम प्राप्त करेगा।

18. गणपूर्ति:

यूजीसी विनियमों/अधिसूचनाओं/निर्देशों के तहत निर्धारित चयन समिति हेतु गणपूर्ति समय-समय पर संशोधित यथोचित परिवर्तन के साथ लागू किया जायेगा। अन्य पदों के लिए, उपस्थित सदस्यों में से दो-तिहाई सदस्य एक चयन समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति का गठन करेंगे, जिसमें अध्यक्ष, कुलाध्यक्ष द्वारा मनोनित व्यक्ति (जहां भी लागू हो), दो विशेषज्ञों में से एक बाह्य विशेषज्ञ या तीन विशेषज्ञों में से दो बाह्य विशेषज्ञ तथा आवश्यकता के अनुसार संबंधित आरक्षित वर्ग से एक प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।

19. सीधी नियुक्ति द्वारा मुक्त चयन:

19.1. जहाँ भी किसी विशेष गैर-शिक्षण पद के संबंध में यूजीसी के दिशा-निर्देश अनुपलब्ध हैं या तैयार नहीं किए गए हैं, विश्वविद्यालय पदों की आवश्यकताओं और अनुकूलता के अनुसार योग्यता, अनुभव और कर्तव्यों की प्रकृति आदि को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के नियुक्ति नियमों को लागू करेगा।

19.2. विश्वविद्यालय में किसी भी नियमित पद पर नियुक्ति इन नियमों के तहत निर्धारित विधिवत चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी।

19.3. अध्यक्ष चयन समिति की बैठक में मतदान करने का अधिकारी होगा और एक मतदान के एक सामान अंक पर समाप्त होने की अवस्था में निर्णायक मत होगा।

19.4. यदि नियुक्ति के लिए दो या अधिक उम्मीदवारों की अनुशंसा की जाती है, तो निर्धारित अनुशंसा का निर्धारण योग्यता के क्रम में किया जायेगा।

19.5. यूजीसी विनियम, 2018 के तहत सांविधिक पदों और अन्य ग्रुप 'ए' के शैक्षणिक पदों के लिए चयन समिति की सिफारिशों, जो समय-समय पर संशोधित की जाती हैं (जैसे पुस्तकालयाध्यक्ष, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा निदेशक, शारीरिक शिक्षा उप-निदेशक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक इत्यादि) के अनुमोदन हेतु कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा जाएगा। यदि कार्यकारी परिषद चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकृति देने में किसी भी प्रकार से अक्षम है, तो वह इसके कारणों को दर्ज करेगी और अधिनियम 18(5) के तहत निर्देशित, कुलाध्यक्ष के समक्ष मामला प्रस्तुत करेगी।

19.6. ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' पदों की नियुक्ति हेतु चयन समिति की सिफारिशों को, नियमानुसार इन नियमों पर विचार और अनुमोदन हेतु निर्धारित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। यदि चयन समिति की सिफारिशें अस्वीकृत कर दी जाती हैं, तो

सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों को दर्ज किया जाएगा। चयन समिति की सिफारिशों को अस्वीकृत करने का अधिकार कार्यकारी परिषद के पास सुरक्षित रहेगा और इस मामले में कार्यकारी परिषद का निर्णय ही अंतिम होगा।

20. वरीयता:

संबंधित कैडर में प्रत्येक उम्मीदवार का वरीयता क्रम चयन समिति द्वारा अनुशंसित योग्यता-क्रम सूची में उसकी स्थिति के आधार पर और भारत सरकार / यूजीसी के संबंधित नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

21. नियुक्ति और कार्यारम्भ समय:

21.1. एक उम्मीदवार की नियुक्ति पूर्ववृत्त, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और चिकित्सीय उपयुक्तता के सत्यापन के अधीन होगी।

21.2. विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए नियुक्ति प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उस अवधि को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए (जो आमतौर पर एक या दो महीने से अधिक नहीं होगी) जिसके बाद अगर उम्मीदवार निर्दिष्ट अवधि के भीतर शामिल नहीं हुआ तो नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः अमान्य हो जाएगा।

21.3. यद्यपि, निर्दिष्ट अवधि के भीतर, यदि उम्मीदवार द्वारा समय विस्तार हेतु अनुरोध प्राप्त होता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन तीन महीने से अधिक के विस्तार को आमतौर पर अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यायसंगत तथ्य और परिस्थितियों के आलोक में केवल एक अपवाद के रूप में दिया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में मूल नियुक्ति प्रस्ताव की निर्गम तिथि से अधिकतम छह महीने तक ही विस्तार दिया जा सकता है। मूल नियुक्ति प्रस्ताव की निर्गम तिथि से छह महीने की समाप्ति के बाद नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः अमान्य हो जाएगा। छह महीने के उपर्युक्त अवधि के भीतर शामिल उम्मीदवारों का वरीयता क्रम, नियमावली से संबंधित सेवा/पद के लिए लागू वरीयता नियमों के तहत, वरीयता क्रम की न्यूनता के साथ ही निर्धारित की जाएगी।

22. सामान्य निबंधन और नियुक्ति की शर्तें:

22.1. वे उम्मीदवार जो पहले से ही किसी सेवा में हैं, सक्षम प्राधिकारी से सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ उचित माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। हालांकि, यदि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के समय तक उम्मीदवार के आवेदन को अग्रेषित नहीं किया जाता है, जैसा भी हो, वह अपने आवेदन की एक अग्रिम प्रति प्रेषित कर सकता है और तब तक उसे नियोक्ता द्वारा प्रमाणित "मोहरबंद आवरण में निराक्षेप प्रमाणपत्र के साथ सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होगा।

22.2. प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन को नियोक्ता द्वारा, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APARs)/ACR के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित पूर्ववर्ती पांच वर्षों और सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ अग्रेषित किया जाएगा।

22.3. उम्मीदवार द्वारा आवेदित पद की निर्धारित योग्यता, अनुभव सम्बन्धी इत्यादि पात्रता या उम्मीदवारी का आंकलन तथा विज्ञप्तिनुसार वांछित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ यथावत पूर्ण आवेदन को जमा करने की जिम्मेदारी स्वयं उम्मीदवार की होगी। उम्मीदवार द्वारा किसी भी तथ्यात्मक जानकारी की गोपनीयता, जाली दस्तावेजों की प्रस्तुति, भ्रामक जानकारी प्रदान करना या किसी भी तरीके से प्रचार करना उम्मीदवार की अपात्रता का कारण बन सकता है। यदि भविष्य में, नियुक्ति के बाद भी, किसी भी समय, उम्मीदवार की अयोग्यता का पता चलता है तो इस उपनियमानुसार उसकी नियुक्ति के समापन हेतु उत्तरदायी होगी। यह स्पष्ट रूप से प्रस्ताव और नियुक्ति पत्र में उल्लिखित होगा। सामान्य रूप से नियुक्ति नियमों में कोई भी अस्पष्टता या संदिग्धता और किसी पद विशेष हेतु पात्रता के मामले में, कार्यकारी परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

22.4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वीकृति नियुक्ति के पश्चात् भी किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन रहेगी। यदि कोई दस्तावेज नियुक्ति से पूर्व या पश्चात् फ़र्जी/ जाली/वृष्टिपूर्ण पाया जाता है, तो दस्तावेज को फ़ौरन अस्वीकृत कर दिया जाएगा या उस उम्मीदवार के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है, जैसा भी हो, जो उसकी नियुक्ति के निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

22.5 किसी भी पद पर नियुक्त उम्मीदवार विश्वविद्यालय के अधिनियम/संविधि/अध्यादेश/नियम तथा सीसीएस(आचरण) नियम, 1964, सीसीएस(सीसीए) नियम, 1965 या भारत सरकार के किसी भी अन्य नियमों के अनुसार नियमित होगा, जो कर्मचारियों के आचरण को कायम रखने हेतु और विशेष रूप से निर्धारित अन्य नियम/संकल्प, जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् के अनुरक्षण में होंगे।

22.6. एक उम्मीदवार की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन होगी। चरित्र और पूर्ववृत्तों का सत्यापन प्राप्त होने तक नियुक्ति को अस्थायी माना जाएगा। यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत उसके आचरण, चरित्र, पूर्ववृत्त

आदि सम्बन्धी प्रतिवेदन असंतोषजनक पाए जाते हैं, तो नियुक्ति को तत्काल निरस्त/निलंबित कर दिया जाएगा।

22.7. किसी भी रूप में उम्मीदवार का पक्षसमर्थन और पक्षप्रचार उम्मीदवार की अपात्रता के तहत उपचारित किया जायेगा जो उम्मीदवार की उम्मीदवारी के निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

22.8. दिनांक 22.12.2015 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र क्रमांक 19-50/2015-डिस्क-यू के अनुसरण के तहत ग्रुप 'सी' और 'बी' पदों पर नियुक्ति के लिए किसी भी तरह के साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जायेगा।

22.9. नियुक्ति के पूर्व, ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' पदों पर चयनित उम्मीदवारों को सरकारी अस्पताल/सरकार/सीजीएचएस नामिकायित अस्पताल द्वारा सम्बंधित सिविल सर्जन या चिकित्सीय अधीक्षक/सम्बंधित अस्पताल के निदेशक द्वारा निर्गत चिकित्सीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र तथा ग्रुप 'ए' पदों पर चयनित उम्मीदवारों को सरकारी अस्पताल/सरकार/सीजीएचएस नामिकायित अस्पताल द्वारा निर्गत चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि उम्मीदवार की पूर्व नियुक्ति के समय चिकित्सा परिषद् द्वारा पूर्व जांच की जा चुकी है और यदि नए पद के लिए निर्धारित चिकित्सा परीक्षा का मानक समान है, तो उसे नए सिरे से चिकित्सा परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रयोजनार्थ, उम्मीदवार को विश्वविद्यालय के पदनामित पदाधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाणपत्र की एक प्रति विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

22.10. नियुक्ति के नियमों और शर्तों को 'नियुक्ति प्रस्ताव' के रूप में उम्मीदवार को सूचित किया जाएगा। यदि उम्मीदवार निर्दिष्ट समय के भीतर नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित नियमों और शर्तों को स्वीकृत नहीं करता है, तो प्रस्ताव को वापस ले लिया जाएगा।

22.11. चयनित उम्मीदवारों को समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। विश्वविद्यालय किसी भी समय अनियत कार्य-समय/अवकाश के दौरान भी स्थिति के अनुरूप आवश्यकतानुसार किसी भी कर्तव्य के निर्दिष्टिकरण के लिए स्वतंत्र होगा जिसे कर्मचारी को किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचते हुए उसे नियत समय में पूर्ण करना होगा।

22.12. चयनित उम्मीदवार भारत सरकार की नई पेंशन योजना, यूजीसी द्वारा विधिवत विस्तारित, जैसा भी हो, द्वारा नियमित होगा।

22.13. चयनित उम्मीदवार विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी सेवा देने के लिए उत्तरदायी होगा।

22.14. कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष इत्यादि या समकक्ष पदों, जहाँ भी लागू हो, पर सीधी नियुक्ति या पदोन्नति/कैरियर प्रगति योजना के अधीन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, चयन समिति का गठन, निर्धारित कोटा, न्युक्ति की प्रक्रिया या अन्य बांछित पात्रता मानदंड इत्यादि, केवल यूजीसी के दिशानिर्देशों/विनियमों के तहत ही नियमित होंगे। भविष्य में यूजीसी/भारत सरकार की अधिसूचना/विनियमों/दिशानिर्देशों में किसी भी प्रकार के संशोधन को विश्वविद्यालय द्वारा पहले से स्वीकृत और शामिल किये गये वर्तमान शर्तों के निर्वर्तन के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा।

22.15. नियुक्ति के समय, विश्वविद्यालय और संबंधित कर्मचारी के बीच एक 'सेवा करार' निष्पादित किया जाएगा और उसकी एक प्रति कुलसचिव के पास सुरक्षित रखी जाएगी। इस तरह के सेवा करार को लागू दरों के अनुसार विधिवत मुद्रांकित किया जायेगा।

22.16. उम्मीदवार द्वारा अपनी आयु, योग्यता, अनुभव आदि से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र, जहाँ भी लागू हो, परीक्षा या साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार अपने आवेदन के साथ सत्यापित संलग्न-पत्रादि के प्रमाणन हेतु मूल प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस संबंध में बिना किसी पूर्व-सूचना के उसकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जायेगा।

22.17. i) विज्ञापन में रिक्तियों का विवरण दर्शाया जाएगा। विश्वविद्यालय पूर्वानुमानित रिक्तियों से सम्बंधित विवरण को भी शामिल कर सकता है, जो उसी वर्ष कर्मचारी(यों) की सेवानिवृति या स्वेच्छिक सेवानिवृति या कर्मचारी द्वारा उसके पूर्व सेवारत पद से त्यागपत्र देने की स्थिति से उत्पन्न रिक्तियों को वर्तमान विज्ञापन की रिक्तियों में ही शामिल कर लिया जायेगा। किसी भी कारण से विज्ञापित पदों को भरने या न भरने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा। हालाँकि, भरे गए पदों की संख्या अनुमानित रिक्तियों सहित विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

ii) विश्वविद्यालय किसी पद को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची भी बना सकता है। यदि मेधा-क्रम सूची में शामिल उच्च श्रेणी का प्रत्याशी चयनित होने के एक वर्ष के भीतर सम्मिलित नहीं होता या फिर इस्तीफा/मृत्यु, किसी भी स्थिति में, तो नियुक्ति प्रस्ताव मेधा-क्रम सूची में शामिल अगले उम्मीदवार को, अन्यथा क्रम में, रिक्तियों को पूर्ण करने में विलम्ब से बचने हेतु, प्रस्तुत किया जायेगा। ये रिक्तियाँ नयी रिक्तियों के अधीन नहीं होगी।

(संदर्भ: DoPT OM No.41010/18/97-Estt(B) दिनांक 13th June, 2000)

iii) विश्वविद्यालय बिना किसी निर्दिष्ट कारण के किसी भी समय आंशिक या पूर्ण रूप से विज्ञापन वापस ले सकता है।

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा किसी पद के लिए प्रत्याहृत विज्ञापन हेतु एकत्र किया गया आवेदन शुल्क उचित समय के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

23. पदोन्नति:

23.1. पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले उम्मीदवारों को निर्गत विज्ञप्ति दिनांक के अनुसार निर्धारित पात्रता मानदंडों का अनुपालन करना होगा।

23.2. जैसा कि वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APARs)/ACR में परिलक्षित है कि, पदोन्नति उम्मीदवार के सामर्थ्य, सदाचरण और परिणामोन्मुखी प्रदर्शन के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। केवल पूर्ववर्ती पाँच वर्षों से नियमित 6600 रु.(श्रेणी-11) वेतनमान प्राप्त 'उत्तम(ग्रेड-5)' प्रदर्शन ही 'विभागीय पदोन्नति समिति' (डीपीसी) द्वारा विचार योग्य होगा। ग्रुप 'ए' के पदों हेतु केवल 7600 रु.(श्रेणी-12) वेतनमान प्राप्त 'अति उत्तम'(ग्रेड-7) प्रदर्शन पर ही विचार किया जाएगा। 'औसत' प्रदर्शन को, जो एक प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, 'विभागीय पदोन्नति समिति' (डीपीसी) द्वारा पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु लिखित/कौशल परीक्षा का आयोजन भी कर सकता है तथा संलग्न अनुसूची के आधार पर अर्हता अंक भी निर्धारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अर्हक सेवा की अवधि के अनुसार, पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर)/एसीआर का अनुवीक्षण भी कर सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट/एसीआर के अनुवीक्षण के दौरान 'विभागीय पदोन्नति समिति' (डीपीसी) विचार हेतु कोई अन्य मानदंड भी तय कर सकता है।

23.3. उपरिवत उल्लिखित उपनियम 23.2 बतौर निर्दिष्ट, 'विभागीय पदोन्नति समिति' (डीपीसी) पदोन्नति हेतु सेवा रिकॉर्ड आधारित कर्मचारियों की उपयुक्तता तथा पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर)/एसीआर का मूल्यांकन कर सकता है।

23.4. वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर)/एसीआर में अगर निर्धारित योग्यता अंक प्राप्त करने हेतु कोई प्रतिकूल प्रविष्टि की जाती है तो पदोन्नति के संदर्भ में किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा उस प्रतिकूल प्रविष्टि की समाप्ति तक विचार नहीं किया जायेगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि को समाप्त नहीं किया जाता या पद्धतिनुसार प्रदर्शन की समीक्षा के बाद भी प्राप्तांक में वृद्धि नहीं करता है, तो संबंधित कर्मचारी को इन नियमों के तहत पद के लिए आवश्यक निर्धारित सन्दर्भ मानक सम्बन्धी रिपोर्ट की अभीष्ट संख्या हेतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

23.5. योग्य उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु भारत सरकार के नियमानुसार वरिष्ठता सूची तथा लिखित परीक्षा का परिणाम (अगर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया हो), वांछित योग्यता, सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर)/एसीआर के संलग्नक, रिक्तियों की संख्या, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षित पदों की संख्या आदि 'विभागीय पदोन्नति समिति' (डीपीसी) को विचारार्थ प्रदान की जाएगी।

23.6. 'चयन' के संदर्भ में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग उम्मीदवारों के पदोन्नति अवसरों को सुनिश्चित करने हेतु निर्वाच्य अधिकारी की विस्तृत परिधि की विचार-परिधि अधिकारियों के सेवा अभिलेखों के आधार पर 'विभागीय पदोन्नति समिति' (डीपीसी) द्वारा निर्धारित की जाएगी।

विभागीय परीक्षा अर्हक श्रेणी की परीक्षा होगी। 'विभागीय पदोन्नति समिति' (डीपीसी) अधिकारियों का मूल्यांकन तथा उम्मीदवारी की योग्यता का निर्धारण स्वयं करेगा तथा 6600 रु.(श्रेणी-11) वेतनमान प्राप्त 'उत्तम(ग्रेड-5)' और 7600 रु.(श्रेणी-12) वेतनमान प्राप्त 'अति उत्तम'(ग्रेड-7) अधिकारियों के पदोन्नति हेतु मूल्यांकन का निर्धारण तदनुसार 'उपयुक्त' और 'अनुपयुक्त' श्रेणी में निर्धारित मानदंडों के आधार पर करेगा। जो 'उपयुक्त' के रूप में श्रेणीबद्ध होंगे वे नियमित रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन सहायक ग्रेड में उनकी अंतर-वरिष्ठता के क्रम में चयनित सूची में शामिल किए जाएंगे। जिन कर्मचारियों को 'विभागीय पदोन्नति समिति' (डीपीसी) द्वारा 'अनुपयुक्त'

की श्रेणी में शामिल किया जायेगा उन्हें चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो 'उपयुक्त' के रूप में श्रेणीबद्ध होंगे उनकी पदोन्नति में कोई निर्वर्तन नहीं किया जायेगा। श्रेणी और प्राप्तांक नीचे उद्धृत हैं:

क्रम संख्या	वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में प्राप्तांक और श्रेणी निर्धारण प्रणाली
1.	श्रेणी '8 से 10' तक को 'उत्कृष्ट' के रूप में प्रमाणित किया जायेगा और नियुक्ति/पदोन्नति हेतु औसत प्राप्तांक की गणना के निहितार्थ 9 प्राप्तांक दिया जाएगा।
2.	श्रेणी '6 से 7' तक को 'अति उत्तम' के रूप में प्रमाणित किया जायेगा और नियुक्ति/पदोन्नति हेतु औसत प्राप्तांक की गणना के निहितार्थ 7 प्राप्तांक दिया जाएगा।
3.	श्रेणी '4 से 6' तक को 'उत्तम' के रूप में प्रमाणित किया जायेगा नियुक्ति/पदोन्नति हेतु औसत प्राप्तांक की गणना के निहितार्थ 5 प्राप्तांक दिया जाएगा।
4.	श्रेणी 4 से कम को 'शून्य' प्राप्तांक दिया जायेगा।

- अ) विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक को रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर वर्ष में कम से कम एक बार संचालित किया जायेगा।
- आ) प्रशासनिक अधिकारी आमतौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय पदोन्नति समिति को दी गई जानकारी सभी मामलों में एकदम सही और क्रमानुसार हो और इस उद्देश्य हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की टिप्पणी का एक अंश होगा।
- इ) किसी भी प्रकार का दंड (छोटा या बड़ा) पदोन्नति या पुष्टि के लिए उम्मीदवार की पात्रता में अवरोध निर्मित करेगा। हालांकि, 'आक्षेप' जैसी छोटी दंड संहिता पदोन्नति या पुष्टि के लिए उम्मीदवार की पात्रता में अवरोध निर्मित नहीं करेगा विशेषतः निर्देश में उल्लिखित पात्रता अवरोध के संदर्भ में अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो।
- ई) निम्नलिखित मामलों को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के संज्ञान में लाया जाएगा:
1. निलंबित कर्मचारी
 2. जिनके संबंध में एक आरोप-पत्र निर्गत है और अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है
 3. जिनके संबंध में फौजदारी का अभियोग लंबित है।

विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) अनुशासनात्मक अभिमुखता के सम्बन्ध में उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगा। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के विष्कर्ष परिणाम को मुहरबंद आवरण में रखा जायेगा जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के कार्यवाही के दौरान दर्ज तथ्य शामिल होंगे। अनुशासनात्मक/आपराधिक मामलों की समाप्ति तक अनुवर्ती विभागीय पदोन्नति समितियों(डीपीसी) द्वारा समान प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा। मामले की समाप्ति पर मुहरबंद आवरण को खोला जायेगा। यदि अधिकारी दोषमुक्त पाया जाता है तो उसकी पदोन्नति की नियत तिथि निर्धारित की जाएगी तथा वह अनुमानतः अपने कनिष्ठ की पदोन्नति तिथि के संदर्भ में पदोन्नत कर दिया जायेगा और आवश्यकतानुसार कनिष्ठ अधिकारी का स्थानापन्न भी किया जा सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तय किया जायेगा कि बकाये वेतन का किस सीमा तक भुगतान किया जाए। बकाया राशि से वंचित किये जाने के यथोचित कारण दर्ज किये जायेंगे। दोषी पाए जाने पर, मुहरबंद आवरण के विष्कर्ष परिणाम पर विचार नहीं किया जायेगा।

- उ) अधिकारियों के घटाटोप मामले विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की मंजूरी के उपरांत भारत सरकार के नियमानुसार तय किये जायेंगे।

24. विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के कार्य:

24.1. विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ग्रुप ए, बी और सी कर्मचारियों के सभी मामलों पर विचार और अनुशांसा करेगी। विभिन्न श्रेणियों के पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) गठन विश्वविद्यालय के कैडर नियुक्ति नियम के तहत निर्धारित किया जाएगा।

24.2. पदोन्नति मामलों पर विचार करते समय, विभागीय पदोन्नति समिति निम्नलिखित पर विचार करेगी:

- i) समय-समय पर प्रयोज्य नियमों/अधिनियमों/अध्यादेशों/विश्वविद्यालय/यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों और भारत सरकार के प्रबंधित

नियम।

ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड और छूट/रियायतें।

iii) कार्य और व्यवहार विवरण।

iv) सक्षम प्राधिकारी के पास उपलब्ध वार्षिक संपत्ति विवरण (एपीआर) के साथ पूर्ववर्ती पांच वर्षों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट(एपीएआर)/एसीआर का अनुवीक्षण। अनुवीक्षण के दौरान विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) अध्यादेश/ अधिनियमों/भारत सरकार के विनियमों में उल्लिखित निर्धारित मानदंडों को भी स्वीकृत कर सकता है।

v) सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र

vi) भारत सरकार/यूजीसी की आरक्षण नीति के तहत कैडर के रोस्टर अंक।

vii) विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित साक्षात्कार / कौशल परीक्षण / लिखित परीक्षा में प्रदर्शन।

viii) पूर्वोक्त दस्तावेजों यथा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट(एपीएआर)/एसीआर, सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र, रोस्टर, नियुक्ति नियम इत्यादि पर आधारित योग्यता का निर्धारण और मामलों का अनुवीक्षण।

नोट: यदि किसी विशेष अवधि के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट(एपीएआर)/एसीआर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस तथ्य के बावजूद लिखित/समर्थित नहीं है कि सम्बंधित कर्मचारी विधिवत पूर्ण स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रमाण सम्बंधित संभाग को प्रस्तुत करता है तो विभागीय पदोन्नति समिति/अनुवीक्षण समिति उस विशेष अवधि वाले रिपोर्ट की उपेक्षा कर तत्काल अनुवर्ती अवधि वाले रिपोर्ट पर विचार करेगी।

स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रस्तुति के प्रमाण हेतु सम्बंधित कर्मचारी को उचित पावती का निर्गमन और सम्बंधित पंजिका में प्रविष्टि करना निर्दिष्ट प्राधिकारी का अनिवार्य आज्ञापक हिस्सा होगा। प्रक्रिया पूर्ण होने तक वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट(एपीएआर)/एसीआर के प्रत्येक संचलन के संबंध में प्रासंगिक पंजिका में उचित प्रविष्टि अनिवार्य है।

25. पदोन्नति प्रणाली:

25.1. पदों में पदोन्नति की शर्तों के अतिरिक्त, जैसा कि 23वें भाग में उपरिवत उल्लिखित है, विश्वविद्यालय किसी भी श्रेणी के पदों के संबंध में पदोन्नति हेतु अनुसरण की जाने वाली पद्धति और प्रक्रिया निश्चित कर सकता है। इस प्रयोजनार्थ, विश्वविद्यालय अपने विवेक पर, तथ्यात्मक तरीके से किसी भी पद की कार्यनिर्वाह-क्षमता के अधिगम हेतु वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता या लिखित परीक्षा का आयोजन या अन्य वृत्तिक परीक्षाओं में से किसी भी आधार पर योग्यता अंक के निर्धारण के साथ चयन कर सकता है। ऐसे मामलों में, कम से कम एक बाह्य विशेषज्ञ का संसर्ग अनिवार्य होगा।

25.2. मात्र पात्रता की धारिता से उम्मीदवार पदोन्नति का अधिकारी नहीं होगा। वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर)/एसीआर, सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र जैसी औपचारिकताओं के पूर्ण होने के बाद भी, कर्मचारियों की योग्यता के मूल्यांकन और निर्धारण हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्तुतित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों को पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा।

25.3. ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' से संबंधित गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी पदोन्नति उनके संस्थान में शामिल होने की तिथि से प्रभावी हो जायेंगे।

25.4. कंप्यूटर सम्बन्धी ज्ञान के साथ टंकण परीक्षा/कौशल परीक्षा में न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक, अर्धवृत्तिक सहायक, पुस्तकालय सहायक तथा तदनुसार अभिज्ञात दूसरे पदों के लिए पदोन्नति की अनिवार्य शर्त होगी। इसके अतिरिक्त, कंप्यूटर सम्बन्धी ज्ञान के साथ टंकण परीक्षा/कौशल परीक्षा में न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना विश्वविद्यालय के सभी व्यक्तिगत सहायकों के लिए अनिवार्य आवश्यकता होगी, जिन्हें निजी सचिव के रूप में पदोन्नति के लिए इन नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित किया जाएगा। विश्वविद्यालय भविष्य में अनुपालन की विफलता की स्थिति में किसी भी शर्त को अधिरोपित कर सकता है जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी उम्मीदवार की वेतन वृद्धि को रोकने का भी आदेश दे सकता है।

26. अनौपचारिक पदोन्नति:

यथानिर्धारित उपरिवत नियम 23 में उल्लिखित, यदि कोई रिक्त पद विद्यमान है और पदोन्नति हेतु सहायक कैडर में योग्य कर्मचारी अनुपब्ध है, तो सक्षम प्राधिकारी सभी प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात अनौपचारिक आधार पर एक कर्मचारी

को अपने विवेक पर एक वर्ष की अधिकतम अवधि तक पदोन्नत करने पर विचार कर सकता है। हालांकि, इस व्यवस्था को एक वर्ष से अधिक जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि संबंधित कर्मचारी को नियमित पदोन्नति हेतु सुविचारित नहीं किया जाता।

27. पैनल:

पदोन्नति/सीधी नियुक्ति हेतु निर्मित पैनल, आम तौर पर क्रमशः विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि/सिफारिशों की स्वीकृति की तिथि तक मान्य होगा।

28. संशोधित आश्वासित वृत्ति आरोहण योजना(एमएसीपी)/ वृत्ति विकास योजना(सीएएस)/ गत्यात्मक आश्वासित वृत्ति आरोहण योजना:

विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में वृत्ति विकास योजनाएँ यथा संशोधित आश्वासित वृत्ति आरोहण योजना(एमएसीपी)/ वृत्ति विकास योजना(सीएएस)/ गत्यात्मक आश्वासित वृत्ति आरोहण योजना(डीएएसपी) के तहत वित्तीय उन्नयन तदनुसार संशोधित और विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृत प्रयोज्य नियमों/अधिनियमों/अध्यादेशों/विश्वविद्यालय/यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों और भारत सरकार के प्रबंधित नियम के आधार पर स्वीकृत की जाएगी।

- अ) गैर-शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में यूजीसी द्वारा कार्यान्वयन हेतु विधिवत संवादित भारत सरकार की आश्वासित वृत्ति आरोहण योजना(एमएसीपी) समय-समय पर भारत सरकार / यूजीसी द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार 01.09.2008 से प्रभावी होगा।
- आ) संयुक्त कुलसचिव या समकक्ष श्रेणी के पदों के वेतनमान के उन्नयन के संदर्भ में, कुलसचिव चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कुलपति कम से कम एक बाह्य विशेषज्ञ और अन्य सदस्यों, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग उम्मीदवार आदि का प्रतिनिधित्व करेंगे, जहाँ भी यूजीसी/भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार आवश्यक हो, नामांकित करेंगे।
- इ) पूर्वोक्त उल्लिखित वृत्ति विकास योजनाओं के कार्यान्वयन सम्बन्धी विवाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में यूजीसी का निर्णय ही अंतिम होगा।

29. समायोजन के साथ या बिना प्रतिनियुक्ति:

यदि कैडर नियुक्ति नियम के तहत किसी पद हेतु चयन की सम्यक प्रक्रिया के आधार पर प्रतिनियुक्ति आधारित नियुक्ति की जाती है तो सम्बंधित पदाधिकारी को भारत सरकार द्वारा विशेष कैडर के लिए तदानुसार निर्धारित अवधि तक या सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, सेवा जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। आरंभ में प्रतिनियुक्ति आधारित नियुक्ति तीन साल की अवधि (संविधिक पदों को छोड़कर) के लिए की जा सकती है, जिसे सक्षम प्राधिकरण के विवेकानुसार संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर विस्तारित किया जा सकता है। हालाँकि, विश्वविद्यालय के पास किसी भी समय पदाधिकारियों/संविधिक पदाधिकारों के प्रदर्शन, उनकी सत्यनिष्ठता और आचरण के असंतोषजनक पाए जाने पर, सक्षम प्राधिकारी की संस्तुति से, पदाधिकारियों/संविधिक पदाधिकारों को प्रत्यादेशित करने का अधिकार होगा। सामान्यतः प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय के किसी भी पद पर समायोजित नहीं किया जाएगा। यदि विश्वविद्यालय के सुविधानुसार किसी व्यक्ति के समायोजन का निर्णय लिया जाता है तो विश्वविद्यालय ऐसी स्थिति में, विशेष रूप से विज्ञप्ति में उल्लिखित समायोजन के पक्ष को अपने व्यवस्थापक संगठन की सहमति हेतु अग्रप्रेषित कर सकता है। व्यवस्थापक संगठन की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् मामले को अंतिम निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। यदि उम्मीदवार विश्वविद्यालय में समायोजित हो जाता है, तो उसे भारत सरकार के नियमानुसार उस विशेष संवर्ग आधारित वरिष्ठता सौंपी जाएगी।

30. परिवीक्षा:

30.1. सीधी नियुक्ति के मामले में, चयनित उम्मीदवार को इन नियमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से, असंतोषजनक प्रदर्शन, कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष तक विस्तारित कर सकता है। हालाँकि, परिवीक्षा अवधि विस्तारण सम्बन्धी कोई भी निर्णय, सामान्यतः परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व के आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और संबंधित कर्मचारी को लिखित रूप में उक्त अवधि के भीतर औचित्य कारणों के साथ लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि या इसके किसी भी विस्तारण के पूर्ण होने पर, कर्मचारियों को, यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है, जैसा भी हो, नियमित रूप से नियुक्तियों में प्रतिधारित तथा उपलब्ध विधिवत प्रस्तावित रिक्तियों में स्थायी किया जा सकता है। यदि इस के बावजूद कोई उल्लेखनीय सुधार दृष्टिगोचित नहीं होता है तो उम्मीदवार को एक महीने की अग्रिम सूचना या सूचना के बदले एक माह का अग्रिम वेतन प्रदान कर सेवाच्युत कर दिया जायेगा। संबंधित कर्मचारी एक

महीने की सूचना प्रस्तुत कर त्यागपत्र देने के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है।

परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों में, कर्मचारी समय-समय पर इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों द्वारा शासित होगा।

30.2. आगामी उच्चतर पदश्रेणी में पदोन्नति की अवस्था में, कर्मचारियों को संस्था में शामिल होने की तिथि से दो साल की अवधि तक परिवीक्षा पर नियत किया जाएगा। अनुपयोज्यता, कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर या पदोन्नत पद पर उम्मीदवार नियुक्ति की सेवा शर्तों के अनुपालन में विफल रहता है तो नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से, परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष तक विस्तारित कर सकता है। यदि इस के बावजूद कोई उल्लेखनीय सुधार दृष्टिगोचर नहीं होता है, तो उम्मीदवार को तत्काल प्रभाव से उसके मूल पद पर वापस भेज दिया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी के पदोन्नति के कारण अनुवर्ती रिक्तियों के निमित्त पदोन्नत सभी कर्मचारियों को उनके संबंधित मूल पदों पर वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि, सामान्य पद श्रेणी के भीतर पदोन्नति हेतु कोई परिवीक्षा नहीं होगी

नोट:

- i) यदि कोई कर्मचारी जिसे किसी पद पर नियुक्त/पदोन्नत किया गया है तो अंशतः या परिवीक्षा अवधि के दौरान दो माह या उससे अधिक की अवधि के लिए अवकाश का लाभ उठा सकता है, इस स्थिति में उसकी परिवीक्षा को समानुपातिक रूप से अर्थात् सम्बंधित कर्मचारी द्वारा प्राप्त कुल अवकाश को समानुपातिक विस्तारित किया जायेगा।
- ii) किसी भी विषय या असंगत परिस्थिति के परिवर्जन के उद्देश्य से, अधिकारियों की परिवीक्षा के सभी मामलों की हर छह माह के अन्तराल पर समीक्षा की जाएगी। यदि किसी अधिकारी के प्रदर्शन की समीक्षा का परिणाम असंतोषजनक या आदर्शानुकूल नहीं पाया जाता है तो, उसे परिवीक्षा अवधि के दौरान असंतोषजनक प्रदर्शन के परिणामों से अवगत कराया जाएगा। इस तरह के मूल्यांकन का निर्गमन अग्रिम तौर पर किया जायेगा जिसके बाद संबंधित अधिकारी के प्रदर्शन को निरंतर पर्यवेक्षित भी किया जायेगा।
- iii) उपयुक्त प्रावधानों में अंतर्विष्ट होने के बावजूद, यदि परिवीक्षाधीन परिवीक्षाअवधि के दौरान निलंबित किया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी की उपयुक्तानुसार परिवीक्षा की अवधि को विस्तारित किया जा सकता है।
- iv) अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को, नियमानुकूल, उनके मूल विभाग/कार्यालय से निस्तारण के समय उन्हें मूल विभाग/कार्यालय को त्यागपत्र देने को कहा जा सकता है। इस संदर्भ में उम्मीदवार को मूल विभाग/कार्यालय को त्यागपत्र देने के संबंध में उसके द्वारा आवेदित पद पर चयन और नियुक्ति की स्थिति में, आवेदन अग्रेषण के समय एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रक्रिया एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसी संस्था में सीधी नियुक्ति हेतु आवेदन के संदर्भ में भी संप्रयोजित किया जा सकता है।
- v) विश्वविद्यालय का कर्मचारी विभागीय संपुष्टि समिति के माध्यम से ही स्थायी रूप से नियुक्त किया जायेगा।
- vi) 'सेवा अनुबंध' पर हस्ताक्षर के बिना विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को उसके पद पर स्थायी नहीं किया जायेगा।
- vii) प्रतिनियुक्ति, पदावधि या सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
- viii) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षाधीन की नियुक्ति या परिवीक्षा की सामान्य अवधि के विस्तारण की समाप्ति के पक्ष में लिखित कारणों को दर्ज किया जायेगा।

31. भारत सरकार के नियमों/यूजीसी विनियमों का संप्रयोग:

* यदि नियुक्ति और पदोन्नति या नियमों के तहत वरिष्ठता-क्रम सम्बन्धी कोई भी विशेष प्रावधान निष्क्रिय है, तो यथोचित परिवर्तन के साथ भारत सरकार/यूजीसी में वर्तमान अनुवर्ती नियमों और निर्धारित योग्यताओं को संप्रयोजित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न अनुसूचित पदों के वेतनमान को भी भारत सरकार/यूजीसी विनियमों/निर्देशों के आधार पर तदनुसार संशोधित किया जायेगा।

32. छूट/रियायतें प्रदान करने का अधिकार:

32.1. भारत सरकार के दिशानिर्देशों/यूजीसी विनियमों के अनुसार आरक्षित पदों हेतु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग उम्मीदवारों या किसी अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु, अनुभव, अर्हता अंक आदि में छूट/रियायत

प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य के निहितार्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निर्धारित आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए। जहाँ कहीं भी अंक प्रतिशत सहित अर्हता में, भारत सरकार/यूजीसी के नियमानुसार, छूट/रियायत प्रदान की जाती है तो इन छूट/रियायतों को भी अनुवीक्षण समिति की संस्तुति का यथोचित मामला माना जायेगा।

32.2. प्रत्येक श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में भी आयु में छूट/रियायत प्रदान की जाएगी:

क्रम संख्या	आवेदक की श्रेणी	आयु में छूट/रियायत की सीमा
1.	केंद्रीय सरकार/ राज्य / केंद्रीय विश्वविद्यालयों/ यूजीसी संधृत डीम्ड विश्वविद्यालयों/ अन्य केंद्रीय/ राज्य स्तरीय स्वायत्त निकायों/ संगठनों/संस्थानों के नियमित कर्मचारी	भारत सरकार के नियमानुसार
2.	सेवानिवृत्त कर्मचारी	

पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' के विभागीय उम्मीदवारों के लिए, ग्रुप 'सी' के पदों पर नियुक्ति हेतु उच्चतम आयु सीमा, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन्होंने विश्वविद्यालय में तीन साल की नियमित सेवा प्रदान की हो, उनमें से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 40 वर्ष और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को 45 वर्ष तक की छूट/रियायत प्रदान की जाएगी।

33. अपात्रता/अनर्हता/अयोग्यता:

विश्वविद्यालय में निम्न श्रेणी के आवेदक किसी भी पद पर आवेदन हेतु अयोग्य होंगे:

33.1. जिसे न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया हो या जिसके खिलाफ न्यायालय में कोई आपराधिक मामला दर्ज हो या लंबित पड़ा हो;

33.2. जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अस्वस्थ चित्त और संदिग्ध आचरण या चिकित्सीय रूप से उपयुक्त नहीं है।

33.3. जो अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए दोब्याहता है, बशर्ते कि विश्वविद्यालय का सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत दूसरे पक्ष में ऐसी शादी उपयुक्त/अनुकूल है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को इन नियमों की संक्रिया और प्रचालन से छूट/रियायत रहेगी,

33.4. जो भारत का नागरिक नहीं है; तथा

33.5. तद्समय, भारत सरकार/यूजीसी द्वारा नियुक्ति हेतु अयोग्य किसी भी श्रेणी का आवेदक

34. सतर्कता अनापत्ति:

34.1. उम्मीदवार जो पहले से ही सेवारत है उन्हें इस उद्देश्य से नियोक्ता या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक/आपराधिक मामला अवेक्षित नहीं है। यह सीधे मूल व्यवस्थापक विभाग द्वारा भेजा जाएगा या लिखित/ कौशल परीक्षण/ साक्षात्कार के समय या आवेदन के साथ मुहरबंद आवरण में संबंधित कर्मचारी को सुपुर्द कर दिया जाएगा।

34.2. उम्मीदवार द्वारा किसी भी तथ्यात्मक जानकारी का स्वेच्छा गोपन या योग्यता/अर्हता सम्बन्धी फर्जी दस्तावेजों की आपूर्ति, आवेदन में भ्रामक तथ्यों व सूचनाओं की आपूर्ति या उपलब्धि, जाति, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव या आवासीय सम्बन्धी दस्तावेजों में फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध विश्वविद्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास फर्जी दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल करने का तथा नियुक्ति प्रक्रिया या सेवा अवधि के दौरान अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत अधिकार होगा। यदि इनमें से कोई भी कृत्य सत्य पाया जाता है तो उम्मीदवार को पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या यदि पहले से ही नियुक्त है तो उसकी सेवाओं को कार्यवाही के पालन के पश्चात् तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।

35. मतभेद निवारण:

यदि इन नियमों के किसी भी प्रावधान के कार्यान्वयन या प्रचालन में कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो कुलपति द्वारा तद्समय कार्यकारी परिषद के अनुमोदनोपरांत मतभेद निवारण हेतु सामान्य या विशिष्ट लेकिन भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय/ यूजीसी के अधिनियम, संविधि, अध्यादेशों या निर्देशों के सुसंगत प्रावधान जारी कर सकता है।

36. स्पष्टीकरण:

नियमों के किसी भी अस्पष्ट परिच्छेद के स्पष्टीकरण सम्बन्धी मामले यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे।

37. नियमों में संशोधन:

कार्यकारी परिषद् के पास विश्वविद्यालय/भारत सरकार के मानकों/यूजीसी दिशानिर्देशों या विनियमों से संबंधित अध्यादेशों के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार, इनमें से किसी भी या सभी नियमों में संशोधन, परिवर्तन, निलंबित करने और रियायत देने का अधिकार होगा।

38. अवशिष्ट मामले:

इन नियमों में निर्दिष्ट या संदर्भित नहीं किए गए मामलों के संबंध में, यूजीसी द्वारा उनके कर्मचारियों हेतु प्रदान किए गए या भारत सरकार द्वारा तत्समय संशोधित प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। यदि इन नियमों में कोई विशेष प्रावधान विश्वविद्यालय/यूजीसी विनियमों/ दिशानिर्देशों के अधिनियम/ कानून/ अध्यादेशों के किसी प्रावधान के विरुद्ध है, तो अधिनियम/ कानून/ अध्यादेश/ यूजीसी विनियम/ दिशानिर्देश के प्रावधान प्रचलित होंगे और इन नियमों के अधीन ये प्रावधान अतिष्ठित होंगे।

39. अखिल भारतीय सेवा प्रदान करने हेतु अधिकारियों की देयता:

नियुक्त किए गए कर्मचारी विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में भारत में कहीं भी सेवा प्रदान करने के निमित्त प्रदेय होंगे।

40. प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र:

किसी भी विवाद के मामले में, अधिनिर्णयन हेतु प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय गुजरात, अहमदाबाद होगा।

41. निरस्तीकरण:

इन नियमों के तहत आने वाले मामलों के संबंध में सभी मौजूदा नियम और आदेश निरस्त किये जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा नियमों और आदेशों के अनुकूल की गयी किसी भी कार्यवाही को इन नियमों के तहत ही लिया गया माना जाएगा।

अनुसूची-II

गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की सीधी नियुक्ति हेतु चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय संपुष्टि समिति**1. चयन समितियों का गठन निम्नलिखित होगा:**

अ) **ग्रुप 'ए'** पदों हेतु (संविधिक और यूजीसी द्वारा आवृत पदों के अतिरिक्त)

1.	कुलपति/सम-कुलपति* (*कुलपति की अनुपस्थिति में)	:	अध्यक्ष
2.	कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित पैनल से बाहर कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त दो विशेषज्ञ ।	:	सदस्य
3.	कार्यकारी परिषद् का मनोनित सदस्य	:	सदस्य
4.	अगर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / दिव्यांग उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करने वाला उम्मीदवार आवेदक है तो एक प्रतिनिधि, यदि चयन समिति का कोई भी सदस्य इन वर्गों से सम्बंधित नहीं हैं, कुलपति द्वारा नामित किया जाता है।	:	सदस्य

आ) **ग्रुप 'बी'** पदों हेतु:

1.	सम-कुलपति* (*सम-कुलपति की अनुपस्थिति में कुलसचिव या कुलपति द्वारा प्रोफेसर श्रेणी का मनोनीत सदस्य)	:	अध्यक्ष
2.	कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित पैनल से बाहर कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त दो विशेषज्ञ ।	:	सदस्य
3.	अगर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / दिव्यांग उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करने वाला उम्मीदवार आवेदक है तो एक प्रतिनिधि, यदि चयन	:	सदस्य

	समिति का कोई भी सदस्य इन वर्गों से सम्बंधित नहीं हैं, कुलपति द्वारा नामित किया जाता है।		
4.	कुलसचिव/संयुक्त कुलसचिव/उपकुलसचिव	:	सदस्य

ग्रुप 'सी' पदों हेतु:

1.	कुलसचिव	:	अध्यक्ष
2.	कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित पैनल से बाहर कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त दो विशेषज्ञ ।	:	सदस्य
3.	अगर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / दिव्यांग उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करने वाला उम्मीदवार आवेदक है तो एक प्रतिनिधि, यदि चयन समिति का कोई भी सदस्य इन वर्गों से सम्बंधित नहीं हैं, कुलपति द्वारा नामित किया जाता है।	:	सदस्य

2) विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय संपुष्टि समिति का गठन निम्नलिखित होगा:

अ) ग्रुप 'ए' पदों हेतु (संविधिक पदों के अतिरिक्त)

1.	कुलपति/सम-कुलपति* (*कुलपति की अनुपस्थिति में)	:	अध्यक्ष
2.	कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित पैनल से बाहर कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त एक विशेषज्ञ ।	:	सदस्य
3.	सम्बंधित विभाग का विभागाध्यक्ष	:	सदस्य
4.	अगर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / दिव्यांग उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करने वाला उम्मीदवार आवेदक है तो एक प्रतिनिधि, यदि चयन समिति का कोई भी सदस्य इन वर्गों से सम्बंधित नहीं हैं, कुलपति द्वारा नामित किया जाता है।	:	सदस्य

आ) ग्रुप 'बी' पदों हेतु:

1.	सम-कुलपति* (*सम-कुलपति की अनुपस्थिति में कुलसचिव या कुलपति द्वारा प्रोफेसर श्रेणी का मनोनीत सदस्य)	:	अध्यक्ष
2.	कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित पैनल से बाहर कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त एक विशेषज्ञ ।	:	सदस्य
3.	सम्बंधित विभाग का विभागाध्यक्ष	:	सदस्य
4.	अगर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / दिव्यांग उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करने वाला उम्मीदवार आवेदक है तो एक प्रतिनिधि, यदि चयन समिति का कोई भी सदस्य इन वर्गों से सम्बंधित नहीं हैं, कुलपति द्वारा नामित किया जाता है।	:	सदस्य
5.	कुलसचिव/ संयुक्त कुलसचिव/उपकुलसचिव	:	सदस्य

इ) ग्रुप 'सी' पदों हेतु:

1.	कुलसचिव	:	अध्यक्ष
2.	कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित पैनल से बाहर कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त एक विशेषज्ञ ।	:	सदस्य
3.	सम्बंधित विभाग का विभागाध्यक्ष	:	सदस्य

4.	अगर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / दिव्यांग उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करने वाला उम्मीदवार आवेदक है तो एक प्रतिनिधि, यदि चयन समिति का कोई भी सदस्य इन वर्गों से सम्बंधित नहीं हैं, कुलपति द्वारा नामित किया जाता है।	:	सदस्य
5.	संयुक्त कुलसचिव/सहायक कुलसचिव	:	सदस्य

पदों का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	पद नाम	ग्रुप	मूल वेतनमान 6वें सीपीसी के अनुसार		7वां सीपीसी भुगतान आव्यूह	पदों की संख्या
			भुगतान अनुबंध (रू.)	भुगतान श्रेणी (रू.)		
	प्रशासनिक/सेवा सम्बन्धी सेवाएँ					
1	कुलसचिव	ए	37400-67000	10000	श्रेणी 14	1
2	वित्त अधिकारी	ए	37400-67000	10000	श्रेणी 14	1
3	परीक्षा नियंत्रक	ए	37400-67000	10000	श्रेणी 14	1
4	उपकुलसचिव	ए	15600-39100	7600	श्रेणी 12	2
5	सहायक कुलसचिव	ए	15600-39100	5400	श्रेणी 10	4
6	अनुभाग अधिकारी	बी	9300-34800	4600	श्रेणी 7	6
7	सहायक	बी	9300-34800	4200	श्रेणी 6	8
8	उच्च श्रेणी लिपिक	सी	5200-20200	2400	श्रेणी 4	9
9	अवर श्रेणी लिपिक	सी	5200-20200	1900	श्रेणी 2	19
10	बहुकार्यन कर्मचारी	सी	5200-20200	1800	श्रेणी 1	6
	पृथक सेवाएँ					
11	आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी	ए	15600-39100	7600	श्रेणी 12	1
12	जनसंपर्क अधिकारी	ए	15600-39100	5400	श्रेणी 10	1
13	सांख्यिकी सहायक	सी	5200-20200	2800	श्रेणी 5	1
	सचिवालयीय सेवाएँ					
14	निजी सचिव	बी	9300-34800	4600	श्रेणी 7	5
15	निजी सहायक	बी	9300-34800	4200	श्रेणी 6	3
	पुस्तकालीय सेवाएँ					
16	पुस्तकालयाध्यक्ष	ए	37400-67000	10000	अकादमिक श्रेणी 14	1

17	उप-पुस्तकालयाध्यक्ष	ए	15600-39100	8000	अकादमिक श्रेणी 12	1
18	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	ए	15600-39100	6000	अकादमिक श्रेणी 10	2
19	सूचना वैज्ञानिक	ए	15600-39100	5400	श्रेणी 10	1
20	वृत्तिक सहायक	बी	9300-34800	4200	श्रेणी 6	2
21	अर्धवृत्तिक सहायक	सी	5200-20200	2800	श्रेणी 5	2
22	पुस्तकालय सहायक	सी	5200-20200	2000	श्रेणी 3	2
23	पुस्तकालय परिचर	सी	5200-20200	1800	श्रेणी 1	5
तकनीकी/प्रयोगशाला सेवाएँ						
24	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	बी	9300-34800	4200	श्रेणी 6	2
25	तकनीकी सहायक	सी	5200-20200	2800	श्रेणी 5	5
26	प्रयोगशाला सहायक	सी	5200-20200	2400	श्रेणी 4	7
27	प्रयोगशाला परिचर	सी	5200-20200	1800	श्रेणी 1	7
सूचना और संचार तकनीकी सेवाएँ						
28	तंत्र विश्लेषक	ए	15600-39100	5400	श्रेणी 10	1
29	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	बी	9300-34800	4200	श्रेणी 6	1
	(संगणक)	B	9300-34800	4200		
30	तकनीकी सहायक (संगणक)	सी	5200-20200	2800	श्रेणी 5	1
चिकित्सीय सेवाएँ						
31	चिकित्सा अधिकारी	ए	15600-39100	5400	श्रेणी 10	2
32	नर्सिंग अधिकारी	बी	9300-34800	4600	श्रेणी 7	1
33	औषध विक्रेता	सी	5200-20200	2800	श्रेणी 5	1
34	प्रसाधक/चिकित्सा परिचर	सी	5200-20200	1800	श्रेणी 1	1
अभियांत्रिकी सेवाएँ						
35	कार्यपालक अभियंता	ए	15600-39100	6600	श्रेणी 11	1
36	सहायक अभियंता	बी	9300-34800	4600	श्रेणी 7	1

37	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	बी	9300-34800	4200	श्रेणी 6	1
38	कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल)	बी	9300-34800	4200	श्रेणी 6	1
	राजभाषा सेवाएँ					
39	हिंदी अधिकारी	ए	15600-39100	5400	श्रेणी 10	1
40	हिंदी अनुवादक	बी	9300-34800	4200	श्रेणी 6	1
41	हिंदी टंकक	सी	5200-20200	1900	श्रेणी 2	1
	सुरक्षा सेवाएँ					
42	सुरक्षा अधिकारी	बी	9300-34800	4600	श्रेणी 7	1
43	सुरक्षा निरीक्षक	सी	5200-20200	2800	श्रेणी 5	1
	अतिथिगृह/छात्रावास सेवाएँ					
44	बावर्ची	सी	5200-20200	1900	श्रेणी 2	3
45	रसोई परिचर	सी	5200-20200	1800	श्रेणी 1	2
46	छात्रावास परिचर	सी	5200-20200	1800	श्रेणी 1	2
	परिवहन सेवाएँ					
47	ड्राइवर	सी	5200-20200	1900	श्रेणी 2	5

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

कुलसचिव

1.	पदनाम	कुलसचिव
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 14
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	57 वर्ष से कम
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <p>i) स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड।</p> <p>ii) अकादमिक श्रेणी 11 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कम से कम 15 वर्ष का अनुभव तथा अकादमिक श्रेणी 12 में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कम से कम 8 वर्षों का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>अनुसंधान स्थापना और / या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनात्मक अनुभव।</p>

		या उप-कुलसचिव या समकक्ष पद पर 8 वर्षों समेत 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव ।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	लागू नहीं
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक यानी 62 वर्ष, जो भी पहले हो, सीधी नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	प्रतिनियुक्ति: पत्रभाग 7 में उल्लिखित
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	<p>i. कुलपति-अध्यक्ष</p> <p>ii. कुलाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति</p> <p>iii. कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित दो सदस्य</p> <p>iv. कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित एक सेवानिवृत्त व्यक्ति</p> <p>v. कुलपति द्वारा अनुशंसित कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित सम्बंधित क्षेत्र के दो विशेषज्ञ</p> <p>vi. अगर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / दिव्यांग उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करने वाला उम्मीदवार आवेदक है तो एक प्रतिनिधि, यदि चयन समिति का कोई भी सदस्य इन वर्गों से सम्बंधित नहीं हैं, कुलपति द्वारा नामित किया जाता है।</p> <p>नोट:</p> <p>i) (i) और (v) के अतिरिक्त, गणपूर्ति की संरचना में कम से कम चार सदस्य होंगे, जिनमें से दो बाह्य विशेषज्ञ होंगे।</p> <p>ii) चयन समिति की बैठक कुलाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति और कार्यकारी परिषद् द्वारा मनोनीत विशेषज्ञों के सुविधानुसार तय की जाएगी।</p> <p>संदर्भ: केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की संविधि 18 (3)</p>

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

वित्त अधिकारी

1.	पदनाम	वित्त अधिकारी
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणी/विभाग	ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 14
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	57 वर्ष से कम

7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <p>i) स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड।</p> <p>ii) अकादमिक श्रेणी 11 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कम से कम 15 वर्ष का अनुभव तथा अकादमिक श्रेणी 12 में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कम से कम 8 वर्षों का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>अनुसंधान स्थापना और / या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनात्मक अनुभव।</p> <p>या</p> <p>उप-कुलसचिव या समकक्ष पद पर 8 वर्षों समेत 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव।</p>
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	लागू नहीं
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक यानी 62 वर्ष, जो भी पहले हो, सीधी नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>श्रेणी 12 की भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं से संबंधित या केंद्र / राज्य सरकार में अन्य समान संगठित सेवाओं से सम्बंधित अधिकारियों को वरीयता।</p> <p>या</p> <p>जैसा कि पत्रभाग 7 में उल्लिखित है, विश्वविद्यालय प्रणाली / अन्य संगठन योग्यता आपूर्ति अधीन, जो भी पहले हो, 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक।</p>
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	<p>i) कुलपति-अध्यक्ष</p> <p>ii) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति</p> <p>iii) कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित दो सदस्य</p> <p>iv) कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित एक सेवानिवृत्त व्यक्ति</p> <p>v) कुलपति द्वारा अनुशंसित कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित सम्बंधित क्षेत्र के दो विशेषज्ञ</p> <p>vi) अगर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / दिव्यांग उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करने वाला उम्मीदवार आवेदक है तो एक प्रतिनिधि, यदि चयन समिति का कोई भी सदस्य इन वर्गों से सम्बंधित नहीं हैं, कुलपति द्वारा नामित किया जाता है।</p> <p>नोट:</p> <p>i) (i) और (v) के अतिरिक्त, गणपूर्ति की संरचना में कम से कम चार सदस्य होंगे, जिनमें से दो बाह्य विशेषज्ञ होंगे।</p> <p>ii) चयन समिति की बैठक कुलाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति और और कार्यकारी परिषद् द्वारा मनोनीत विशेषज्ञों के सुविधानुसार तय की जाएगी।</p> <p>संदर्भ: केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की संविधि 18 (3)</p>

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

परीक्षा नियंत्रक

1.	पदनाम	परीक्षा नियंत्रक
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 14
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	57 वर्ष से कम
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <p>i) स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड ।</p> <p>ii) अकादमिक श्रेणी 11 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कम से कम 15 वर्ष का अनुभव तथा अकादमिक श्रेणी 12 में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कम से कम 8 वर्षों का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>अनुसंधान स्थापना और/ या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनात्मक अनुभव।</p> <p>या</p> <p>उप-कुलसचिव या समकक्ष पद पर 8 वर्षों समेत 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव ।</p>
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	लागू नहीं
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक यानी 62 वर्ष, जो भी पहले हो, सीधी नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>श्रेणी 12 की भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं से संबंधित या केंद्र / राज्य सरकार में अन्य समान संगठित सेवाओं से सम्बंधित अधिकारियों को वरीयता।</p> <p>या</p> <p>जैसा कि पत्रभाग 7 में उल्लिखित है, विश्वविद्यालय प्रणाली / अन्य संगठन योग्यता आपूर्ति अधीन, जो भी पहले हो, 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ।</p>
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	<p>i) कुलपति-अध्यक्ष</p> <p>ii) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति</p> <p>iii) कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित दो सदस्य</p> <p>iv) कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित एक सेवानिवृत्त व्यक्ति</p> <p>v) कुलपति द्वारा अनुशंसित कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित सम्बंधित क्षेत्र के दो</p>

		<p>विशेषज्ञ</p> <p>vi) अगर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / दिव्यांग उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करने वाला उम्मीदवार आवेदक है तो एक प्रतिनिधि, यदि चयन समिति का कोई भी सदस्य इन वर्गों से सम्बंधित नहीं हैं, कुलपति द्वारा नामित किया जाता है।</p> <p>नोट:</p> <p>i) (i) और (v) के अतिरिक्त, गणपूर्ति की संरचना में कम से कम चार सदस्य होंगे, जिनमें से दो बाह्य विशेषज्ञ होंगे।</p> <p>ii) चयन समिति की बैठक कुलाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति और और कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत विशेषज्ञों के सुविधानुसार तय की जाएगी।</p> <p>संदर्भ: केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की संविधि 18 (3)</p>
--	--	--

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

उप-कुलसचिव

1.	पदनाम	उप-कुलसचिव
2.	पद की संख्या	2(दो)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 12 श्रेणी 13 (संयुक्त कुलसचिव के रूप में 5 वर्ष सेवा प्रदान करने के उपरांत)
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	चयन सीधी नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के सन्दर्भ में लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	50 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <p>i) स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड।</p> <p>ii) अकादमिक श्रेणी 10 या अधिक श्रेणी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कम से कम 9 वर्ष का शैक्षणिक प्रशासकीय अनुभव</p> <p>या</p> <p>अनुसंधान स्थापना और / या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनात्मक अनुभव।</p> <p>या</p> <p>सहायक कुलसचिव या समकक्ष पद पर 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।</p> <p>वांछनीय: स्थापन/परीक्षा/वित्त सम्बन्धी क्षेत्र में उपयुक्त अनुभव</p>
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता: मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक की उपाधि।</p>
9.	परिवीक्षा अवधि	1 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	75% सीधी नियुक्ति

		25% पदोन्नति, या ऐसा न करने पर प्रतिनियुक्ति सन्दर्भ: MHRD पत्र संख्या.1-7/2015-.U.II (2) दिनांक 02/11/2017)
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	पदोन्नति: श्रेणी 11 में सहायक कुलसचिव के रूप में 5 वर्ष तक नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति: नियमित रूप से अनुरूप पद धारित अधिकारी या श्रेणी 11 में 5 वर्ष की नियमित सेवा या केंद्र/ राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य स्वायत्त संस्थाओं में श्रेणी 10 में 8 वर्ष की नियमित सेवा
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

सहायक कुलसचिव

1.	पदनाम	सहायक कुलसचिव
2.	पद की संख्या	4(चार)
3.	श्रेणी/विभाग	ग्रुप-ए
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 10
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	चयन सीधी नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड। वांछनीय: 1. विश्वविद्यालय में श्रेणी 7 के प्रशासन/ स्थापना/ वित्त/ परीक्षा/ अकादमिक पर्यवेक्षी स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव। 2. संगणक अनुप्रयोग का ज्ञान।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	आयु: नहीं अकादमिक योग्यता: नहीं, परन्तु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक की उपाधि।
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	50% सीधी नियुक्ति द्वारा 50% पदोन्नति, या ऐसा न करने पर प्रतिनियुक्ति
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	पदोन्नति: श्रेणी 7 में बतौर अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव के रूप में 3 वर्ष का अनुभव। पदोन्नति अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव के परस्पर वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी।

		प्रतिनियुक्ति: केंद्र/ राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य स्वायत्त संगठनों में श्रेणी 7/ 8 में निम्न पदों पर नियमित रूप से अनुरूप पदों पर 3 वर्ष का अनुभव। संगणक अनुप्रयोग का ज्ञान
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

अनुभाग अधिकारी

1.	पदनाम	अनुभाग अधिकारी
2.	पद की संख्या	6(छह)
3.	श्रेणी/विभाग	ग्रुप-बी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 7
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	चयन सीधी नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। 2. किसी भी केंद्र/ राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक उपक्रम या अन्य केंद्र या राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाओं या वार्षिक पण्यवर्त 200 करोड़ या उससे अधिक की प्रतिष्ठित निजी कंपनी/बैंक में श्रेणी 4 में उच्च श्रेणी लिपिक के तौर पर 8 वर्ष का अनुभव या श्रेणी 6 में सहायक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव। 3. संगणक परिचालन, टिप्पणी और प्रारूपण के पर्याप्त दक्षता।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	आयु: नहीं अकादमिक योग्यता: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	50% सहायक कैडर की विभागीय परीक्षा में अर्हता के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, और ऐसा न करने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 50% सीधी नियुक्ति द्वारा (लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षण पर आधारित)
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	पदोन्नति: अनुसूची 7 में उल्लिखित योग्यता के साथ श्रेणी 7 में संभरक सहायक के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति: केंद्र/ राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य स्वायत्त संगठनों में श्रेणी 6 में नियमित रूप से अनुरूप पदों पर 3 वर्ष का अनुभव तथा अनुसूची 7 में विहित

		योग्यता।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

सहायक

1.	पदनाम	सहायक
2.	पद की संख्या	8 (आठ)
3.	श्रेणी/विभाग	ग्रुप-बी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 6
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	चयन सीधी नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। 2. किसी भी केंद्र/ राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक उपक्रम या अन्य केंद्र या राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाओं या वार्षिक पण्यवर्त 200 करोड़ या उससे अधिक की प्रतिष्ठित निजी कंपनी/बैंक में श्रेणी 4 में उच्च श्रेणी लिपिक के तौर पर 3 वर्ष का अनुभव। 3. टंकण, संगणक परिचालन, टिप्पणी और प्रारूपण के पर्याप्त दक्षता। वांछनीय: प्रशासनिक/ लेखा/ अकादमिक मामलों में पर्याप्त अनुभव। कंप्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करने की क्षमता।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	आयु: नहीं अकादमिक योग्यता: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	50% वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ उच्च श्रेणी लिपिक के कैडर से पदोन्नति। 50% सीधी नियुक्ति द्वारा (लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षण पर आधारित)
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	पदोन्नति: श्रेणी 4 में 5 वर्ष उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में नियमित सेवा।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

उच्च श्रेणी लिपिक

1.	पदनाम	उच्च श्रेणी लिपिक
2.	पद की संख्या	9 (नौ)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप- सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 4
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	गैर-चयनित सीधी नियुक्ति लागु नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। 2. किसी भी केंद्र/ राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक उपक्रम या अन्य केंद्र या राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाओं या वार्षिक पण्यवर्त 200 करोड़ या उससे अधिक की प्रतिष्ठित निजी कंपनी/बैंक में अवर श्रेणी लिपिक के तौर पर 2 वर्ष का अनुभव। 3. अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। वांछनीय: प्रशासनिक/ लेखा/ अकादमिक मामलों में पर्याप्त अनुभव। कंप्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करने की क्षमता।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	आयु: नहीं अकादमिक योग्यता: नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	50% अवर श्रेणी लिपिक/ हिंदी टंकक कैडर की विभागीय परीक्षा में अर्हता के माध्यम से पदोन्नति। 50% सीधी नियुक्ति द्वारा (लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षण पर आधारित)
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	पदोन्नति: श्रेणी 2 में 5 वर्ष अवर श्रेणी लिपिक के रूप में नियमित सेवा।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

अवर श्रेणी लिपिक

1.	पदनाम	अवर श्रेणी लिपिक
2.	पद की संख्या	19 (उन्नीस)
3.	श्रेणी/विभाग	ग्रुप- सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 2
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	चयनित अनुसूची 10(iii) हेतु गैर-चयनित सीधी नियुक्ति लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	30 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। 2. अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।(35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक कार्य हेतु 5 आधारभूत न्यूनता की औसत पर 10500KDPH/ 9000KDPH के अनुरूप हैं) 3. संगणक अनुप्रयोग में दक्षता।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	आयु: नहीं अकादमिक योग्यता: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	1. एमएस ऑफिस विशेषतः एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड इत्यादि कंप्यूटर घटकों में लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षण के आधार पर 85% सीधी नियुक्ति। 2. 10% रिक्तियां श्रेणी 1 के ग्रुप- सी कर्मचारियों में से नियुक्त की जाएँगी, जो उच्च माध्यमिक (10+2) या समकक्ष योग्यता रखते हैं और इस श्रेणी में, विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से, 3 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव रखते हों। विभागीय अर्हता परीक्षा में योग्यता हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। नोट: पैनल 1 वर्ष की अवधि तक ही मान्य होगा। 3. पदोन्नति: 5% रिक्तियां वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता आधार पर ग्रुप-सी (बहुकार्यन कर्मचारी) कर्मचारियों में से नियुक्त की जाएँगी, जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता(10+2) या समकक्ष की आपूर्ति करते हैं और श्रेणी 1 के पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा का अनुभव रखते हों।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजनआधारित नियुक्ति	अनुसूची 10 के अनुरूप
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

नोट: * अवर श्रेणी लिपिक कैडर में 16 अवर श्रेणी लिपिक + 3 अभिक्षक

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

बहुकार्यन कर्मचारी

1.	पदनाम	बहुकार्यन कर्मचारी (एमटीएस)
2.	पद की संख्या	6 (छह)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप- सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 1
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागु नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	30 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई उत्तीर्ण* *अतिरिक्त आवश्यकताओं के संबंध में भी अंगीकृत, यदि संभावना हो तो
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागु नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति लिखित परीक्षा और व्यवसाय परीक्षण द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागु नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

नोट: चपरासी/कार्यालय परिचर और पूर्व के विशेष ग्रुप-डी के पद वर्तमान में 6 सीपीसी के आधार पर ग्रुप-सी के पद के रूप में वर्गीकृत कर दिए गये हैं, जिसके आधार पर पदग्राही के वृत्तिमूलक पदवी को अंतर के साथ एमटीएस के तौर पर सामान पदवी प्रदान की जा सकती है। इस आधार पर सभी कर्मचारियों को एक वर्ग में प्रस्थापित किया जा सकता है।

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

आन्तरिक लेखा-परीक्षा अधिकारी

1.	पदनाम	आन्तरिक लेखा-परीक्षा अधिकारी
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप- ए
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 12
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागु नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	56 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	लागु नहीं

8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागु नहीं
9	परिवीक्षा अवधि	लागु नहीं
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	प्रतिनियुक्ति
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन नियुक्ति आधारित	<p>प्रतिनियुक्ति: नियमित रूप से किसी भी केंद्र/राज्य सरकार में लेखा-परीक्षा और लेखा सेवाओं या अन्य सामान संगठित लेखा सेवाओं से सम्बंधित अधिकारी।</p> <p>या</p> <p>किसी भी सरकारी संस्था/स्वायत्त संस्था में लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में श्रेणी 11 में 3 वर्ष की नियमित सेवा।</p> <p>या</p> <p>किसी भी सरकारी संस्था/स्वायत्त संस्था में लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में श्रेणी 10 में 5 वर्ष की नियमित सेवा।</p>
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

जनसंपर्क अधिकारी

1.	पदनाम	जनसंपर्क अधिकारी
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप- ए
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 10
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागु नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष यूजीसी 7 पॉइंट स्केल में 'बी' ग्रेड। <p>या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पत्रकारिता और जनसंचार में प्रथम श्रेणी से पीजी डिप्लोमा।</p> <ol style="list-style-type: none"> किसी भी सम्पादकीय विभाग/ स्थापित अंग्रेजी/ क्षेत्रीय समाचारपत्र के केंद्र, राष्ट्रीय समाचार एजेंसी, रेडियो या टेलीविज़न, फिल्म मीडिया, प्रतिष्ठित विज्ञापन एजेंसी में अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा उत्कृष्ट लिखने-बोलने की दक्षता के साथ 5 वर्षों का अनुभव। <p>वांछनीय:</p> <p>कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य-दक्षता।</p>

8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागु नहीं
9	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	लिखित परीक्षा और साक्षात्कार द्वारा सीधी नियुक्ति
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागु नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

सांख्यिकी सहायक

1.	पदनाम	सांख्यिकी सहायक
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप- सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 5
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागु नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	मुख्य विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ स्नातक की उपाधि या गणित विषय से स्नातक की उपाधि (प्रथम या द्वितीय या सभी वर्षों में सांख्यिकी विषय/मुख्य या वैकल्पिक के साथ) या अर्थशास्त्र विषय में स्नातक की उपाधि (प्रथम या द्वितीय या सभी वर्षों में सांख्यिकी विषय/मुख्य या वैकल्पिक के साथ) या वाणिज्य विषय में स्नातक की उपाधि (प्रथम या द्वितीय या सभी वर्षों में सांख्यिकी विषय/मुख्य या वैकल्पिक के साथ) सभी उपाधियाँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की ही मान्य होंगी।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागु नहीं
9	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	लिखित परीक्षा और साक्षात्कार द्वारा सीधी नियुक्ति
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागु नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

निजी सचिव

1.	पदनाम	निजी सचिव
2.	पद की संख्या	5 (पाँच)
3.	श्रेणी/विभाग	ग्रुप- बी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 7
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	चयन सीधी नियुक्ति में लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि। किसी भी विश्वविद्यालय/ शोध स्थापन/ केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम और अन्य स्वायत्त संस्थाओं में निजी सहाय के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। शोर्ट हैंड: अंग्रेजी में 120 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 100 शब्द प्रति मिनट की गति। टंकण: अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। कंप्यूटर अनुप्रयोग का पर्याप्त ज्ञान। <p>कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा के मानक:</p> <p>श्रुतलेख: 10 मिनट @ 120 शब्द प्रति मिनट/ 100 शब्द प्रति मिनट</p> <p>लिप्यंतरण: 50 मिनट (अंग्रेजी)/60 मिनट (हिंदी)</p> <p>वांछनीय:</p> <p>उत्कृष्ट सम्प्रेषण कौशल और अंग्रेजी में दक्षता।</p>
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता: हाँ</p>
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	<ol style="list-style-type: none"> 25% अनुसूची 7 में वर्णित शोर्ट-हैंड की अर्हता परीक्षा के माध्यम से वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के माध्यम से, प्रतिनियुक्ति न होने पर, पदोन्नति। 75% सीधी नियुक्ति द्वारा (प्रतिनियुक्ति न होने पर)
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन नियुक्ति आधारित	<p>पदोन्नति:</p> <p>अनुसूची 7 में उपरिवत उल्लिखित योग्यताओं के साथ श्रेणी 7 में निजी सहायक के तौर पर 5 वर्ष की नियमित सेवा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>अनुरूप पदों पर नियमित कर्मचारी या अनुसूची 7 में निर्देशित शैक्षणिक योग्यताओं और वृत्तिक सम्बन्धी आवश्यकता के साथ किसी भी केंद्र/राज्य</p>

		सरकार/ विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक उपक्रम या केंद्र/ राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाओं के श्रेणी 6 में निजी सहायक के रूप में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

निजी सहायक

1.	पदनाम	निजी सहायक
2.	पद की संख्या	3 (तीन)
3.	श्रेणी/विभाग	ग्रुप- बी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 6
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से किस भी विषय में स्नातक की उपाधि। अंग्रेजी या हिंदी में 100 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति की दक्षता। टंकण: अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। कंप्यूटर अनुप्रयोग का पर्याप्त ज्ञान। किसी भी वार्षिक पण्यावर्त 200 करोड़ वाली केंद्र/ राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक उपक्रम या अन्य केंद्र या राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाओं में स्टेनोग्राफर या समकक्ष पद पर 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव। <p>कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा के मानक:</p> <p>श्रुतलेख: 10 मिनट @ 100 शब्द प्रति मिनट</p> <p>लिप्यंतरण: 40 मिनट (अंग्रेजी)/ 55 मिनट (हिंदी)</p> <p>वांछनीय:</p> <p>उत्कृष्ट सम्प्रेषण कौशल और अंग्रेजी में दक्षता।</p>
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	100% सीधी नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति के माध्यम से
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन नियुक्ति आधारित	<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>अनुरूप पदों पर नियमित अधिकारी या अनुसूची 7 में निर्देशित योग्यताओं के साथ किसी भी केंद्र/राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक उपक्रम</p>

		या केंद्र/ राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाओं के श्रेणी 4/ 5 में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

पुस्तकालयाध्यक्ष

1.	पदनाम	पुस्तकालयाध्यक्ष
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणी/विभाग	ग्रुप- ए
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 14
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	57 वर्ष के अधिक नहीं
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: <ol style="list-style-type: none"> पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान/ प्रलेख विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड। विश्वविद्यालय पुस्तकालय में किस भी श्रेणी में पुस्तकालयाध्यक्ष या पुस्तकालय विज्ञान में बतौर असिस्टेंट/ एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अध्यापन या महाविद्यालय पुस्तकालय में बतौर पुस्तकालयाध्यक्ष 10 वर्षों का अनुभव। बतौर प्रोद्योगिकी पुस्तकाध्यक्ष नवप्रवर्तनशील पुस्तकालय सेवाओं का प्रमाण। पुस्तकालय विज्ञान/ प्रलेख/ पुरालेख और पांडुलिपि संरक्षण में पी-एच.डी. की उपाधि।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	1 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति न होने की स्थिति में
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	प्रतिनियुक्ति: अनुरूप पदों पर नियमित अधिकारी या अनुसूची 7 में निर्देशित योग्यताओं के साथ किसी भी केंद्र/राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक उपक्रम या केंद्र/ राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाओं के कार्य करने का अनुभव।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

उप-पुस्तकालयाध्यक्ष

1.	पदनाम	उप-पुस्तकालयाध्यक्ष
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप- ए
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	अकादमिक श्रेणी 12 अकादमिक श्रेणी 13 (3 वर्ष की सेवा और अनुपालन की सम्यक प्रक्रिया के बाद)
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	55 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: 1. पुस्तकालय विज्ञान/ सुचना विज्ञान/ प्रलेख विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड। 2. बतौर विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ कॉलेज पुस्तकाध्यक्ष के रूप में 8 वर्षों का अनुभव। 3. बतौर प्रौद्योगिकी पुस्तकाध्यक्ष नवप्रवर्तनशील पुस्तकालय सेवाओं का प्रमाण। 4. पुस्तकालय विज्ञान/ प्रलेख/ पुरालेख और पांडुलिपि संरक्षण/ पुस्तकालय के कम्प्यूटराइजेशन में पी-एच.डी. की उपाधि।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	1 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

1.	पदनाम	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
2.	पद की संख्या	2 (दो)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप- ए
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	अकादमिक श्रेणी 10
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	40 वर्ष

7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/ प्रलेख विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या अन्य संवृत्तिक उपाधि। पुस्तकालय के कम्प्यूटराइजेशन ज्ञान के साथ उत्कृष्ट अकादमिक उपलब्धि। यूजीसी, सीएसआईआर या अन्य समकक्ष श्रेणी की परीक्षा में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण या यूजीसी के 2009 या 2016 या तदनुसार संशोधित अधिनियम के अनुसार पी-एच.डी. की उपाधि। <p>इसके अनुसार, 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पी-एच.डी. पंजीकृत उम्मीदवार संस्था के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों/ उप-कानूनों/ विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त करते हैं तो उन्हें नेट/ स्लेट/ सेट के अनिवार्य अनुबंधन से मुक्त रखा जायेगा तथा विश्वविद्यालय/ कॉलेज/ संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर या समकक्ष पदों पर नियुक्त होने हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना होगा:</p> <ol style="list-style-type: none"> उम्मीदवार की पी-एच.डी. उपाधि नियमित ढंग से पूर्ण। पी-एच.डी. शोध-प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन। पी-एच.डी. की खुली मौखिकी परीक्षा। उम्मीदवार द्वारा उसके पी-एच.डी. के शोध कार्य से सम्बंधित दो शोध-आलेख का प्राक्षण जिसमें से कम से कम एक निर्णायक पत्रिका में। उम्मीदवार द्वारा यूजीसी/ आईसीएसएसआर/ सीएसआईआर या अन्य संस्था द्वारा पोषित कार्यशाला/ संगोष्ठी में उसके पी-एच.डी. के शोध-कार्य से सम्बंधित कम से कम दो शोध-प्रपत्र प्रस्तुति। <p>नोट:</p> <ol style="list-style-type: none"> इन शर्तों की प्रतिपूर्ति सम्बंधित विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता (अकादमिक मामले) या कुलसचिव द्वारा प्रमाणित। नेट/ स्लेट/ सेट उन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु लागू नहीं जिनमें यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा नेट/ स्लेट/ सेट की परीक्षा आयोजित न की जाती हो।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	1 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

सुचना वैज्ञानिक

1.	पदनाम	सुचना वैज्ञानिक
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप- ए
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 10
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <p>एम.ई./ एम.टेक.(कंप्यूटर विज्ञान) (सुचना प्रौद्योगिकी) में प्रथम श्रेणी या समकक्ष।</p> <p>या</p> <p>एम.ई./ एम.टेक.(कंप्यूटर विज्ञान) (सुचना प्रौद्योगिकी) में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ 2 वर्ष का सम्बंधित अनुभव।</p> <p>या</p> <p>कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर(एमसीए) में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ 2 वर्ष का सम्बंधित अनुभव।</p> <p>या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से एम.एससी (कंप्यूटर विज्ञान/ सुचना प्रौद्योगिकी) में प्रथम श्रेणी के साथ 3 वर्ष का सम्बंधित अनुभव।</p> <p>या</p> <p>पुस्तकालय और सुचना विज्ञान (एम.लिब या एम.एलआईएस) में प्रथम श्रेणी से स्नातकोत्तर की उपाधि तथा कंप्यूटर अनुप्रयोग या एमसीए या एम.एससी (कंप्यूटर विज्ञान/ सुचना प्रौद्योगिकी) में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>लाइब्रेरी/ कार्यालय स्वचालन/ सर्वर समाकृति/ ई-संसाधन/ डेटा बेस प्रबंधन/ सामग्री प्रबंधन/ वेबसाइट का विकास/ पोर्टल्स/ सुचना प्रणाली/ गेटवे और नेटवर्किंग के रखरखाव में प्रासंगिक अनुभव।</p>
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति न होने की स्थिति में
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन नियुक्ति आधारित	<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>किसी भी केंद्र/राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक उपक्रम या केंद्र/ राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाओं में</p> <p>1.)अनुरूप पदों पर नियमित अधिकारी।</p> <p>2.)श्रेणी 6/7 या समकक्ष कैडर या विभाग में नियमित रूप से 5 वर्षों का अनुभव।</p>

		3.) अनुसूची 7 में सीधी नियुक्ति हेतु निर्देशित पर्याप्त योग्यता और अनुभव।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

वृत्तिक सहायक

1.	पदनाम	वृत्तिक सहायक
2.	पद की संख्या	2 (दो)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-बी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 6
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	गैर-चयनित सीधी नियुक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: 1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि तथा किसी भी विश्वविद्यालय/ शोध केंद्र/ केंद्र/ राज्य/ सार्वजनिक उपक्रम और अन्य स्वायत्त संस्था के पुस्तकालयों में संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि तथा किसी भी विश्वविद्यालय/ शोध केंद्र/ केंद्र/ राज्य/ सार्वजनिक उपक्रम और अन्य स्वायत्त संस्था के पुस्तकालयों में संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। 2. कंप्यूटर अनुप्रयोग का पर्याप्त ज्ञान। वांछनीय: पुस्तकालय स्वचालन और नेटवर्किंग में पीजी डिप्लोमा या पीजीडीसीए या समकक्ष।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	आयु: नहीं अकादमिक योग्यता: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	50% सीधी नियुक्ति द्वारा 50%, सीधी नियुक्ति न होने की स्थिति में, पदोन्नति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	पदोन्नति: श्रेणी 5 में अर्ध-वृत्तिक सहायक के तौर पर 5 वर्ष की नियमित सेवा।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

पुस्तकालय सहायक

1.	पदनाम	पुस्तकालय सहायक
2.	पद की संख्या	2 (दो)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 3
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	चयनित सीधी नियुक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	30 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: 1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान या समकक्ष में स्नातक की उपाधि। 2. अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। 3. कंप्यूटर अनुप्रयोग का पर्याप्त ज्ञान।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	आयु: नहीं अकादमिक योग्यता: नहीं, परन्तु अनुसूची 11 में उल्लिखित योग्यताओं की अविष्टि।
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पुस्तकालय परिचर कैडर तथा सीधी नियुक्ति न होने की स्थिति में विभागीय परीक्षा में न्यूनतम अर्हता द्वारा 25% पदोन्नति। 75% सीधी नियुक्ति द्वारा।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	पदोन्नति: पुस्तकालय परिचर के रूप में श्रेणी 1 में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स तथा 10+2 की न्यूनतम योग्यता या समकक्ष।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

पुस्तकालय परिचर

1.	पदनाम	पुस्तकालय परिचर
2.	पद की संख्या	5 (पाँच)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 1

5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	30 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स। वांछनीय: <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ शैक्षणिक संस्था के पुस्तकालय में 2 वर्ष का कार्य-अनुभव। 2. कंप्यूटर अनुप्रयोग का पर्याप्त ज्ञान।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

वरिष्ठ तकनीकी सहायक

1.	पदनाम	वरिष्ठ तकनीकी सहायक
2.	पद की संख्या	2 (दो)
3.	श्रेणी/विभाग	ग्रुप-बी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 6
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	सीधी नियुक्ति में लागू नहीं पदोन्नति हेतु गैर-चयन
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: रसायन विज्ञान/ जीव विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान/ भौतिक विज्ञान/ यंत्रीकरण में प्रथम श्रेणी से एम.एससी की उपाधि या रसायन विज्ञान/ जीव विज्ञान/ यंत्रीकरण में प्रयोगशालाओं में परिष्कृत वैज्ञानिक यंत्रों के संभरण सम्बन्धी न्यूनतम पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी में बी.एससी की उपाधि। वांछनीय: रसायनशास्त्र/ जीव विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान/ भौतिक विज्ञान/ यंत्रीकरण, आंकड़ा अभिग्रहण प्रणाली तथा संगणक के क्षेत्र में मजबूत पृष्ठभूमि। यंत्रों के सुधार और संरक्षण कार्य के संचालन की योग्यता और कौशल।

8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	आयु: नहीं योग्यता: नहीं
9	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	50% सीधी नियुक्ति न होने की स्थिति में पदोन्नति 50% सीधी नियुक्ति
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	पदोन्नति: श्रेणी 5 में तकनीकी सहायक के रूप में पांच वर्ष कार्य।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

तकनीकी सहायक

1.	पदनाम	तकनीकी सहायक
2.	पद की संख्या	3 (तीन)
3.	श्रेणी/विभाग	ग्रुप-सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 5
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	सीधी नियुक्ति में लागू नहीं पदोन्नति हेतु चयन
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	30 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान या समकक्ष विषयों (पद की आवश्यकता के अनुरूप) सम्बंधित विश्वविद्यालय/ कॉलेज/ अनुसन्धान प्रयोगशाला में सम्बंधित क्षेत्र के प्रयोगशाला में तीन वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक की उपाधि। वांछनीय: 1. प्रयोगशाला के यंत्रों और कंप्यूटर के संचालन का अनुभव। 2. अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर पर्याप्त अधिकार।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	आयु: नहीं योग्यता: हाँ
9	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	50% सीधी नियुक्ति 50% सीधी नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति न होने की स्थिति में पदोन्नति।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	पदोन्नति: श्रेणी 4 में प्रयोगशाला सहायक के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

प्रयोगशाला सहायक

1.	पदनाम	प्रयोगशाला सहायक
2.	पद की संख्या	7 (सात)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 4
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	चयन सीधी नियुक्ति में लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: विज्ञान या अन्य समकक्ष विषय में सम्बंधित विश्वविद्यालय/ कॉलेज/ अनुसन्धान प्रयोगशाला में सम्बंधित क्षेत्र के प्रयोगशाला में दो वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक की उपाधि।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	आयु: नहीं योग्यता: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	25% पदोन्नति द्वारा 75% सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	पदोन्नति: श्रेणी 1 में प्रयोगशाला परिचर के रूप में अनुसूची 7 में उल्लिखित आवश्यक योग्यताओं के साथ पांच वर्ष की नियमित सेवा।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

प्रयोगशाला परिचर

1.	पदनाम	प्रयोगशाला परिचर
2.	पद की संख्या	7 (सात)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 1
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	30 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: मान्यता प्राप्त केंद्र/ राज्य स्तरीय बोर्ड से विज्ञान वर्ग में 10+2 या

		केंद्र/ राज्य स्तरीय बोर्ड से विज्ञान के रूप में एक विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था/ कॉलेज के प्रयोगशाला में 2 वर्ष के अनुभव के साथ 10वीं।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

तंत्र विधेयक

1.	पदनाम	तंत्र विधेयक
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणी/विभाग	ग्रुप-ए
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 10
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <p>एम.इ./ एम.टेक (कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी)/ (इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी)/ एमसीए/ एम.एससी (कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी)/ (इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी) या समकक्ष में प्रथम श्रेणी की उपाधि।</p> <p>या</p> <p>2 वर्षों के सम्बंधित कार्य-अनुभव के साथ बी.इ/ बी.टेक. (कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी) या समकक्ष की उपाधि।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>सीसीएनए/ सीसीएनपी या समकक्ष प्रमाणपत्र</p>
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	प्रतिनियुक्ति न होने की स्थिति में सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>किसी भी केंद्र/ राज्य सरकार, स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त शोध-संस्थान के अधिकारी:</p> <p>1. अपने मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदाधिकारी या श्रेणी 7/8 या समकक्ष मूल कैडर या विभाग में</p>

		नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की नियमित सेवा। 2. अनुसूची 7 में उल्लिखित सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता और अनुभव।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

वरिष्ठ तकनीकी सहायक (संगणक)

1.	पदनाम	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (संगणक)
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणी/विभाग	ग्रुप-बी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 6
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	चयनित सीधी नियुक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>1. कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी/ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय या संस्था से बी.इ/ बी.टेक की उपाधि।</p> <p>या</p> <p>किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर/ एमसीए की उपाधि।</p> <p>किसी भी केंद्र/ राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक उपक्रम या अन्य केंद्र या राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाओं या वार्षिक पण्यावर्त 200 करोड़ या उससे अधिक की प्रतिष्ठित निजी संस्था में 2 वर्ष का अनुभव।</p> <p>बांछनीय: सीसीएनए/ सीसीएनपी या समकक्ष प्रमाणपत्र</p>
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

चिकित्सा अधिकारी

1.	पदनाम	चिकित्सा अधिकारी
2.	पद की संख्या	2 (दो) (एक महिला और एक पुरुष)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-ए
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 10
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से आयुर्विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। या सरकारी अस्पताल या सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल या निजी अस्पताल में सम्बंधित क्षेत्र में 2 वर्ष के कार्य-अनुभव के साथ भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त एमबीबीएस की उपाधि। वांछनीय: महिला चिकित्सा अधिकारी हेतु: अस्पताल के प्रसूति और स्त्री-रोग विभाग में 1 वर्ष कार्य करने का अनुभव।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

नर्सिंग अधिकारी

1.	पदनाम	नर्सिंग अधिकारी
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-बी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 6
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी.एससी (नर्सिंग) की

		उपाधि। 2. भारतीय नर्सिंग परिषद् या सम्बद्ध राज्य नर्सिंग परिषद् में नर्स के रूप में पंजीकृत। 3. प्रतिष्ठित अस्पताल में नर्सिंग का दो वर्ष का अनुभव।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

औषध विक्रेता

1.	पदनाम	औषध विक्रेता
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणी/विभाग	ग्रुप-सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 5
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: 1. 10+2 तथा औषध निर्माण विज्ञान में डिप्लोमा (2 वर्ष) 2. राज्य औषध निर्माण विज्ञान परिषद् से पंजीकृत।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

प्रसाधक/ चिकित्सा परिचर

1.	पदनाम	प्रसाधक/ चिकित्सा परिचर
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 1
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या समकक्ष। 2. प्रतिष्ठित अस्पताल में प्राथमिक उपचार के प्राथमिक ज्ञान और मरहम-पट्टी के संचालन के साथ 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव। वांछनीय: किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जीव विज्ञान या समकक्ष विषय में 10+2
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

कार्यपालक अभियंता

1.	पदनाम	कार्यपालक अभियंता (सिविल)
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-ए
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 11
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	45 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: <ol style="list-style-type: none"> 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में प्रथम श्रेणी से स्नातक की उपाधि। 2. किसी भी केंद्र/ राज्य सरकार के जनकल्याण विभाग/ अर्द्ध-सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम/ या अन्य केंद्र या राज्य स्तरीय

		<p>स्वायत्त संस्थाओं/ विश्वविद्यालय प्रणाली/ या वार्षिक पण्यवर्त 200 करोड़ या उससे अधिक की प्रतिष्ठित निजी संस्था में 8 वर्ष (जिनमें से 5 वर्ष वतौर सहायक अभियंता के रूप में) का अनुभव।</p> <p>निर्माण प्रबंधन/ संरचना अभियांत्रिकी या समकक्ष क्षेत्रों में स्नाकोत्तर उपाधि वालों को अनुभव में 2 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।</p> <p>बांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. केंद्रीय जनकल्याण विभाग/ जनकल्याण विभाग के मानकों के अनुरूप नियोजन/ आकलन/ दुर्बलन तथा बहुमंजिला इमारतों के किसी निर्माण परियोजना में कार्य करने का पर्याप्त अनुभव तथा जनकल्याण विभाग की नियमावलियों तथा अनुमान के निर्माण, आरेखन, संरचनात्मक विवरण, परिमाण के प्राप्यक, प्रतिस्थानिक/ विसाम्य वस्तु विवरण तथा निर्माण कार्य सम्बन्धी अन्य मामलों का पर्याप्त ज्ञान। 2. कंप्यूटर एडिड डिजाईन (सीएडी) तथा आधुनिकतम प्रबंधन तकनीक/ अन्य प्रासंगिक सॉफ्टवेयर सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	100%, प्रतिनियुक्ति न होने की स्थिति में, सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन नियुक्ति आधारित	<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>किसी भी केंद्र/ राज्य सरकार के जनकल्याण विभाग या समकक्ष संगठित क्षेत्रों/ अर्द्ध-सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संस्था/ विश्वविद्यालय प्रणाली के अधिकारी:</p> <p>अपने मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदाधिकारी</p> <p>या</p> <p>सम्बन्धित क्षेत्र में अभियांत्रिकी की उपाधि के साथ सहायक अभियंता के रूप में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>सम्बन्धित क्षेत्र में अभियांत्रिकी में डिप्लोमा के साथ सहायक अभियंता के रूप में 7 वर्ष कार्य करने का अनुभव।</p>
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

सहायक अभियंता

1.	पदनाम	सहायक अभियंता (सिविल)
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-बी

4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 7
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	गैर-चयनित सीधी नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में प्रथम श्रेणी से स्नातक की उपाधि। 3. किसी भी केंद्र/ राज्य सरकार के जनकल्याण विभाग/ अर्द्ध-सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम/ या अन्य केंद्र या राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाओं/ विश्वविद्यालय प्रणाली/ या वार्षिक पण्यवर्त 200 करोड़ या उससे अधिक की प्रतिष्ठित निजी संस्था में 3 वर्ष कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्य करने का अनुभव। वांछनीय: कंप्यूटर एडिड डिजाइन (सीएडी) तथा आधुनिकतम प्रबंधन तकनीक/ अन्य प्रासंगिक सॉफ्टवेयर सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	प्रतिनियुक्ति न होने की स्थिति में, सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन नियुक्ति आधारित	प्रतिनियुक्ति: किसी भी केंद्र/ राज्य सरकार के जनकल्याण विभाग या समकक्ष संगठित क्षेत्रों/ अर्द्ध-सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संस्था/ विश्वविद्यालय प्रणाली में नियमित आधार पर अनुरूप पदाधिकारी या सम्बन्धित क्षेत्र में अभियांत्रिकी की उपाधि के साथ कनिष्ठ अभियंता के रूप में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव। या सम्बन्धित क्षेत्र में अभियांत्रिकी में डिप्लोमा के साथ कनिष्ठ अभियंता के रूप में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

कनिष्ठ अभियंता (सिविल)

1.	पदनाम	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-बी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 6
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं

6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अभियांत्रिकी में एक वर्ष के सम्बद्ध अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी से स्नातक की उपाधि।</p> <p>या</p> <p>सम्बद्ध क्षेत्र में अभियांत्रिकी में डिप्लोमा और किसी भी केंद्र/ राज्य सरकार के जनकल्याण विभाग/ अर्द्ध-सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम/ या अन्य केंद्र या राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाओं/ विश्वविद्यालय प्रणाली/ या वार्षिक पण्यावर्त 200 करोड़ या उससे अधिक की प्रतिष्ठित निजी संस्था में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>ऑटोकेड (AUTOCAD), अन्य प्रासंगिक सॉफ्टवेयर सम्बन्धी कार्यात्मक ज्ञान।</p>
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल)

1.	पदनाम	कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल)
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-बी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 6
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अभियांत्रिकी में एक वर्ष के सम्बद्ध अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी से स्नातक की उपाधि।</p> <p>या</p> <p>सम्बद्ध क्षेत्र में अभियांत्रिकी में डिप्लोमा और किसी भी केंद्र/ राज्य सरकार के जनकल्याण विभाग/ अर्द्ध-सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम/ या अन्य केंद्र या राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाओं/ विश्वविद्यालय प्रणाली/ या वार्षिक पण्यावर्त 200 करोड़ या उससे अधिक की प्रतिष्ठित निजी संस्था में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव।</p>

		वांछनीय: ऑटोकेड (AUTOCAD), अन्य प्रासंगिक सॉफ्टवेर सम्बन्धी कार्यात्मक ज्ञान।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

हिंदी अधिकारी

1.	पदनाम	हिंदी अधिकारी
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-ए
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 10
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक या परीक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में स्नाकोत्तर की उपाधि।</p> <p>या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक या परीक्षा माध्यम के रूप में हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में स्नाकोत्तर की उपाधि।</p> <p>या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक या परीक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नाकोत्तर की उपाधि।</p> <p>या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक या परीक्षा माध्यम के रूप में हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नाकोत्तर की उपाधि।</p> <p>या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी या हिंदी माध्यम से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक या परीक्षा माध्यम के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय</p>

		<p>के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नाकोत्तर की उपाधि।</p> <p>और</p> <p>किसी भी केंद्र/ राज्य सरकार/ स्वायत्त संस्था/ सांविधिक निकायों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त शोध और शैक्षणिक संस्थाओं में अंग्रेजी से हिंदी या विपरीतया अनुवाद कार्य, विशेषतः तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावलियों और हिंदी की पारिभाषिक शब्दावलियों के प्रयोग और विनियोग, का 3 वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>किसी भी केंद्र/ राज्य सरकार/ स्वायत्त संस्था/ सांविधिक निकायों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त शोध और शैक्षणिक संस्थाओं में हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण और हिंदी या अंग्रेजी में शोध का 3 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक स्तर पर संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित, हिंदी के अतिरिक्त, किसी भी भाषा का अध्ययन।</p>
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

हिंदी अनुवादक

1.	पदनाम	हिंदी अनुवादक
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणी/विभाग	ग्रुप-बी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 6
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक या परीक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में स्नाकोत्तर की उपाधि।</p> <p>या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक या परीक्षा माध्यम के रूप में हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में स्नाकोत्तर की</p>

		<p>उपाधि।</p> <p>या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक या परीक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नाकोत्तर की उपाधि।</p> <p>या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक या परीक्षा माध्यम के रूप में हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नाकोत्तर की उपाधि।</p> <p>या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी या हिंदी माध्यम से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक या परीक्षा माध्यम के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नाकोत्तर की उपाधि।</p> <p>और</p> <p>किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी से अंग्रेजी और विपरीतया डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या केंद्र या राज्य स्तरीय सरकारी कार्यालय, भारत सरकार के उपक्रम समेत, में अनुवाद कार्य का 2 वर्ष का अनुभव।</p> <p>बांछनीय:</p> <p>किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक स्तर पर संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित, हिंदी के अतिरिक्त, किसी भी भाषा का अध्ययन।</p>
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

हिंदी टंकक

1.	पदनाम	हिंदी टंकक
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 2
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	30 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक:

		1. किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण। 2. 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी टंकण की गति। 3. कंप्यूटर अनुप्रयोग का पर्याप्त ज्ञान।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

सुरक्षा अधिकारी

1.	पदनाम	सुरक्षा अधिकारी
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणी/विभाग	ग्रुप-बी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 7
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ किसी भी केंद्र/राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक उपक्रम या अन्य केंद्र या राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाओं या वार्षिक पण्यावर्त 200 करोड़ या उससे अधिक की प्रतिष्ठित निजी कंपनी में सुरक्षा पर्यवेक्षक/ सुरक्षा पर्यवेक्षी पद पर 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>सेना या जेसीओ श्रेणी या समकक्ष में एकरूप सेवा प्रदान करने के साथ-साथ 10वीं या सेना श्रेणी 1 परीक्षा या अन्य समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण।</p> <p>और</p> <p>विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति प्राप्तकर्ता।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>सेना या अर्द्ध-सैनिक बलों में अग्निशमन या निरस्त्रीकृत प्रतिरोध कोर्स। कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान।</p> <p>अंग्रेजी/ हिंदी/ विश्वविद्यालय के स्थान निरूप क्षेत्रीय भाषा में वार्तालाप की योग्यता।</p>
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं

9	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	प्रतिनियुक्ति न होने की स्थिति में, सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	प्रतिनियुक्ति: केंद्र/ राज्य सरकार/ विश्वविद्यालयों/ अन्य स्वायत्त संस्थाओं में: 1. अनुरूप पदाधिकारी। या 2. श्रेणी 6 में सम्बंधित क्षेत्र में 3 वर्ष की नियमित सेवा।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

सुरक्षा निरीक्षक

1.	पदनाम	सुरक्षा निरीक्षक
2.	पद की संख्या	1 (एक)
3.	श्रेणी/विभाग	गुप-सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 5
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ किसी भी केंद्र/ राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक उपक्रम या अन्य केंद्र या राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाओं या वार्षिक पण्यावर्त 200 करोड़ या उससे अधिक की प्रतिष्ठित निजी कंपनी में सुरक्षा पर्यवेक्षक/ सुरक्षा पर्यवेक्षी पद पर 5 वर्ष का अनुभव। या सेना या जेसीओ श्रेणी या समकक्ष में एकरूप सेवा प्रदान करने के साथ-साथ 10वीं या सेना श्रेणी 1 परीक्षा या अन्य समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण। और विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति प्राप्तकर्ता। वांछनीय: सेना या अर्द्ध-सैनिक बलों में अग्निशमन या निरस्त्रीकृत प्रतिरोध कोर्सी।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	100% सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं

12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार
-----	---	--

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

बावर्ची

1.	पदनाम	बावर्ची
2.	पद की संख्या	3 (तीन)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 2
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	चयन सीधी नियुक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं में उत्तीर्ण। शैक्षणिक संस्थानों/ अतिथिगृहों, प्रतिष्ठित होटलों, रेस्तरांओं या अन्य संगठनों में खाना पकाने/ खानपान सेवा कार्य का 2 वर्ष का अनुभव। बांछनीय: 1. बेकरी और मिष्ठान भंडार में एक वर्ष का आईटीआई ट्रेड प्रमाणपत्र। 2. दक्षिण भारतीय/ उत्तर भारतीय और महाद्वीपीय पाक-प्रणाली में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन पकाने का पर्याप्त अनुभव।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	आयु: नहीं योग्यता: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	75% सीधी नियुक्ति द्वारा 25%, सीधी नियुक्ति न होने की स्थिति में, ट्रेड परीक्षा में अर्हता और वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	पदोन्नति: श्रेणी 1 में रसोई परिचर के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा।
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

रसोई परिचर

1.	पदनाम	रसोई परिचर
2.	पद की संख्या	2 (दो)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 1
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/ केंद्र स्तरीय बोर्ड से 10वीं में उत्तीर्ण। <p style="text-align: center;">या</p> <p>सम्बंधित ट्रेड से आईटीआई ट्रेड प्रमाणपत्र।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. शैक्षणिक संस्थानों/ अतिथिगृहों, प्रतिष्ठित होटलों, रेस्तरांओं या अन्य संगठनों में खाना पकाने/ खानपान सेवा कार्य का 2 वर्ष का अनुभव।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

छात्रावास परिचर

1.	पदनाम	छात्रावास परिचर
2.	पद की संख्या	2 (दो)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 1
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	आवश्यक: <p>किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/ केंद्र स्तरीय बोर्ड से 10वीं में उत्तीर्ण।</p>

		<p>या</p> <p>आईटीआई उत्तीर्ण।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>छात्रावास/ कैंटीन/ होटल/ अतिथिगृह में न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य-अनुभव।</p>
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं
12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

नियुक्ति नियम

ड्राईवर

1.	पदनाम	ड्राईवर
2.	पद की संख्या	5 (पांच)
3.	श्रेणीविभाग	ग्रुप-सी
4.	वेतनमान/भुगतान अनुबंध/भुगतान श्रेणी	श्रेणी 2
5.	चयनित या गैर-चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7.	शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/ केंद्र स्तरीय बोर्ड से 10वीं में उत्तीर्ण। 2. अक्षोंमुख अनुमोदन के बिना किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत छोटे/ माध्यम/ भारी वाहनों हेतु विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति प्राप्तकर्ता। 3. मोटर कलपुर्जों की बनावट का पर्याप्त ज्ञान (वाहनों की छोटी-मोटी क्षति या खराबी को स्वयं दुरुस्त करने की योग्यता।) 4. मोटर वाहनों के चालक के रूप में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव।
8.	सीधी नियुक्ति में पदोन्नति सम्बन्धी निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताएं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि	2 वर्ष
10.	नियुक्ति प्रक्रिया	चालन परीक्षा, यातायात सम्बन्धी नियमों और कौशल परीक्षण के आधार पर सीधी नियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन आधारित नियुक्ति	लागू नहीं

12.	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की संरचना	कैडर नियुक्ति नियम(गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2018 (अनुसूची-II) के अनुसार
-----	---	--

नोट: समय-समय पर संशोधित स्टाफ कार ड्राइवर संवर्ग हेतु DoPT नियमों के आधार पर पदोन्नति।

(दिनांक 04/12/2018 को कार्यकारी परिषद् की बैठक में प्रस्ताव संख्या 20 के आधार पर स्वीकृत)

डॉ. सत्य प्रकाश उपाध्याय, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./557/2021-22]

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No. 25 of 2009)

NOTIFICATION

AMENDED ORDINANCE No. 13 - CADRE RECRUITMENT RULES OF NON-TEACHING AND OTHER ACADEMIC POSTS 2018

Gandhinagar, the 4th January 2022

F. No. 2-4/2009-Admn./1073.—The Executive Council of the “Central University of Gujarat”, in exercise of the powers conferred under Section 26 (d) of the University Act, Statutes 12 (2) (iv) and 23 (2) of Second Schedule to the “Central Universities Act, 2009”, in supersession of all existing recruitment rules, hereby framed the following rules for regulating the recruitment to the Non-Teaching and Other Academic Posts in the University under Ordinance No.13.

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

- 1.1 These Rules shall be called “Central University of Gujarat Cadre Recruitment Rules of Non-Teaching and Other Academic Posts 2018”.
- 1.2 These Rules shall come into force with effect from the date of issue of notification.

2. DEFINITIONS :

In these Rules, unless the context otherwise requires:

- 2.1 ‘Act’ means the “Central Universities Act, 2009” as amended from time to time.
- 2.2 ‘Appointing Authority’ in relation to any post in the University implies the authority competent to make appointment to that post under the Act / Statute / Ordinances / CRR’s / Regulations of the University as amended from time to time.
- 2.3 ‘Cadre’ means the strength of service or a part of service sanctioned as a separate unit.
- 2.4 ‘Departmental Candidate’ means the employee working on regular basis in the Central University of Gujarat against a substantive post in the University but does not include an employee working on ad-hoc, daily wages, contract, or temporary basis.
- 2.5 ‘Direct Recruitment’ means the recruitment made other than by promotion, deputation or absorption.
- 2.6 ‘Government’ means the Government of India.
- 2.7 ‘Non-Teaching Employee’ means an employee of the University other than teachers of the University and such other employees as defined otherwise.
- 2.8 ‘Other Academic Staff’ means the academic staff as defined in the “UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2018” which includes the cadres of Librarians, Directors of Physical Education and Sports.
- 2.9 ‘Regular Service’ means the service rendered by an employee in the cadre on regular basis and shall not include the service on contract/daily wages/temporary/ad-hoc basis.
- 2.10 ‘Schedule’ means the Schedule appended to these Rules.

- 2.11** 'Selection Committee' means a composition of members of Selection Committee including Departmental Promotion Committee and Departmental Confirmation Committee as specified in the Act, Statutes, Ordinances, UGC Regulations, Guidelines or the Cadre Recruitment Rules of the University.
- 2.12** 'Statutes', 'Ordinances' and 'Regulations' shall mean, respectively, the 'Statute', 'Ordinance' and 'Regulations' of the University under "**Central Universities Act, 2009**", for the time being in force and as amended from time to time.
- 2.13** 'University' means "Central University of Gujarat" established under "**Central Universities Act, 2009**".
- 2.14** 'Age' means the age limit as specified in the Schedule.
- 2.15** 'Notified date' means the date specified in the Notification.
- 2.16** 'UGC' means the University Grants Commission established under the UGC Act, 1956.
- 2.17** 'SC' means Scheduled Caste, 'ST' means Scheduled Tribe, 'OBC' means Other Backward Class, 'PwD' means Persons with Disability.
- 2.18** 'On Probation' with relation to person means a person appointed to any post on probation as specified in these rules.
- 2.19** 'Substantive appointment' means appointment made under the provisions of these Recruitment rules after due selection process which includes appointment made on probation followed by confirmation on successful completion of the period of probation.
- 2.20** 'Service or Experience' wherever prescribed under these rules means a condition for promotion/appointment from one post to another shall include the period for which the person has continuously worked on such lower post after regular appointment in accordance with these Rules.
- 2.21** 'Competent Authority' means the authority competent to exercise different powers and functions under these Rules.
- 2.22** All other words and expressions, used herein, but not defined in these Rules, unless the context otherwise requires, shall have the same meaning as they have been assigned in the "**Central Universities Act, 2009**", Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder or in the rules framed by the Government of India as amended from time to time.

3. **EXTENT OF APPLICATIONS:**

- 3.1** These Rules shall apply to appointments on regular/tenure/deputation/ promotion basis by the University as the case may be.
- 3.2** The manner of appointment, conditions of service and admissible emoluments etc. of the non-teaching employees who were appointed under the erstwhile Recruitment Rules, shall be deemed to have been covered under these Rules.
- 3.3** Instructions issued by the Govt. of India/UGC regarding the appointment, conditions of service and admissible emoluments etc. of the non-teaching employees from time to time shall be incorporated in these Rules after due approval of the Executive Council.

4. **CLASSIFICATION OF POSTS**

- 4.1** Group 'A'
- 4.2** Group 'B'
- 4.3** Group 'C' including Multi-Tasking Staff (MTS)

5. **SCHEDULE :**

The number of posts, their classification, scale of pay/ pay-matrix, details of qualification, experience, method of recruitment, age limit, etc. for various posts and any other information relevant to these posts are specified in these rules and appended as Schedule-I.

6. **APPOINTING AUTHORITY :**

The Appointing Authority in respect of various posts in the University shall be as under:

	Appointing Authority	Posts
A.	Executive Council	Permanent appointment to all Group 'A' posts
B.	Vice-Chancellor	(i) Permanent appointment to all Group 'B' posts (ii) Temporary appointment to all Group 'A' / Group 'B' posts
C.	Registrar	(i) Permanent appointment to all Group 'C' posts. (ii) Temporary appointment to all Group 'C' posts.

7. METHOD OF RECRUITMENT :

The recruitment to various posts shall be made by the Appointing Authority by the following methods:

7.1 Direct Recruitment

7.2 Promotion

7.3 Deputation with or without the provision for absorption as per GoI rules.

7.4 Tenure appointments, as per the University Regulations/Guidelines/MHRD instructions

Note: Notwithstanding the above, the Vice - Chancellor may engage retired employees for a short period (not more than one year) against any post (other than statutory posts) depending upon the exigency of the situation after assessment of the suitability and observance of due procedures to be decided by the Executive Council.

8. AUTHORISED SANCTIONED STRENGTH OF POSTS UNDER VARIOUS CADRES :

8.1 The authorized sanctioned strength of the posts under each of the cadres as on the date of notification shall be as specified in these rules.

8.2 After notification of these rules, the authorized sanctioned strength of posts under various cadres shall be such as may be determined by the University Grants Commission from time-to-time, and notified accordingly, after due approval of the Executive Council of the University.

9. FUTURE MAINTENANCE OF THE CADRE/POSTS :

9.1 All the appointments made through the methods of recruitment, mentioned under Rule 7 above, in the University after notification of these rules, shall be made only in accordance with the provision of these rules. The Executive Council may add/abolish such other posts and/or Cadre with the prior approval of UGC after notification of these rules.

9.2 The seniority of the employees borne in each cadre/posts specified in these rules shall be maintained by the Registrar of the University and/or other officer authorized for the purpose by the Competent Authority. Notwithstanding anything contained herein, any class or category of posts and incumbents thereof may be placed in any of the offices or establishments, as the case may be, by general or specific order(s) of the Vice-Chancellor or Registrar.

10. INITIAL CONSTITUTION :

10.1 The employees holding the posts on regular basis in accordance with the prevailing rules i.e. prior to the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

10.2 The regular continuous service of the personnel mentioned under sub-rule (1) prior to the initial constitution shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension scheme as applicable in the service.

11. PROCEDURES FOR ISSUE OF ADVERTISEMENT AND INVITING APPLICATIONS:

I. ISSUE OF ADVERTISEMENT :

The vacant posts of permanent nature, posts approved under specific schemes, the posts of temporary nature likely to continue, tenure/deputation posts, etc. shall be advertised at an appropriate time, giving at least one insertion in any of the national dailies, one insertion in the *Employment News* and the University website. The candidates may fill up the prescribed application forms along with the details of qualifications, experience and other requirements as per the procedures to be prescribed by the university and submit the applications duly completed in all respects along with the prescribed application fees, if any, within the stipulated time.

Note:

- (a) In order to reduce the cost of advertisement, only essential details of the recruitment including the closing date of the application shall be indicated in the advertisement. The closing date may be extended at the discretion of the Vice-Chancellor depending on the exigency of the situation, by notifying on the website only, for which the interested candidates have to be in constant touch with the website of the university.
- (b) Applications for engagement of retired employees and/or for short-term contractual engagement may be invited through any other mode, such as the circular, notification on the web-site and Notice Boards of the University.
- (c) In addition to the provisions mentioned at Para 11 (I) above, the University at its discretion, may request the Employment Exchange to sponsor candidates for posts as per the prescribed educational qualifications, experience etc.

II. TIME LIMIT FOR RECRUITMENT PROCESS

The university may ensure that the entire recruitment process including and starting from advertisement, conducting written examination or holding of interview may be completed within six months. (Ref: DoPT O.M.No.Misc.14017/15/2015-Estt.(RR) dated 11.01.2016 duly forwarded by UGC to all central universities vide letter No.F.74-1/2017 (CU) dated 16th October, 2017).

Provided that, if in the opinion of the Vice-Chancellor, the circumstances so warrant, he may extend the time limit for the recruitment process by a maximum period of six months.

III. APPLICATION FORM

- (a) Applications for all the posts shall be entertained only in the prescribed format (Online or direct or both), along with the prescribed fee, payable in favour of the “**Central University of Gujarat**” through Bank Draft or Online payment.
- (b) The schedule of charges for the application form and the prescribed fee shall be determined by the Vice-Chancellor, from time to time. Concessions in application/processing fee, wherever provided, shall be as per Govt. of India norms.
- (c) **Receipt of applications after the closing date:** The closing date for receipt of applications shall ordinarily be 30 days from the date of release of advertisement on the university website. However, the Vice-Chancellor may, at his discretion, decide the extension of the closing date for receipt of applications, keeping in view the exigency of the situation. Incomplete applications, and the applications received after the due date, shall not be entertained. The Vice-Chancellor may, however, allow the acceptance of any application received after the closing date, subject to production of proof that the application along with the enclosures and the remittance details, if any was posted by the candidate on or before the closing date. In case the closing date is a holiday, the next working day shall be treated as the closing date. Incomplete applications and applications not submitted in the prescribed format, along with the prescribed fee and self-certified enclosures, etc., shall be summarily rejected.
- (d) The application should be addressed to “..... Recruitment Cell, Central University of Gujarat” in a closed cover super-scribing "Application for the post of".
- (e) **Holding of Written/Skill Tests:** While filling up the posts under direct recruitment, the University shall hold the written and Skill tests for all Group “B” and “C” Non-Teaching posts. The written tests may comprise Reasoning Ability, Simple Arithmetic, General Knowledge, Domain Knowledge of the Establishment, Accounts, Examinations, Language proficiency in English and Hindi, etc. wherever applicable, noting and drafting etc. and/or skill tests, or any other type of test depending upon the job requirements (such as posts under Technical / Laboratory services, Engineering, Information and Communication Technology, Library services etc.) to be decided by the University. The University may conduct written tests at two stages (i) A qualifying test (Paper I) consisting of the objective-type questions carrying 100 marks, and (ii) the Descriptive-type test (Paper II) carrying 100 marks. The minimum qualifying marks to be secured in Paper I shall be 40%. The answer scripts of the candidates for the descriptive test shall be evaluated only in respect of those candidates who secure the minimum qualifying marks in Paper I. The candidates who secure 50% marks in Paper II shall be called for the skill test/interview, wherever applicable. The marks allocated for the skill test, wherever applicable, shall be 50 and the minimum qualifying marks in the skill test shall be 25. The merit list of the candidates shall be drawn based on the performance in Paper II (Descriptive test) only subject to qualifying the skill test, wherever applicable.

Notwithstanding the above, the University at its discretion may hold single written test (Descriptive test) and skill test, wherever applicable, depending upon the number of candidates, job requirements (such as posts under Technical / Laboratory services, Engineering, Information and Communication Technology, Library services

etc.).

- (f) The marks allocated for the interview wherever applicable shall be 50 and the marks shall be added to the marks scored in Paper-II/single written test (Descriptive test) as the case may be for the preparation of the merit list.
- (g) The competent authority to frame the syllabi for the tests, skill tests, modalities for carrying out the tests, evaluation, etc., shall be the Vice-Chancellor.
- (h) Relaxation in qualifying marks or any other relaxation in the test, if any for the reserved categories shall be extended as per Govt. of India guidelines as amended from time to time.
- (i) The University may at its discretion adopt appropriate procedures for recruitment to Group 'A' non-teaching posts on similar lines as given above.

12. COMPOSITION AND FUNCTIONS OF THE SELECTION COMMITTEE

- 12.1 The Composition of Selection Committee shall be as prescribed in the Statutes/Ordinances/UGC Regulations/ Guidelines/Schedule of CRRs.
- 12.2 The recommendations of the Selection Committee shall be submitted to the Appointing Authority for consideration and appropriate action.
- 12.3 If two or more candidates are recommended, the recommendations shall be made in order of merit.
- 12.4 No recommendation shall be made with a condition attached to it.

13. QUALIFICATION AND EXPERIENCE:

The qualification (essential and desirable) and experience required shall be as indicated in the Schedule. The qualification prescribed in the schedule for each of the post shall be the minimum qualification.

14. AGE LIMIT:

The upper age limit for appointment to various posts shall be as specified in the Schedule. The crucial date for determining the age shall be the closing date of the application.

15. RESERVATION OF POSTS :

- 15.1 The University shall strictly follow the norms of the Government of India in respect of reservation/ relaxation/ concessions to various categories in recruitment/ promotions, etc., pertaining to age, qualifying marks, experience/fees, etc. as amended from time to time.
- 15.2 The candidate belonging to the reserved categories shall enclose self-attested copies of the caste certificate and/or medical certificate (pertaining to the determination of degrees of disability in case of PwD candidates) from the competent authority in the format prescribed by the Government of India (subject to verification at a later date), failing which the application shall be rejected.
- 15.3 A candidate belonging to SC/ST/OBC/PwD who has been selected on the same standard as applied to the General candidates and who appears in the general merit list is to be treated as own merit candidate. Such candidate is adjusted against unreserved point of the reservation roster. In other words, a candidate applying against the unreserved vacancy cannot be considered for any relaxation.
- 15.4 When a relaxed standard is applied in selecting an SC/ST/OBC/PwD candidates, for example in the age limit, experience, qualification, permitted number of chances in the written examinations, extended zone of consideration larger than what is provided for general category candidates etc, the SC/ST/OBC/PwD candidates are to be counted against reserved vacancies. Such candidates would be deemed as un-available for the consideration against un-reserved vacancies.

Note: Nothing in these Rules shall affect the reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time.

Payment of TA: The candidate shall attend the interview at the designated place and time at his own expenses. However, the outstation candidates belonging to the SC & ST categories shall be reimbursed to and fro rail fare (sleeper class) for self only by the shortest route. In case any station is not connected by rail, ordinary bus fare shall be paid by the shortest route on production of ticket. The above-mentioned concessions shall not be admissible to those SC/ ST candidates who are already in Central/ State Government Service/ or holding any other employment under PSUs / Local Governments/Panchayats.

16. CONSTITUTION AND ROLE OF SCREENING COMMITTEE:

The Vice-Chancellor may constitute a Screening Committee by including at least one outside expert in the relevant field, in addition to the internal members. The Member-Secretary to the Screening Committee shall be nominated by the Vice-Chancellor. It shall be the duty of the Member-Secretary to place the relevant documents/ rules/ guidelines, etc., relating to the selection before the Screening Committee. The Screening Committee shall screen the applications and shortlist the candidates in accordance with the eligibility criteria, prescribed in the advertisement and as per recruitment rules. Except for the posts of Registrar, Finance Officer, Controller of Examination, Librarian, Director of Physical Education, it must be ensured that the ratio between the number of vacant posts to be filled and the number of candidates to be called for interview shall not exceed 1:15. In order to comply with this requirement of maximum ratio, the Screening committee may fix higher criteria at its discretion for the candidates so as to downsize the number of candidates. If three eligible applicants are not available to meet the minimum ratio to appear for the test, the post shall be re-advertised at-least twice after which the University may take appropriate action with regard to the selection. This condition shall not be insisted upon in case of selection on deputation (without absorption). In case of posts in which there is a provision for holding a common written test, all the eligible candidates may be called for the written test notwithstanding the maximum prescribed ratio. However, the successful candidates in the written test may be called for interview, wherever required in order of merit subject to maximum ratio of 1:15. The Screening Committee(s) may at its discretion, recommend the candidate for the post on conditional basis and the conditions must be complied with, by the candidate before the written test/skill test/interview as the case may be. Till such time, the candidature of the candidate shall continue to remain provisional.

Note :The Acting/In-charge Vice-Chancellor shall not make any appointment to permanent non-teaching positions. However, the Acting/In-charge Vice-Chancellor may constitute a Screening Committee/Selection Committee for the appointment of temporary posts as per MHRD letter F. No. 19-58/2014-Desk (U) dated 09/01/2014 subject to approval of the Executive Council.

17. CONSTITUTION OF SELECTION COMMITTEES / DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEES/ DEPARTMENTAL CONFIRMATION COMMITTEES *

The Constitution of the Selection Committees and Departmental Promotion Committees (DPC)/ Departmental Confirmation Committees* are specified in the Schedule-II. The Vice-Chancellor, at his discretion, may include the Head or any other senior member of the unit concerned (in the absence of the Head of the Unit) in the Selection Committee / Departmental Promotion Committee at the time of selection / promotion to any post in the University. Any other member / members can also be included in the Selection Committee / Departmental Promotion Committee as per the GoI/UGC guidelines.

(* Ref: DoPT O.M.No.AB.14017/21/2011-Estt.(RR) dated 10th May, 2013)

A person shall be disqualified for sitting as a member of any Selection/ Departmental Promotion Committee and Departmental Confirmation Committee and from taking part in any selection/ promotion process under these Rules, if he is related to any candidate or there would be any conflict of interest in case of his association with the selection process. For this purpose, the University shall obtain an undertaking to this effect from the member concerned prior to the commencement of the selection process.

18. QUORUM:

The Quorum for the Selection Committee prescribed under the UGC Regulations/Notifications/Instructions shall be applicable *mutatis mutandis* as amended from time to time

For other posts, two-thirds of the members present shall form the quorum for the meeting of a Selection Committee, which shall include the Chairperson, the Visitor's nominee (wherever applicable), at least one external expert out of the two Experts or two outside experts out of three Experts and one representative from the respective reserved category as per requirement.

19. DIRECT RECRUITMENT BY OPEN SELECTION :

- 19.1** Wherever the UGC guidelines in respect of any particular non-teaching post are not available or framed, the University shall frame its own recruitment rules, laying down the qualifications, experience and nature of duties, etc., according to the requirements and compatibility of the post.
- 19.2** Recruitment to any regular post in the University shall be made on the recommendations of a duly-constituted Selection Committee, as prescribed under these rules.
- 19.3** The Chairman shall be entitled to vote at the Selection Committee meeting and, in case of a tie, shall have a casting vote.

- 19.4** In case two or more candidates are recommended for appointment, the recommendation shall be in order of merit.
- 19.5** The recommendations of the Selection Committee for Statutory posts and other Group 'A' academic posts covered under the UGC Regulations, 2018 as amended from time to time (such as Librarian, Deputy Librarian, Director of Physical Education, Deputy Director of Physical Education, Assistant Librarian, Assistant Director of Physical Education, etc.) shall be placed before the Executive Council for approval. If the Executive Council is unable to accept the recommendations made by a Selection Committee, it shall record its reasons and submit the case to the Visitor for final orders as prescribed under Statute 18(5).
- 19.6** The recommendations of the Selection Committee for non-statutory Group 'A', 'B' & Group 'C' posts shall be placed before the competent authority as prescribed under these rules for consideration and approval. In case the recommendations of the Selection Committee are not accepted, the reason(s) for non-acceptance of such recommendations shall be recorded. The power to reject the recommendations of the Selection Committee shall rest with the Executive Council and the decision of the Executive Council shall be final.

20. SENIORITY:

The seniority of each candidate in the respective cadre shall be determined on the basis of his/her position in the merit list recommended by the Selection Committee and in accordance with the relevant rules of the Govt of India / UGC.

21. APPOINTMENT AND JOINING TIME:

- 21.1** The appointment of a candidate shall be subject to the verification of antecedents, educational qualifications, experience and medical fitness.
- 21.2** An offer of appointment issued by the University should clearly specify the period (which shall not normally exceed one or two months) after which the offer would lapse automatically if the candidate did not join within the specified period.
- 21.3** If, however, within the specified period, a request is received from the candidate for extension of time, it may be considered by the University but extension beyond three months shall not be ordinarily granted. It may however be granted by the competent authority only as an exception where facts and circumstances so warrant. In any case extension may be given only up to a maximum of six months from the date of issue of the original offer of appointment. An offer of appointment would lapse automatically after expiry of six months from the date of issue of the original offer of appointment. The candidate who joins within the above-mentioned period of six months shall have his seniority fixed under the seniority rules applicable to the service/post concerned to which he/she is appointed, without any depression of seniority.

22. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF RECRUITMENT:

- 22.1** Candidate who is already in service shall submit his application through proper channel along with vigilance clearance certificate from the competent authority. However, he may send an advance copy of his application and in case his application is not forwarded due to whatever reasons till the time of written test or interview as the case may be, he/she, should produce a "No Objection Certificate along with the Vigilance Clearance Certificate in a sealed cover" from the employer.
- 22.2** The application for appointment on deputation shall be forwarded by the employer along with the Annual Performance Appraisal Reports (APARs)/ACR for the preceding five years and Vigilance Clearance Certificate, duly certified by the Competent Authority.
- 22.3** It shall be the responsibility of the candidate to assess his/her own eligibility for the post for which he/she is applying in accordance with the prescribed qualifications, experience, etc., and submit his application duly filled-in, along with the desired information and documents as per the advertisement. Suppression of factual information, supply of fake documents, providing false or misleading information or canvassing in any manner on the part of the candidates shall lead to his disqualification. In case, it is detected at any point of time in future, even after appointment, that the candidate was not eligible, his appointment shall be liable to termination forthwith as per this clause. This must be mentioned in the letter of offer and appointment clearly. In case of any ambiguity in the recruitment rules in general and eligibility in particular for any post, the decision of the Executive Council shall be final.
- 22.4** Acceptance of documents submitted by an applicant shall be subject to verification by the competent authority at any point of time even after joining the employment. If any document is found to be false

- / fake / incorrect either before or after appointment, the document shall be summarily rejected or action may be initiated against the candidate which shall lead to cancellation of his appointment, as the case may be.
- 22.5** The person appointed against any post shall be governed by the Act/ Statutes/ Ordinances/ Rules of the University and also the CCS (Conduct) Rules, 1964, CCS (CCA) Rule, 1965 or any other rules of the Government of India, as amended from time to time and any other rule/ resolution prescribed specifically for maintaining the conduct of the employees by the Executive Council of the University.
- 22.6** The appointment of a candidate shall be subject to verification of character and antecedents by the competent authority. Until the verification of character and antecedents reports are received, the appointment shall be treated as provisional. In case the report/s with regard to his conduct, character, antecedents, etc., is found to be unsatisfactory, the appointment shall be cancelled / terminated forthwith.
- 22.7** Canvassing in any form on behalf of any candidate shall be treated as a disqualification which shall lead to cancellation of candidature.
- 22.8** In pursuance of the Letter No. 19-50/2015-Desk-U, dated 22.12.2015, of the M.H.R.D, there shall be no interview for appointment to the Group 'C' and 'B' posts. Accordingly, no interview shall be held for appointment to the Group 'C' and Group 'B' posts.
- 22.9** The selected candidate shall produce a medical fitness certificate issued by a Govt. Hospital / or Govt./CGHS empanelled Hospital duly countersigned by the concerned civil surgeon or the Medical Superintendent/ Director of the concerned hospital for Group B and C post and certificate from the Medical Board issued by a Govt. Hospital / or Govt./CGHS empanelled Hospital for Group A post as the case may be prior to his joining. In cases where a person has already been examined by a Medical Board in respect of his previous appointment and if standard of medical examination prescribed for the new post is the same, then he need not be required to undergo a fresh examination. For this purpose, he has to submit a copy of the medical certificate duly countersigned by the designated officer of the University.
- 22.10** The terms and conditions of appointment shall be communicated to the candidate in the form of 'Offer of Appointment' to the selected candidates. If the candidate does not accept the terms and conditions mentioned in the offer of appointment within the stipulated time, the offer shall be treated as withdrawn.
- 22.11** The selected candidates shall be required to perform duties as per the Rules of the University, as amended from time to time. The University shall be free to assign any duty as per the exigency of the situation at any time even during non-working hours/holidays which the employee shall have to perform without fail to avoid any disciplinary action.
- 22.12** The selected candidate shall be governed by the New Pension Scheme of the Govt. of India, as the case may be, duly extended by UGC.
- 22.13** The selected candidate shall be liable to serve anywhere within the jurisdiction of the University.
- 22.14** The minimum educational qualification and experience, constitution of Selection Committee, prescribed quota, method of recruitment or any other eligibility criteria, etc. for direct recruitment or promotion/under career progression scheme, wherever applicable on the posts of Registrar, Finance Officer, Controller of Examinations, Librarian, Deputy Registrar, Assistant Registrar, Assistant Librarian, etc. and equivalent posts shall be governed strictly as per the UGC's guidelines/regulations. Any amendment to the Notification/ Regulations/Guidelines of the UGC/Government of India in future shall be deemed to have been adopted by the University for Implementation in supersession of the existing provisions already adopted and incorporated in these Rules.
- 22.15** At the time of recruitment, a 'Service Agreement' shall be executed between the University and the employee concerned and a copy of the same shall be kept with the Registrar. Such service agreement shall be duly stamped as per the rates applicable.
- 22.16** The candidate shall bring all original certificates relating to his age, qualifications, experience, etc. at the time of tests or interview wherever applicable. In case the candidate fails to submit the original documents for verification of the certified photocopies of the enclosures to his application, he may not be allowed to appear at the tests/interview and his candidature may be treated as cancelled without any further communication in this regard.
- 22.17** (i) The details of the vacancies shall be indicated in the advertisement. The University may also include the details with regard to anticipated vacancies arising due to retirement of employee(s) of

that particular year or any case of voluntary retirement or resignation for which the employee has served notice prior to the issue of advertisement shall be included in the instant advertisement. The University reserves the right to fill or not to fill up the posts advertised for any reasons whatsoever. However, the number of posts filled up shall not exceed the number of posts advertised including anticipated vacancies.

(ii) The University may draw a panel in the form of a waiting list to fill up a post. In case a candidate on higher merit regrets to join within a period of one year or resigns/dies after joining, within a period of one year, the offer shall be made to the next candidate on the merit, if otherwise in order, to reduce the delay in filling up of the vacancies. Such a vacancy should not be treated as fresh vacancy.

(Reference :DoPT OM No.41010/18/97-Estt(B) dated 13th June, 2000)

(iii) The University reserves the right to withdraw an advertisement, either partly or wholly, at any time without assigning any reason.

(iv) If any advertisement for any post is withdrawn by the University, the application fee collected from the candidates shall be refunded within a reasonable period of time.

23. PROMOTION:

- 23.1 The candidates to be considered for promotion must comply with the prescribed eligibility criteria as on the date of issue of the notification.
- 23.2 Promotion is earned by dint of hard work, good conduct, and result-oriented performance, as reflected in the APARs/ACR. Only performance reported "Good (Grade 5)" carrying Grade Pay up to Rs. 6600 (Level 11), consistently for the preceding five years shall be taken into consideration by the DPC. In case of Group 'A' post carrying Grade Pay of Rs. 7600/- (Level 12) or above, persons reported "Very Good" (Grade Point 7) shall only be considered. Those with "average performance", which is not an adverse remark, shall not be considered for promotion by the DPC. The University may hold the written/skill tests at the time of promotion of the employees of the University and fix qualifying marks as per the schedule appended herewith, in addition to the screening the Annual Performance Appraisal Reports (APAR)/ACRs for preceding years, depending upon the length of Qualifying Service. While screening the Annual Performance Appraisal Reports/ACR, the University may also fix any other criteria for consideration of the DPC.
- 23.3 The DPC should assess the suitability of the employees for promotion on the basis of their service records and the Annual Performance Appraisal Reports/ACR for the preceding five years, as specified above at clause 23.2.
- 23.4 In case there is any adverse entry in the APAR/ACR, or for want of prescribed score in the APAR/ACR, the case of promotion shall not be considered unless and until the competent authority expunges such adverse entry. If the competent authority does not expunge the adverse entry or does not increase the score after review of performance as per procedures, the employee concerned may have to wait for the required number of reports carrying the prescribed bench marks as required for the post under these Rules.
- 23.5 The eligibility criteria, Vigilance Clearance Reports and APAR/ACR dossiers, duly completed in all respects along with the seniority list and results of the written test (if conducted by the University) of the eligible employees to be considered for promotion, with details of the number of vacancies, number of posts reserved for SCs / ST/ PwD, etc. shall be provided to the DPC for consideration as per GoI rules.
- 23.6 In the case of "Selection", the zone of consideration of eligible officers extended zone for SCs / STs/ PwDs to ensure the promotional chances against the reserved quota shall be decided by the DPC on the basis of the service records of the officers. The normal zone and the extended zone will be as per the Govt. of India rules.

The departmental test shall only be qualifying in nature. The DPC shall make its own assessment of the officers and shall determine the merit of those being assessed for promotion with reference to the benchmark "Good" i.e. minimum score 5 for all officers up to the Grade Pay of Rs. 6600 (Level 11) and "Very Good", i.e. a minimum score of 7 for all Group 'A' posts upto the Grade Pay of Rs. 7600 (Level 12) and above, accordingly, grade the officers as 'fit' or 'unfit' only. Those who are graded as 'fit' shall be included in the select panel in order of their inter-se-seniority in the feeder grade, subject to the availability of regular vacancies. Those employees who are graded 'unfit' by the DPC shall not be included in the selection panel. There shall be no supersession in promotion among those who are graded 'fit'. The grading and score are quoted below:

S.No.	Grading System and Score in APAR
(i)	Grade "between 8-10" shall be rated as 'outstanding' and shall be given a score of 9 for the purpose of calculating average scores for appointment/promotion.
(ii)	Grade "between 6 and short of 8" shall be rated as 'very good' and will be given a score of 7 for the purpose of calculating average scores for appointment/promotion.
(iii)	Grade "between 4 and short of 6" shall be rated as 'good' and shall be given a score of 5 for the purpose of calculating Average scores for appointment/promotion.
(iv)	Below 4 shall be given a score of 'zero'.

- (a) The meeting of the Departmental Promotion Committee (DPC) shall ordinarily be convened at least once a year, which shall depend upon the availability of vacancy.
- (b) The administrative authorities shall ordinarily ensure that the information furnished to the Departmental Promotion Committee are accurate and in proper order in all cases and a certificate to this effect duly signed by the officer designated for the purpose shall form a part of the note for the DPC.
- (c) Penalties of any kind (major or minor) shall constitute a bar to one's eligibility for promotion or confirmation. However, minor penalty of "censure" would not constitute a bar on the eligibility and consideration for the purpose of promotion/confirmation unless otherwise mentioned specifically in the order about such a bar on the eligibility.
- (d) The following cases shall be brought to the notice of the DPC:-
- Employees under suspension;
 - In respect of whom a charge-sheet has been issued and disciplinary proceedings are pending; and
 - In respect of whom prosecution for a criminal charge has been pending.

The DPC shall assess their suitability without regard to the disciplinary aspect. The findings of the DPC shall be kept in a sealed cover as per the fact recorded in the proceedings of the DPC. The same procedures shall be followed by subsequent DPCs till the disciplinary / criminal cases are concluded. On conclusion of the case, the sealed cover will be opened. In case the officer is completely exonerated, the due date of his promotion shall be determined and he will be promoted notionally with reference to the date of promotion of his junior and if necessary by reverting the junior most officiating person. The Appointing Authority shall decide whether and to what extent the arrears of salary shall be paid. Where arrears are denied, reasons shall be recorded. If not exonerated, the findings of the sealed cover shall not be acted upon.

- (e) The cases of officers under cloud after clearance by the DPC shall be settled in accordance with the Government of India rules.

24. FUNCTIONS OF THE DPC:

24.1 The Departmental Promotion Committee (DPC) shall consider and make recommendations in all cases of Group A, B and C employees. The constitution of DPC for various categories of posts shall be as prescribed under the Cadre Recruitment Rules of the University.

24.2 While considering the promotional cases, the Departmental Promotion Committee shall consider the following:

- Provisions of the Rules / Act / Statutes / Ordinances /University Regulations/ UGC Regulations/guidelines and GOI Rules as applicable from time to time.
- Eligibility criteria and relaxations / concessions applicable to the SC / ST / PwD categories.
- Work and Conduct Reports
- The Annual Performance Appraisal Reports (APARs)/ACRs for the preceding five years along with the Annual Property Returns (APRs) as available with the competent authority. While screening the Annual Performance Appraisal Reports (APARs)/ACRs, the DPC may also adopt the criteria with regard to the bench marks as mentioned in the Statutes/ Ordinances/Govt. of India rules.

- (v) Vigilance Clearance Report
- (vi) Roster points of the cadre(s) as per the reservation policy of the Govt. of India / UGC.
- (vii) Performance in the interview /skill test / written test, if conducted by the University as per rules.
- (viii) The DPC is expected to screen the cases and decide the eligibility based on the aforementioned documents like APARs/ACRs, Vigilance Clearance Report, Roster, Recruitment Rules etc.

Note: *In case APAR(s)/ACRs for any particular period has not been written/ endorsed by the designated authority despite the fact that the employee concerned produces the proof of submission of self-appraisal report(s) duly filled-in for that particular period(s) to the concerned section, the DPC/Screening Committee shall ignore the report(s) of that particular period(s) and shall take into account the report(s) of the immediately preceding period(s). It is mandatory on the part of the designated officer to make entry in the relevant register to be maintained for this purpose and issue proper receipt to the employee concerned as a proof of submission of the appraisal reports. There shall be proper entry in the relevant register with regard to each movement of the APAR/ACR till the completion of its process.*

25. **MODE OF PROMOTION:**

- 25.1** In addition to the conditions for promotion for the posts, as specified at 23 above, University may decide the method and procedure to be followed for promotion in respect of any category of posts. For this purpose, the University, at its discretion, may opt the fitness-cum-seniority or hold written test or other trade / professional tests and fix qualifying marks for any post to assess the competence in an objective manner. In such cases, association of at least one external expert shall be mandatory.
- 25.2** Mere possession of eligibility conditions shall not entitle an employee to be promoted to the next higher post from the date of his eligibility. After completion of formalities such as Annual Performance Appraisal Reports (APARs)/ACRs, Vigilance Clearance Report, the Departmental Promotion Committee may be constituted to evaluate and assess the eligibility of the employees. The employees shall be considered for promotion based on the recommendations of the DPC duly approved by the Competent Authority of the University.
- 25.3** All promotions of the non-teaching staff belonging to Group 'A', 'B' and Group 'C' shall take effect from the date of joining.
- 25.4** Qualifying in Typing Test / Skill Test with knowledge of computers shall be the compulsory requirement for promotion to the post of Lower Division Clerk, Upper Division Clerk, Assistant, Semi-Professional Assistant, Library Assistant and other positions as identified from time to time. Further, qualifying in Typing Test / Skill Test with knowledge of computers shall be the compulsory requirement for all Personal Assistants of the University who shall be considered for promotion as Private Secretary as per the eligibility criteria prescribed in these Rules as prescribed for direct recruitment. The University may impose any condition to be complied with at a future date failing which the competent authority may order for stoppage of increment.

26. **AD-HOC PROMOTIONS:**

In case there is an existing vacancy and no eligible employee is available in the feeder Cadre for promotion, the competent authority may consider relaxation by a maximum period of one year at its discretion to promote an employee on ad-hoc basis after completing all procedural formalities, as laid down under Rule 23 above. However, this arrangement shall not be allowed to continue beyond one year in case the employee concerned is not considered for regular promotion.

27. **PANEL:**

The panel drawn for promotion/direct recruitment shall normally be valid for a period of one year from the date of the meeting of the DPC/ date of approval of the recommendations, respectively.

28. **MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEME (MACP)/ CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS)/ DYNAMIC ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEME**

The financial up-gradation under the Career Advancement Schemes such as MACP/CAS/DACP Scheme in respect of non-teaching staff of the University shall be allowed as per the provisions of the Act / Statutes / Ordinances, Rules of the University and orders / guidelines of UGC / Government of India (as amended from time to time) duly adopted by the University.

- (a) The Modified Assured Career Progression Scheme (MACPs) of the Govt. of India, duly communicated for implementation by the UGC in respect of Non-Teaching employees, shall be effective from 01.09.2008, or as per the eligibility criteria prescribed by the GoI / UGC from time to time, whichever

is later.

- (b) In case of up-gradation of pay scale, up to the level of Joint Registrar or equivalent, the Registrar shall chair the meeting of the Screening Committee. The Vice-Chancellor shall nominate at least one external expert and other members representing SC / ST / OBC / PwD / Minorities etc. wherever required as per the guidelines of the UGC / GoI.
- (c) Any dispute in implementation of the afore-mentioned Career Advancement Schemes shall be referred to the University Grants Commission, and the decision of the UGC shall be final.

29. DEPUTATION WITH OR WITHOUT THE PROVISION FOR ABSORPTION :

In case the appointment is made on deputation by following the due process of selection prescribed for the post under the Cadre Recruitment Rules, the incumbent may be allowed to continue for the period as prescribed by the Govt. of India from time to time or till he attains the age of superannuation prescribed for that particular cadre, whichever is earlier. An appointment on deputation may be made initially for a period of three years (except statutory posts) which may be extended further at the discretion of the Competent Authority subject to satisfactory performance. The University, however, shall have the right to repatriate all incumbents, including the incumbents holding the statutory posts, at any time even before the prescribed period in case his performance, integrity or conduct are found to be unsatisfactory at any stage, in the opinion of the competent authority. Ordinarily, no person working on deputation shall be absorbed in any post of the University after expiry of his period of deputation. In case, it is decided in the interest of the University to absorb any such person, then the University may take up the matter with his parent organisation for concurrence after obtaining the option of the employee concerned subject to the condition that the matter of absorption is specifically mentioned in the advertisement. After obtaining the consent of the parent department, the case shall be placed before the Competent Authority for a final decision. In case he is absorbed in the University, he shall be assigned the bottom seniority of that particular cadre as per the Govt. of India rules.

30. PROBATION:

30.1 In case of direct recruitment, the selected candidate shall be kept on probation for a period as specified in these rules. The appointing authority may, at its discretion, extend the period of probation by one year in case of unsatisfactory performance, misconduct or on ground of misbehaviour. However, any decision for extension of probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the probation period and communicated in writing to the concerned employee together with the reasons for doing so within the said period. On completion of the probation period or any extension thereof, employees shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in the appointments on regular basis and be confirmed against the available substantive vacancies as the case may be. In case there is no perceivable improvement despite all this, his/her services shall be discharged by giving him/her one month's notice in advance or on payment of one month's salary in lieu of notice. The employee concerned may also exercise his/her option to resign by giving one month's notice.

As regards other matters relating to probation, the employee will be governed by the instructions issued by the Government of India in this regard from time to time.

30.2 In the case of promotion to the next higher group, the employee(s) shall be kept on probation for a period of two years from the date of joining. The appointing authority may at its discretion, extend the period of probation by one year on ground of non-performance, misconduct or misbehaviour or if he/she fails to comply with the terms and conditions of the appointment to the post to which he/she was promoted. In case there is no perceivable improvement despite all this, he shall be reverted to his parent post, with immediate effect, and consequently all the employees promoted against the consequential vacancies due to the promotion of this employee shall be reverted to their respective parent posts, in case they cannot be adjusted in any other similar vacant posts. However, there shall not be any probation for promotion within the same group.

Note:

- (i) If an employee who has been recruited/promoted to any post, avail himself of leave on a piecemeal basis, or at a time for a period of two months or more during the period of probation, his probation shall be extended proportionately, i.e., equal to the total period of leave availed by the employee concerned.
- (ii) In order to avoid any anomalous situation, all cases of probation of the officials should be reviewed in every six months. In case, the result of review of performance of an official is found to be unsatisfactory, or not up to the mark, he shall be apprised of the consequences of unsatisfactory performance during the period of probation. Such an appraisal should be issued in advance after

which the performance of the official concerned should be continuously kept under observation.

- (iii) Notwithstanding anything contained in the above-mentioned provision, if a probationer is placed under suspension during the period of probation, the period of probation may be extended till such period as the appointing authority deems fit in the circumstances.
- (iv) As for temporary Government servants they should, as a matter of rule, be asked to resign from the parent department/office at the time of release from the parent department/office. An undertaking to the effect that he/she will resign from the parent department/office, in the event of his/her selection and appointment to the post applied for, may be taken from his/her at the time of forwarding the application. This procedure is to be followed even in case of a temporary Government servant applying as a direct recruit for a post in the same organisation.
- (v) An employee of the University shall be confirmed through Departmental Confirmation Committee.
- (vi) An employee of the University shall not be confirmed on his post unless and until he signs the 'Service Agreement'.
- (vii) There shall be no probation in the case of an employee appointed to a post on deputation, tenure or on re-employment after superannuation.
- (viii) The appointing authority shall record the reasons in writing while terminating the appointment of a probationer or extension of the normal period of probation.

31. APPLICATION OF GOVT. OF INDIA RULES/ UGC REGULATIONS:

*If any particular provision concerning the qualifications for recruitment and promotion or seniority under these Rules is silent, the corresponding rules operating in the Govt. of India/UGC, or the qualifications prescribed by the Govt. of India/UGC shall apply mutatis mutandis.

Further, the Pay Matrix contained in the Schedules for various posts shall be revised as per the GoI/UGC regulations/guidelines as amended from time to time.

32. POWER TO RELAX:

32.1 Relaxation in age, experience, qualifying marks, etc., may be granted to the candidates belonging to the Schedule Caste / Schedule Tribes / OBC / PWD or any other reserved category for reserved posts as per the UGC / Govt. of India guidelines. A certificate to this effect issued from the competent authority should be attached with the prescribed application form. Wherever a relaxation of qualification, including percentage of marks, is permitted under the UGC/Govt. of India guidelines, such relaxation shall also be considered in appropriate cases subject to recommendations of the Screening Committee.

32.2 The relaxation in age shall also be given in respect of the following categories as mentioned against each:

S.No.	Category of Persons	Extent of age relaxation
1.	Regular Employees of the Central Govt/State Govt./ Central Universities / UGC maintained deemed to be Universities / other Central/State autonomous bodies / organisations / Institutions.	As per Government of India rules.
2.	Ex-Servicemen	

The upper age limit for appointment of Group 'C' posts is relaxable for Group 'C' and erstwhile Group 'D' departmental candidates up to 40 years in case of General candidates and 45 years in case of candidates belonging the SC/ST who has rendered three years continuous regular service in university in accordance with the instructions or orders issued by the Govt. of India.

33. DISQUALIFICATION:

The following categories of persons shall not be eligible to apply for any position in the University:

- 33.1** who has been convicted by any Court of Law or any criminal proceedings are pending against him;
- 33.2** who is a person of unsound mind and questionable conduct or not medically fit to perform his duties.
- 33.3** who has entered into or contracted a marriage with a person having a living spouse;

Provided that the Competent Authority of the University may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there

are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of these rules;

33.4 who is not a citizen of India; and

33.5 any other category of person disqualified for appointment by the Govt. of India/ UGC from time to time.

34. VIGILANCE CLEARANCE:

34.1 Candidate who is already in service shall submit the Vigilance Clearance Certificate from the employer or his authorised officer, to the effect that no disciplinary / criminal proceedings are pending or contemplated against him. It shall be directly sent by the parent department or be handed over to the employee concerned in sealed cover at the time of written/skill test/interview as applicable or along with the application.

34.2 Wilful suppression of factual information or any document relating to the eligibility or otherwise as a candidate, followed by supply of fake documents or misleading statement or information in the application or tampering with the documents or providing such information relating to the achievements, caste, educational qualifications, experience or domicile, etc., the Chief Vigilance Officer of the University shall have the powers to investigate / inquire into the matter and submit his report to the Vice - Chancellor for further action at any stage of recruitment process or employment. If any of these acts is found to be true, the candidate shall be disqualified for appointment to the post or if already appointed, his/ her services shall be liable to be terminated, with immediate effect after adhering to the procedures.

35. REMOVAL OF DIFFICULTIES:

If any difficulty arises in the implementation or operation of any of the provision of these rules, the Vice-Chancellor may, from time to time issue with the approval of the Executive Council, such general or specific directions but not inconsistent with the provisions of the Act, Statutes, Ordinances or directives of the Government of India, Ministry of Human Resource Development/University Grants Commission, which appear to be necessary for the purpose of removing such difficulty.

36. INTERPRETATION:

Any ambiguity or lack of clarity with regard to any clause of the Rules, the matter may be referred to UGC for clarification.

37. AMENDMENT OF RULES:

The Executive Council shall have the authority to amend, modify, change, withdraw, suspend and relax any or all of these Rules as per provisions made under the relevant ordinances of the University/GoI norms/UGC guidelines or Regulations.

38. RESIDUARY MATTERS:

In regard to the matters not specified or referred to in these rules, the corresponding provisions as provided by the UGC for their employees or as prescribed by the Govt. of India relating to its employees, as amended from time to time, shall be followed. In case any particular provision in these Rules is in conflict with any provision of the Act/Statutes/Organicances of the University/UGC Regulations/guidelines, the provisions of the Act/Statutes/Organicances/UGC Regulations/guidelines shall prevail and such provision in these Rules shall stand superseded.

39. LIABILITY OF OFFICERS TO SERVE ANYWHERE IN INDIA :

Employees appointed shall be liable to serve anywhere in India within the jurisdiction of the University.

40. TERRITORIAL JURISDICTION:

In case of any dispute, the territorial jurisdiction for adjudication shall be the High Court of Gujarat, Ahmedabad.

41. REPEAL:

All the existing rules and orders in relation to the matters covered under these rules shall stand repealed but any action already taken pursuant to such existing rules and orders shall be deemed to have been taken under these rules.

Schedule-II

Selection Committee for Direct Recruitment /Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee
of Non-Teaching Employees

(1) Following shall be the constitution of the Selection Committees :

(a) For **Group 'A'** posts (other than statutory posts and those covered under UGC Regulations) :

1.	Vice-Chancellor/Pro-Vice Chancellor* (*in the absence of Vice Chancellor)	:	Chairperson
2.	Two experts, not in service of the University, nominated by the Vice Chancellor out of the panel approved by the EC.	:	Member
3	One member of the EC nominated by it.	:	Member
4	A representative of SC/ST/OBC/Minority/ Women/PwD, if any of candidate representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the Selection Committee do not belong to the category.	:	Member

(b) For **Group 'B'** posts :

1.	Pro-Vice Chancellor* (*in the absence of Pro-Vice Chancellor, Registrar or nominee of the Vice Chancellor - not below the rank of Professor)	:	Chairperson
2.	Two experts, not in service of the University, nominated by the Vice Chancellor out of the panel approved by the EC.	:	Member
3.	A representative of SC/ST/OBC/ Minority/ Women/PwD, if any of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the Selection Committee do not belong to the category.	:	Member
4	Registrar/Joint Registrar/Deputy Registrar		Member

(c) For **Group 'C'** posts :

1.	Registrar	:	Chairperson
2.	Two experts, not in service of the University, nominated by the Vice Chancellor out of the panel approved by the EC.	:	Member
3	A representative of SC/ST/OBC/ Minority/ Women/PwD, if any of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the Selection Committee do not belong to the category.	:	Member

(2) Following shall be the constitution of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee :

(a) For **Group 'A'** posts (other than statutory posts) :

1.	Vice-Chancellor/Pro-Vice Chancellor* (*in the absence of Vice Chancellor)	:	Chairperson
2.	One expert, not in service of the University, nominated by the Vice Chancellor out of the panel approved by the EC.	:	Member
3.	Head of the concerned Unit/Department	:	Member
4.	A representative of SC/ST/OBC/Minority/ Women/PwD, if any of candidate representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the Selection Committee do not belong to the category.	:	Member

(b) For **Group 'B'** posts :

1.	Pro-Vice Chancellor* (*in the absence of Pro-Vice Chancellor, Registrar or nominee of the Vice Chancellor - not below the rank of Professor)	:	Chairperson
2.	One expert, not in service of the University, nominated by the Vice Chancellor out of the panel approved by the EC.	:	Member
3.	Head of the concerned Unit/Department	:	Member
4.	A representative of SC/ST/OBC/ Minority/ Women/PwD, if any of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the Selection Committee do not belong to the category.	:	Member
5.	Registrar/Joint Registrar/Deputy Registrar		Member

(c) For **Group 'C'** posts :

1.	Registrar	:	Chairperson
2.	One expert, not in service of the University, nominated by the Vice Chancellor out of the panel approved by the EC.	:	Member
3.	Head of the concerned Unit/Department	:	Member
4.	A representative of SC/ST/OBC/ Minority/ Women/PwD, if any of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the Selection Committee do not belong to the category.	:	Member
5	Joint Registrar/Deputy Registrar	:	Member

SUMMARY OF POSTS

Sl. No.	Name of Post	Group	Core Pay Scale as per 6 th CPC		7 th CPC Pay Matrix	No. of posts
			Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)		
	ADMINISTRATIVE / MINISTERIAL SERVICES					
1	Registrar	A	37400-67000	10000	Level 14	1
2	Finance Officer	A	37400-67000	10000	Level 14	1
3	Controller of Examination	A	37400-67000	10000	Level 14	1
4	Deputy Registrar	A	15600-39100	7600	Level 12	2
5	Assistant Registrar	A	15600-39100	5400	Level 10	4
6	Section Officer	B	9300-34800	4600	Level 7	6
7	Assistant	B	9300-34800	4200	Level 6	8
8	Upper Division Clerk	C	5200-20200	2400	Level 4	9
9	Lower Division Clerk	C	5200-20200	1900	Level 2	19
10	Multi Tasking Staff	C	5200-20200	1800	Level 1	6
	ISOLATED SERVICES					

Sl. No.	Name of Post	Group	Core Pay Scale as per 6 th CPC		7 th CPC Pay Matrix	No. of posts
			Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)		
11	Internal Audit Officer	A	15600 – 39100	7600	Level 12	1
12	Public Relation Officer	A	15600-39100	5400	Level 10	1
13	Statistical Assistant	C	5200-20200	2800	Level 5	1
	SECRETARIAL SERVICES					
14	Private Secretary	B	9300 – 34800	4600	Level 7	5
15	Personal Assistant	B	9300 – 34800	4200	Level 6	3
	LIBRARY SERVICES					
16	Librarian	A	37400-67000	10000	Academic Level 14	1
17	Deputy Librarian	A	15600-39100	8000	Academic Level 12	1
18	Assistant Librarian	A	15600-39100	6000	Academic Level 10	2
19	Information Scientist	A	15600-39100	5400	Level 10	1
20	Professional Assistant	B	9300 – 34800	4200	Level 6	2
21	Semi Professional Assistant	C	5200 – 20200	2800	Level 5	2
22	Library Assistant	C	5200 – 20200	2000	Level 3	2
23	Library Attendant	C	5200 – 20200	1800	Level 1	5
	TECHNICAL/LABORATORY SERVICES					
24	Senior Technical Assistant	B	9300 – 34800	4200	Level 6	2
25	Technical Assistant	C	5200-20200	2800	Level 5	5
26	Laboratory Assistant	C	5200 – 20200	2400	Level 4	7
27	Laboratory Attendant	C	5200 – 20200	1800	Level 1	7
	INFORMATION AND COMMUNICATION TECH. SERVICES					
28	System Analyst	A	15600 – 39100	5400	Level 10	1
29	Senior Technical Assistant (Computer)	B	9300 – 34800	4200	Level 6	1
30	Technical Assistant (Computer)	C	5200-20200	2800	Level 5	1
	MEDICAL SERVICES					
31	Medical Officer	A	15600 – 39100	5400	Level 10	2
32	Nursing Officer	B	9300 – 34800	4600	Level 7	1
33	Pharmacist	C	5200 – 20200	2800	Level 5	1
34	Dresser/Medical Attendant	C	5200 – 20200	1800	Level 1	1
	ENGINEERING SERVICES					
35	Executive Engineer	A	15600-39100	6600	Level 11	1
36	Assistant Engineer	B	9300 – 34800	4600	Level 7	1
37	Junior Engineer (Civil)	B	9300 – 34800	4200	Level 6	1

Sl. No.	Name of Post	Group	Core Pay Scale as per 6 th CPC		7 th CPC Pay Matrix	No. of posts
			Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)		
38	Junior Engineer (Electrical)	B	9300-34800	4200	Level 6	1
RAJBHASHA SERVICES						
39	Hindi Officer	A	15600 – 39100	5400	Level 10	1
40	Hindi Translator	B	9300 – 34800	4200	Level 6	1
41	Hindi Typist	C	5200-20200	1900	Level 2	1
SECURITY SERVICES						
42	Security Officer	B	9300 – 34800	4600	Level 7	1
43	Security Inspector	C	5200 – 20200	2800	Level 5	1
GUEST HOUSE/HOSTEL SERVICES						
44	Cook	C	5200 – 20200	1900	Level 2	3
45	Kitchen Attendant	C	5200 – 20200	1800	Level 1	2
46	Hostel Attendant	C	5200 – 20200	1800	Level 1	2
TRANSPORT SERVICES						
47	Driver	C	5200-20200	1900	Level 2	5

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
REGISTRAR

1	Name of Post	Registrar
2	Number of Post	1 (One)
3	Classification	Group 'A'
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 14
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	Preferably below 57 years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: <ul style="list-style-type: none"> i) Master's degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed. ii) At least 15 years of experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor along with experience in educational administration <p style="text-align: center;">or</p> <p>Comparable experience in research establishment and/ or other institutions of higher education,</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>15 years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post.</p>

8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct/Deputation for a tenure of five years or till attaining the age of superannuation i.e. 62 years, whichever is earlier (Eligible for reappointment after observance of due selection process)
11	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	Deputation: As indicated at col. 7.
12	Composition of DPC or Selection Committee	<p>i. Vice Chancellor – Chairperson</p> <p>ii. A nominee of the Visitor</p> <p>iii. Two members of the Executive Council nominated by it.</p> <p>iv. One person not in the service of the University nominated by the Executive Council.</p> <p>v. Two experts in the concerned field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council.</p> <p>v. A representative of SC/ ST/ OBC/ Minority/ Women/ Differently-abled categories to be nominated by the Vice Chancellor, if any of candidate (s) representing these categories is/are the applicant (s), and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.</p> <p>Note:(i) In addition to (i) & (v), at least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>(ii) The meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and the experts nominated by the Executive Council.(Reference : Statute 18 (3) of Central Universities Act, 2009.</p>

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
FINANCE OFFICER

1	Name of Post	Finance Officer
2	Number of Post	1 (One)
3	Classification	Group 'A'
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 14
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	Preferably below 57 years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential:</p> <p>i) Master's degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is</p>

		<p>followed.</p> <p>ii) At least 15 years of experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor along with experience in educational administration</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>Comparable experience in research establishment and/ or other institutions of higher education,</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>15 years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post.</p>
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	<p>Direct/Deputation for a tenure of five years or till attaining the age of superannuation i.e. 62 years, whichever is earlier</p> <p>(Eligible for reappointment after observance of due selection process)</p>
11	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	<p><u>Deputation:</u></p> <p>Appointment preferably by drawing officers not below the Level 12 belonging to the Indian Audit and Accounts services or other similar organized Services in Central/ State Govt.</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>University System/ Other organisation subject to fulfilment of qualification as indicated under col. 7 on Deputation for a tenure of 5 years or till attaining the age of 62 years, whichever is earlier.</p>
12	Composition of DPC or Selection Committee	<p>i. Vice Chancellor – Chairperson</p> <p>ii. A nominee of the Visitor</p> <p>iii. Two members of the Executive Council nominated by it.</p> <p>iv. One person not in the service of the University nominated by the Executive Council.</p> <p>v. Two experts in the concerned field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council.</p> <p>v. A representative of SC/ ST/ OBC/ Minority/ Women/ Differently-abled categories to be nominated by the Vice Chancellor, if any of candidate (s) representing these categories is/are the applicant (s), and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.</p> <p>Note: (i) In addition to (i) & (v), at least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>(ii) The meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and the experts nominated by the Executive Council. (Reference : Statute 18 (3) of Central Universities Act, 2009.</p>

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
CONTROLLER OF EXAMINATION

1	Name of Post	Controller of Examinations
2	Number of Post	1 (One)
3	Classification	Group 'A'
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 14
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	Preferably below 57 years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential:</p> <p>i) Master's degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed.</p> <p>ii) At least 15 years of experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor along with experience in educational administration</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>Comparable experience in research establishment and/ or other institutions of higher education,</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>15 years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post.</p>
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	<p>Direct/Deputation for a tenure of five years or till attaining the age of superannuation i.e. 62 years, whichever is earlier</p> <p>(Eligible for reappointment after observance of due selection process)</p>
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	<p>Deputation:</p> <p>As indicated in Col.7</p>
12	Composition of DPC or Selection Committee	<p>i. Vice Chancellor – Chairperson</p> <p>ii. A nominee of the Visitor</p> <p>iii. Two members of the Executive Council nominated by it.</p> <p>iv. One person not in the service of the University nominated by the Executive Council.</p> <p>v. Two experts in the concerned field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council.</p> <p>v. A representative of SC/ ST/ OBC/ Minority/ Women/ Differently-abled categories to be nominated by the Vice</p>

		<p>Chancellor, if any of candidate (s) representing these categories is/are the applicant (s), and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.</p> <p>Note: (i) In addition to (i) & (v), at least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>(ii) The meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and the experts nominated by the Executive Council. (Reference : Statute 18 (3) of Central Universities Act, 2009.</p>
--	--	---

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
DEPUTY REGISTRAR

1	Name of Post	Deputy Registrar
2	Number of Post (s)	2 (Two)
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 12 Level 13 (After five years of service to be designated as Joint Registrar)
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not applicable in case of Direct Recruitment/Deputation
6	Age Limit for Direct Recruits	50 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential:</p> <p>i. Master's Degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed.</p> <p>ii. Nine years' of experience as Assistant Professor in the Academic Level 10 and above with experience in educational administration,</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Comparable experience in research establishment and/ or other institutions of higher education,</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Five years' of administrative experience as Assistant Registrar or in an equivalent post.</p> <p>Desirable: Relevant Experience in the areas of Establishment/ Examinations/ Finance.</p>
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	<p>Age : No</p> <p>Academic Qualification: Must possess at least Bachelor's degree from a recognized University.</p>
9	Period of probation, if any	1 Year
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	<p>75% by Direct Recruitment</p> <p>25% by promotion, failing which by deputation.</p> <p>(Ref: MHRD Letter No.1-7/2015-.U.II (2) dated 02/11/2017)</p>

11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion: Assistant Registrar with five years regular service in Level 11. Deputation: Officers holding analogous posts on regular basis or with five years regular service in Level 11 or with eight years regular service in Level 10 in the Central/State Government, Universities and other autonomous organisations.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
ASSISTANT REGISTRAR

1	Name of Post	Assistant Registrar
2	Number of Post (s)	4 (Four)
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 10
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not applicable in case of Direct Recruitment/Deputation
6	Age Limit for Direct Recruits	40 Years
7	Educational and other qualifications required for direct Recruits	Essential: Master's Degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed. Desirable: 1. Five years of experience in supervisory level in Administration/ Establishment/ Finance/ Examination/ Academic of the University in Level 7 or holding analogous post. 2. Knowledge of Computer Applications.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age : No Academic Qualification: No, but must possess at least Bachelor's degree from a recognized University/Institute.
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	50% by direct recruitment 50% by promotion, failing which by deputation.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	Promotion: Section Officer/Private Secretary with THREE years regular service in Level 7. Promotion will be done on the basis of inter-se seniority of Section Officer/Private Secretary. Deputation: Officers holding analogous posts on regular basis or with 3 years regular service in lower grades position in Level 7/Level 8 in the Central /State Government, Universities and other autonomous

		organizations. Knowledge of Computer Applications
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
SECTION OFFICER

1	Name of Post	Section Officer
2	Number of Post (s)	6 (Six)
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 7
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not Applicable in case of Direct Recruitment/Deputation
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: i) A Bachelor's Degree in any discipline from any recognised Institute/ University. ii) Three Years' Experience as Assistant in the Level 6 or eight years as UDC in Level 4 in any Central / State Govt./ University/ PSU and other Central or State Autonomous Institutions or holding equivalent positions in any reputed Private companies/ bank with annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more. iii) Proficiency in Computer Operation, noting and drafting.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age : No Academic Qualification: Yes
9	Period of probation, if any	2 Years for direct recruits
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	50% by Promotion from the cadre of Assistant subject to qualifying the departmental test, failing which by deputation. 50% by Direct Recruitment (based on written test and skill test)
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	Promotion: 05 years of regular service from the feeder grade of Assistant in Level 6 with qualification as in Col.7 above. Deputation: Officers holding analogous post on regular basis or with three years regular service in Level 6 or equivalent in the Central/ State Govt. Universities or autonomous organisations and possess the qualification as prescribed for direct recruits at Col.7 above.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
ASSISTANT

1	Name of Post	Assistant
2	Number of Post (s)	8 (Eight)
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 6
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not Applicable in case of Direct Recruitment/Deputation
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential:</p> <p>Bachelor Degree from a recognized University / Institution.</p> <p>Three Years of experience as UDC or equivalent in the Level 4 in Central/ State Government/ University/ PSU and other Central / State Autonomous Bodies or equivalent pay package in the reputed private Companies/ corporate banks with a minimum annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more.</p> <p>Proficiency in Typing, Computer applications, noting and drafting.</p> <p>Desirable:</p> <p>Experience in Administrative/ Accounts/ Academic matters. Capacity to work in a fully computerized environment.</p>
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age : No Academic Qualification : Yes
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	50% by Promotion from the cadre of UDC with five years of regular service according to seniority-cum-fitness. 50% by Direct Recruitment (based on written test and skill test)
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion: UDC with 5 years of regular service in Level 4.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
UPPER DIVISION CLERK

1	Name of Post	Upper Division Clerk
2	Number of Post (s)	9 (Nine)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 4
5	Whether Selection or non-selection post	Non-Selection Not applicable in case of Direct Recruitment
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential : <ol style="list-style-type: none"> 1. A Bachelor's Degree from any recognized Institute/ University. 2. Two years experience as Lower Division Clerk/ Equivalent posts in University/ Research Establishment / Central State Govt./ PSU/ Autonomous Bodies or equivalent pay package in the reputed private Companies/ corporate banks with a minimum annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more. 3. Speed in English Typing @ 35 wpm OR Speed in Hindi Typing @ 30 wpm 4. Proficiency in Computer Operations. Desirable: Experience in Administration/ Accounts/ Academic matters. Capacity to work in a fully computerized environment.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age : No Academic Qualification: No
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	50% by Promotion from the cadre of Lower Division Clerk/Hindi Typist subject to qualifying the departmental test. 50% by Direct Recruitment (based on written test and skill test)
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion : Lower Division Clerk with five years regular service in Level 2
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018(Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
LOWER DIVISION CLERK

1	Name of Post	Lower Division Clerk
2	Number of Post (s)	19 (Nineteen) *
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 2
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Non-Selection for Col. 10 (iii) Not Applicable for Direct Recruitment
6	Age Limit for Direct Recruits	30 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential : (i) A Bachelor's Degree from any recognized Institute/ University. (ii) English Typing @ 35 wpm OR Hindi Typing @ 30 wpm (35wpm and 30wpm correspond to 10500KDPH/ 9000KDPH on an average of 5 Key depressions for each work) (iii) Proficiency in Computer Operations.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age : No Academic Qualification : Yes
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	i) 85% by Direct Recruitment through written and skill test in various components of MS Office particularly in MS Word, MS Excel, etc. ii) 10% of vacancies shall be filled up from amongst the Group 'C' employees in the Level 1 and who possess Senior Secondary(10+2) or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of the departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for such examination is 45 Years Note: The panel shall be valid for a period of one year. iii. Promotion: 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' (MTS) employees who have five years regular service in posts in the Level 1 subject to fulfilling the educational qualification of (10+2) or equivalent.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation / absorption to be made	As in Column No. 10
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018(Schedule-II)

Note : * 16 LDC + 3 Caretaker merged into LDC cadre

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
MULTI TASKING STAFF

1	Name of Post	Multi-Tasking Staff (MTS)
2	Number of Post (s)	6 (Six)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 1
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	30 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential : 10 th Pass from a recognized Board. OR ITI Pass *. * May be adopted as per special requirements of the post, if any
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment through Written and Trade Test.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018(Schedule-II)

Note: -The post of Peon/Office Attendant and certain other erstwhile group 'D' posts now classified as Group 'C' Posts as per 6th CPC, may be given the common designation as MTS by keeping the functional designation of the incumbent in the parenthesis. This will bring all such employees under one umbrella.

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
INTERNAL AUDIT OFFICER

1	Name of Post	Internal Audit Officer
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 12
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	56 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether Age and educational	Not Applicable

	qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	
9	Period of probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Deputation
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	<p>Deputation: By drawing officers belonging to Audit and Accounts Services or other similar organised Accounts Services in Central / State Govt., holding analogous posts on regular basis.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>with three years regular service in Level 11 in the area of Audit and Accounts in any Govt. Department/ Autonomous Bodies.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>with five years regular service in Level 10 in the area of Audit and Accounts in any Govt. Department/ Autonomous Bodies.</p>
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
PUBLIC RELATION OFFICER

1	Name of Post	Public Relation Officer
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 10
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	40 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential:</p> <p>i. Masters' Degree with at least 55% of marks or its equivalent grade of B in the UGC 7 point scale in Journalism and Mass Communication from recognised University / Institute.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Masters' Degree in any discipline with First Division and P.G. Diploma in journalism and Mass Communication from recognised University / Institute</p> <p>ii. At least Five years experience in the editorial department/ Centre of any established English/ regional Newspaper accredited with ABC, National News Agencies, Radio or Television, Film Media, reputed advertising agencies with excellent command of speaking in English, Hindi and Regional Language.</p> <p>Desirable:</p> <p>Good working knowledge of computer applications.</p>
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in	Not Applicable

	the case of promotions	
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment through written test and interview
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
STATISTICAL ASSISTANT

1	Name of Post	Statistical Assistant
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 5
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Bachelor's Degree with Statistics as one of the main subject or</p> <p>Bachelor's degree with Mathematics (with Statistics as a paper in one year or two years or all the three years as the case may be as one of the main subject)</p> <p>or</p> <p>Bachelor's degree with Economics (with Statistics as a paper in one year or two years or all the three years as the case may be as one of the main subject)</p> <p>or</p> <p>Bachelor's degree with Commerce (with Statistics as a paper in one year or two years or all the three years as the case may be as one of the main subject)</p> <p>All degrees should be from a recognised university.</p>
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment through written test and interview
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable

12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)
----	---	--

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
PRIVATE SECRETARY

1	Name of Post	Private Secretary
2	Number of Post (s)	5 (Five)
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 7
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not applicable in case of Direct Recruitment
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Bachelor's Degree from a recognized University/Institute. 2. At least 03 Years experience as Personal Assistant in a University/ Research establishment/ Central/ State Govt. /PSU and other autonomous bodies. 3. English/Hindi Stenography speed:120 wpm in English or 100 wpm in Hindi 4. English/Hindi Type speed: 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m.in Hindi. 5. Knowledge of computer applications. <p>Skill Test Norms on Computer: Dictation: 10 minutes @ 120 w.p.m./100 w.p.m. Transcription : 50 minutes (English)/ 60 minutes (Hindi)</p> <p>Desirable: Proficiency in English & good communication skills.</p>
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age : No Academic Qualification : Yes
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	<p>i) 25% by promotion through seniority-cum-fitness, subject to qualifying in the stenography test as mentioned under column 7 failing which by deputation.</p> <p>ii) 75 % by direct recruitment failing which by deputation.</p>
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	<p>Promotion: Personal Assistant with 05 (five) years regular service in Level 6 along with the qualification as in Column 7.</p> <p>Deputation: Persons holding analogous posts on regular basis or with 3 years regular service as Personal Assistant in the Level 6 of any Central/State Govt./ University/ Public Sector Undertaking as other Central or State Autonomous bodies and fulfilling the educational qualifications and other professional requirements as</p>

		prescribed at column 7.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
PERSONAL ASSISTANT

1	Name of Post	Personal Assistant
2	Number of Post (s)	3 (Three)
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 6
5	Whether Selection or non-selection post	Not applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Bachelor's Degree in any discipline from any recognised Institute/ University. 2. Proficiency in Stenography in English or Hindi with minimum speed of 100wpm. 3. Proficiency in Typing in English or Hindi with minimum speed of 35 / 30 wpm respectively. 4. Knowledge of Computer Applications. 5. Two years experience as Stenographer or equivalent in Central State Govt. Organisations / University Research Institution or Central / State autonomous Institution/reputed private institutions having a turnover 200 Crores. <p>Desirable: Proficiency in English and good communication skills.</p> <p>Skill Test Norms on Computer:</p> <p>Dictation: 10 minutes @ 100 w.p.m.</p> <p>Transcription : 40 minutes English/55 minutes Hindi</p>
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	100% by Direct Recruitment/Deputation
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Deputation: Officers holding analogous post on regular basis or with three years regular service in Level 4/Level 5 or equivalent in the Central/ State Govt. Universities or autonomous organisations and possess the qualification as prescribed for direct recruits at Col.7 above.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
LIBRARIAN

1	Name of Post	Librarian
2	Number of Post	1 (One)
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 14
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	Preferably below 57 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: i) Master Degree in Library Science/ Information Science/ Documentation Science with at least 55% of marks or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed. ii) At least 10 years as a Librarian at any level in University Library or ten years of teaching as Assistant/ Associate Professor in Library Science or ten years' experience as a College Librarian. iii) Evidence of innovative Library services, including the integration of ICT in a library. iv) A Ph.D. Degree in library science/ documentation/ archives and manuscript keeping.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	1 Year
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct recruitment failing which by Deputation.
11	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Deputation: Officers of Central/ State Governments, Universities and other Autonomous Organizations holding analogous posts on regular basis subject to possessing educational qualification and experience as prescribed in column 07.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per the UGC Regulations, 2018 as amended from time to time.

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
DEPUTY LIBRARIAN

1	Name of Post	Deputy Librarian
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Academic Level 12 Academic Level 13 (After three years of service and observance of

		due procedure)
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	55 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential:- <ol style="list-style-type: none"> Master's degree in Library Science/ Information Science/ documentation science, with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed. Eight years experience as an Assistant University Librarian/ College Librarian. Evidence of innovative library services including integration of ICT in library. A Ph.D. Degree in library science / information science/ Documentation Science/ Archives and manuscript keeping/ computerization of library
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	1 Year
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per the UGC Regulations, 2018 as amended from time to time

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
ASSISTANT LIBRARIAN

1	Name of Post	Assistant Librarian
2	Number of Post (s)	2 (Two)
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Academic Level 10
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	40 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: <ol style="list-style-type: none"> A Master's degree in Library Science, Information Science or Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% of marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) A consistently good academic record with knowledge of computerization of library. Qualifying in the National Eligibility Test (NET)

		<p>conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph.D. degree in accordance with the "University Grants commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D. Degree), Regulations 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be :</p> <p><i>Provided</i> that the, candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances / Bye-laws / Regulations of the Institutions awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges / Institutions subject to the fulfilment of the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in regular mode The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners; Open Ph.D. viva voce of the candidate had been conducted; The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one must be in a refereed journal; The Candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D. work in conferences/ seminars sponsored/ funded/ supported by the UGC/ ICSSR/ CSIR or any other similar agency. <p>Note :</p> <ol style="list-style-type: none"> The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the university concerned. NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	1 Year
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per the UGC Regulations, 2018 as amended from time to time

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
INFORMATION SCIENTIST

1	Name of Post	Information Scientist
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 10
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	40 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential :</p> <p>First Class M.E. / M.Tech. (Computer Science) / Information Technology) Or equivalent.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>First Class B.E. / B.Tech (Computer Science) / Information Technology) or equivalent with two years of relevant experience.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>First Class Master in Computer Applications (MCA) or equivalent with two years of relevant experience.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>First Class M.Sc.(Computer Science/ Information Technology) from a recognized University/ Institute with three years of relevant experience.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>First Class Masters Degree in Library and Information Science (M.Lib. or M.LIS) and Post Graduate Diploma in Computer Applications or MCA or M.Sc. (Computer Science/Information Technology)</p> <p>Desirable: Relevant experience in Library/office automation/server configuration/maintenance of e-resource/data base management/ content management/ programming/ development of website/ portals/information systems/gateway and networking.</p>
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment failing which by deputation
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	<p>Deputation: Officers of the Central/ State Government, Autonomous or Statutory Organisation, PSU, University or recognised research institution;</p> <p>(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department or</p> <p>(ii) with 5 years' service rendered after appointment to the post on regular basis in the Level 6/7 or equivalent in the parent cadre or department; and</p>

		(iii) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
PROFESSIONAL ASSISTANT

1	Name of Post	Professional Assistant
2	Number of Post (s)	2 (Two)
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 6
5	Whether Selection or non-selection post	Non-Selection Not applicable in case of Direct Recruitment
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Master's Degree in Library & Information Science from any recognised University /Institution with one year experience in the relevant field in a University/Research establishment / Central / State Govt. / PSU and Library of other autonomous Institutions. <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Bachelor's Degree in Library / Library and Information Science from any recognised Institute/ University with three years experience in the relevant field in a University / Research Establishment / Central / State Govt. / PSU and Library of other autonomous Institutions.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Knowledge of Computer Applications. <p>Desirable: PG Diploma in Library Automation and Networking or PGDCA or equivalent.</p>
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age : No Academic Qualification : Yes
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	50% by Direct Recruitment 50% by Promotion failing which by direct recruitment.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion: Semi Professional Assistant with five years regular service in Level 5.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
SEMI PROFESSIONAL ASSISTANT

1	Name of Post	Semi Professional Assistant
2	Number of Post (s)	2 (Two)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 5
5	Whether Selection or non-selection post	Non-Selection Not application in case of Direct Recruitment/Deputation
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential : 1. Master's Degree in Library Science and Information Science from any recognised University/Institution OR Bachelor's Degree in Library/ Library and Information Science from a recognised Institute/ University with two years relevant experience in a University/ Research Establishment / Central / State Govt./ PSU Autonomous Institutions. Desirable: PG Diploma in Library Automation and Networking or PGDCA.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age : No Academic Qualification : Yes
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	50% by Direct Recruitment 50% by Promotion failing which by direct recruitment.
11	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	Promotion: Library Assistant with 5 years of regular service in Level 3.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

***Note:** - One Post of Junior Professional Assistant is merged with Semi Professional Assistant*

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
LIBRARY ASSISTANT

1	Name of Post	Library Assistant
2	Number of Post (s)	2 (Two)
3	Classification	Group – C

4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 3
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not applicable in case of Direct Recruitment.
6	Age Limit for Direct Recruits	30 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: i) Bachelor's degree in Library & Information Science or equivalent from a recognized University. ii) Typing speed of 30 words per minute in English. iii) Knowledge of Computer Applications.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age: No Qualification: No. But must possess the qualification as indicated in Column 11.
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	25% by promotion from the cadre of Library Attendant according to seniority-cum-fitness and subject to qualifying the departmental test failing which by direct recruitment 75% by Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion: Library Attendant possessing 10+2 qualification or equivalent and certificate in Library Science with five years regular service in Level 1.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
LIBRARY ATTENDANT

1	Name of Post	Library Attendant
2	Number of Post (s)	5 (Five)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 1
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	30 Years
	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: i) 10+2 or its equivalent examination from a recognized Board. ii) Certificate course in Library Science from a recognized Institution. Desirable: i) Two years of experience in a University/ College/ Educational Institution Library. ii) Basic knowledge of computer applications.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case	Not Applicable

	of promotions	
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
SENIOR TECHNICAL ASSISTANT

1	Name of Post	Senior Technical Assistant
2	Number of Post(s)	2 (Two)
3	Classification	Group 'B'
4	Scale of Pay/Pay Band/Grade Pay	Level 6
5	Whether selection or non-selection post	Not Applicable for direct recruitment Non-Selection for promotion
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: First Class M.Sc. in Chemical Sciences/Life Sciences/ Environmental Science/ Physical Sciences/ Instrumentation OR First Class B.Sc. in Chemical Sciences / Life Sciences/ Instrumentation with minimum five years of working and maintenance experience of sophisticated scientific Instruments in the Laboratory. Desirable : Strong background in Chemistry/ Life Science/ Environmental Science/ Physical Sciences/ Instrumentation, data acquisition systems and computers. Ability to handle the repairing and maintenance work of the instruments.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age : No Qualification: No.
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	50% by Promotion failing which by direct recruitment. 50% by Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Promotion: Technical Assistant with five years regular service in the Level 5
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
TECHNICAL ASSISTANT

1	Name of Post	Technical Assistant
2	Number of Post (s)	3 (Three)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 5
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable for Direct Recruitment Selection for Promotion
6	Age Limit for Direct Recruits	30 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: Bachelor's degree in Chemical Sciences, Life Sciences, Environmental Science or any other relevant subject (as per the requirement of the post) from a recognized university/Institute with three years experience in the field of related laboratory from any university/college/ research laboratory. Desirable: (i) Experience in handling laboratory equipments and computers (ii) Good Command over English and Hindi.
8	Whether Age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age : NO Qualification : YES
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	50% By Direct Recruitment 50% By Promotion failing which by deputation / direct recruitment.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion: Laboratory Assistant with five years of regular service in Level 4.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
LABORATORY ASSISTANT

1	Name of Post	Laboratory Assistant
2	Number of Post (s)	7 (Seven)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 4
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not Applicable for Direct Recruitment
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years

7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential : Bachelors' Degree in Science or any other degree in the relevant field from a recognized Institute/ University along with two Years Experience in Laboratory of Academic / Research Institution.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age : No Academic Qualification : Yes
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	25% by Promotion 75% by Direct Recruitment .
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion: Laboratory Attendant with five years of regular service in Level 1 with the requisite qualification prescribed at Col.No.7.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018(Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
LABORATORY ATTENDANT

1	Name of Post	Laboratory Attendant
2	Number of Post (s)	7 (Seven)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 1
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	30 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential : 10+2 with Science stream from any recognized Central/ State Board OR 10 th Pass from any recognized Central/ State Board with Science as one of the subjects and two years experience in Laboratory of recognised University / Institution / College.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable

12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)
----	---	--

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
SYSTEM ANALYST

1	Name of Post	System Analyst
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 10
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	40 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential:</p> <p>First class M.E. /M.Tech. (Computer Science & Technology)/ Information Technology)/MCA/ M.Sc. (Computer Science/Information Technology) or equivalent</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>First class B.E./B. Tech. (Computer Science & Technology/ Information Technology) or equivalent with two years of relevant experience.</p> <p>Desirable:</p> <p>Cisco Certified Network Associate/ Cisco Certified Network Professional or equivalent certification</p>
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment failing which by deputation.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	<p>Deputation: Officers of the Central/ State Government, Autonomous or Statutory Organisation, PSU, University or recognised research institution;</p> <p>(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department or</p> <p>with 5 years' service rendered after appointment to the post on regular basis in the Level 7/8 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(ii) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7.</p>
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018(Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (COMPUTER)

1	Name of Post	Senior Technical Assistant (Computer)
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 6
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not applicable in case of Direct Recruitment.
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>i) Bachelor's Degree in Engineering / Technology in Computer Science and Technology / Information Technology from any recognized University or Institute.</p> <p>OR</p> <p>Master of Science in Computer Science /MCA from any recognized University / Institute.</p> <p>At least two years experience in relevant field in University/ Research establishment / Central / State Govt. / PSU and other autonomous bodies or Private organization of repute with annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more.</p> <p>Desirable: CCNA / CCNP or equivalent certification</p>
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not applicable.
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not applicable.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
MEDICAL OFFICER

1	Name of Post	Medical Officer
2	Number of Post (s)	2 (Two) (one Male and one Female)
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 10

5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	40 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Post Graduate in Medicine from a recognized Institution by the Medical Council of India</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>MBBS recognized by Medical Council of India with relevant working experience of two years in Government Hospital or Hospital recognized by the Government or corporate hospital.</p> <p>Desirable :</p> <p>For the post of Female Medical Officer - one year hospital experience in Obstetrics and Gynaecology.</p>
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
NURSING OFFICER

1	Name of Post	Nursing Officer
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 6
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential</p> <p>i. B.Sc.(Nursing) from a recognized University /institute</p> <p>ii. Registered as Nurse in the Indian Nursing Council or its affiliated State Nursing Council</p> <p>iii. Two years experience in Nursing in a reputed hospital.</p>
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years

10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
PHARMACIST

1	Name of Post	Pharmacist
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 5
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: (i) 10 + 2 plus with Diploma in Pharmacy (2 years duration) (ii) Registration with State Pharmacy Council.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
MEDICAL ATTENDANT/ DRESSER

1	Name of Post	Medical Attendant / Dresser
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 1

5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential : <ul style="list-style-type: none"> (i) Matriculation or its equivalent examination from any recognized Board (ii) Two years experience in a reputed hospital and with elementary knowledge of first aid or handling of dressing wounds. Desirable: 10+2 with Biology subject or equivalent from a recognized Board.
8	Whether Age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/ grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
EXECUTIVE ENGINEER

1	Name of Post	Executive Engineer (Civil)
2	Number of Post (s)	One (01)
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 11
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	45 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: <ul style="list-style-type: none"> i) First Class Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognised Institute/ University or equivalent. ii) Eight years of experience (out of which five years as Assistant Engineer) in the relevant field from CPWD/State Government PWD services or similar organized services/Semi Government/ PSU/ Statutory or Autonomous organization/ University System or reputed private organizations with an annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more Relaxation of two years in experience will be given to those possessing Post-Graduate qualification in Construction Management/Structural Engineering or equivalent fields.

		Desirable: i) Experience in construction of projects of multi-storey buildings and have experience in planning/estimation/tendering as per the CPWD/ PWD norms. Good knowledge of CPWD manuals, preparations/checking of estimates, drawings, structural details, bill of quantities, substitute/deviation items statements and other associated issues related with building and constructions. ii) Knowledge of Computer Aided Design (CAD) and latest Management Technology/other relevant software.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	100% by direct recruitment failing which by deputation.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Deputation: Officers of the CPWD/ State Government PWD services or similar organized services/ Semi Government/ PSU/ Statutory or Autonomous Organisation/ University System: holding analogous post OR with five years regular service as Assistant Engineer possessing a degree in Engineering in the relevant area: OR with seven years of regular service as Assistant Engineer possessing Diploma in Engineering in the relevant area.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
ASSISTANT ENGINEER

1	Name of Post	Assistant Engineer (Civil)
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay	Level 7
5	Whether Selection or non-selection post	Non-Selection Not applicable in case of Direct Recruitment/Deputation
6	Age Limit for Direct Recruits	40 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: i) First Class Bachelor's Degree in relevant field (Civil) from a recognised Institute/ University or equivalent. ii) Three years' experience in the relevant field as Junior Engineer or Equivalent in State Government PWD services or similar organized services/ Statutory or

		Autonomous organization/ University System or reputed private organizations with an annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more. Desirable: Knowledge of Computer Aided Design (CAD) and latest Management Technology/other relevant software.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment failing which by deputation
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Deputation: Officers of the CPWD/ State Government PWD services or similar organized services/ Semi Government/ PSU / Statutory or Autonomous organization/University System; holding analogous posts; OR with three years regular service as Junior Engineer possessing a degree in Engineering in the relevant field; OR with five years of regular service as Junior Engineer possessing Diploma in Engineering in the relevant field.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
JUNIOR ENGINEER (CIVIL)

1	Name of Post	Junior Engineer (Civil)
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 6
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: Bachelor's Degree of Engineering in relevant field from a recognised Institute/ University with one year relevant experience OR Diploma in Engineering in the relevant field and three years' experience in relevant field in CPWD / State PWD or Similar Organised Services / Statutory or Autonomous Organisations / Central / State Universities / Autonomous Institutions or reputed Private construction company with an annual turnover of at least

		Rs.200/- Crores or more Desirable: Working knowledge of AUTOCAD, other relevant software.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
JUNIOR ENGINEER (ELECTRICAL)

1	Name of Post	Junior Engineer (Electrical)
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 6
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: Bachelor's Degree of Engineering in relevant field from recognised Institute/ University with one year relevant experience OR Diploma in Engineering in the relevant field and three years' experience in relevant field in CPWD / State PWD or Similar Organised Services / Statutory or Autonomous Organisations / Central / State Universities / Autonomous Institutions or reputed Private construction company with an annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more Desirable: Working knowledge of AUTOCAD, other relevant software.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment

11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
HINDI OFFICER

1	Name of Post	Hindi Officer
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 10
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	40 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential :</p> <p>Master's Degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's Degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English. With English Medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level</p> <p>AND</p> <p>Three Years experience of using / applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central / State Govt. / Autonomous Body / Statutory Organisation / PSU / Universities or recognised research or educational institutes</p>

		OR Three Years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central / State Govt./ Autonomous Body/ Statutory Organisations/ PSUs/ Universities or recognised research or educational institutions. Desirable: Studied one of the languages other than Hindi included in the 8 th schedule of the Constitution at 10 th level from a recognised board.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
HINDI TRANSLATOR

1	Name of Post	Hindi Translator
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 6
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential : Master's Degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's Degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognised University in any subject

		<p>other than Hindi or English. With English Medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level</p> <p>AND</p> <p>Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking.</p> <p>Desirable: Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule of the Constitution at 10th level from a recognised board.</p>
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
HINDI TYPIST

1	Name of Post	Hindi Typist
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 2
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	30 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pass in 12th Standard from recognized Board. ii. 30 words per minute in Hindi Typing Speed. iii. Knowledge of Computer Applications
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case	Not Applicable

	of promotions	
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
SECURITY OFFICER

1	Name of Post	Security Officer
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 7
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential :</p> <p>Bachelor's Degree from a recognized University/ Institution with five years experience as Security Supervisor / Supervisory Position in Security in a Govt. Office, Educational Institute / Private Organisation of repute with an annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Persons who have served in the Army or such Uniformed Service at JCO level or equivalent or above, with 10th standard pass or Army class I Examination or an equivalent examination.</p> <p style="text-align: center;">AND</p> <p>Holding a valid Driving License (LMV/ Motor cycle).</p> <p>Desirable:</p> <p>Completion of a course in fire fighting or unarmed combat course in Army or Para-military force. Knowledge in Computer applications.</p> <p>Ability to speak English and Hindi / Regional Language of the location of the university</p>
8	Whether Age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment failing which by deputation.

11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Deputation: Officer from the Central/ State Govt./ Universities/ Other autonomous organizations. i. Holding analogous post on regular basis. <p style="text-align: center;">OR</p> ii. With three years regular service in the relevant field in the Level 6.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
SECURITY INSPECTOR

1	Name of Post	Security Inspector
2	Number of Post (s)	1 (One)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 5
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential : Bachelor's Degree from a recognized University/ Institution with three years' experience as Security Supervisor / Supervisory Position in Security in a Govt. Office, Educational Institute / Private Organisation of repute with an annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more. <p style="text-align: center;">OR</p> Persons who have served in the Army or such Uniformed service with at least Class 10th standard pass or Army Class I examination or an equivalent examination. <p style="text-align: center;">AND</p> Holding a valid Driving License (LMV / Motor cycle). Desirable: Completion of a course in fire fighting or unarmed combat course in Army or Para-military force.
8	Whether Age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	100% by Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable

12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018(Schedule-II)
----	---	---

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
COOK

1	Name of Post	Cook
2	Number of Post (s)	3 (Three)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 2
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not applicable in case of Direct Recruitment.
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: Class 10 th from a recognized School Board. Two years experience in cooking / catering services in educational institutions/ guest houses, reputed hotels, restaurants or similar organisations. Desirable: i) ITI Trade certificate in Bakery and Confectionery (one year duration) ii) Experience in preparation of vegetarian and non-vegetarian food items both of South Indian / North Indian cuisine and continental cuisine.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age: No Qualification : Yes
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	75% by Direct Recruitment 25% by promotion according to seniority-cum-fitness and qualifying trade test, failing which by direct recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion: Kitchen Attendant with three years of regular service in Level 1.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018(Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
KITCHEN ATTENDANT

1	Name of Post	Kitchen Attendant
2	Number of Post (s)	2 (Two)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 1
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable

6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: (i) 10 th Pass from any State/ Central School / Board. OR ITI Trade Certificate in the relevant trade. (ii) Two years experience in cooking/ catering services in a Canteen/ reputed Hotel/ Guest Houses of reputed organizations/ University
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
HOSTEL ATTENDANT

1	Name of Post	Hostel Attendant
2	Number of Post (s)	2 (Two)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 1
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: 10 th Pass from any State/ Central School / Board OR ITI Pass Desirable: At least two years of experience in a Hostel / Canteen/ Hotel/ Guest House etc..
8	Whether Age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the	Direct Recruitment

	post to be filled by various methods.	
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF

DRIVER

1	Name of Post	Driver
2	Number of Post (s)	5 (Five)
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 2
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential : (i) 10 th Pass from any recognised Board (ii) Possession of a Valid Commercial Driving License for Light/ Medium/ Heavy Vehicles issued by the Competent authority having no adverse endorsement (iii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles). (iv) Experience of driving motor vehicles for at least 3 years.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment through driving test, knowledge of traffic rules and skill test.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2018 (Schedule-II)

Note: Promotion will be given as per DoPT Rules for Staff Car Driver category, as amended from time-to-time.

(Approved vide Resolution No. 20 of Executive Council meeting dated 04/12/2018)

Dr. SATYA PRAKASH UPADHYAY, Registrar

[ADVT.-III/4/Ext.y./557/2021-22]